बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005

(2005 का अधिनियम संख्यांक 27)

[23 जून, 2005]

बिहार राज्य में माल के विक्रय या क्रय पर कर के उद्ग्रहण से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 है ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य पर होगा ।

(3) यह 1 अप्रैल, 2005 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "निर्धारण प्राधिकारी" से धारा 10 में निर्दिष्ट प्राधिकारियों में से कोई, जिसे उस धारा की उपधारा (2) के अधीन किसी निर्धारण प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त किसी या सभी शक्तियों का प्रयोग करने और कर्तव्यों का पालन के लिए निदेशित किया गया है, अभिप्रेत है;

(ख) "सहायक वाणिज्य कर अधिकारी" से धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त कोई सहायक वाणिज्य कर अधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) "सहायक वाणिज्य कर आयुक्त" से धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त कोई सहायक वाणिज्य कर आयुक्त और अपर सहायक वाणिज्य कर आयुक्त अभिप्रेत है;

(घ) "कारबार" के अंतर्गत निम्नलिखित हैं,—

(i) कोई व्यवसाय, वाणिज्य, विनिर्माण या व्यवसाय, वाणिज्य, विनिर्माण की प्रकृति का कोई प्रोद्यम या समुत्थान, चाहे ऐसे व्यवसाय, वाणिज्य, विनिर्माण, प्रोद्यम या समुत्थान को अभिलाभ या लाभ के उद्देश्य से किया जा रहा हो या नहीं और चाहे ऐसे व्यवसाय, वाणिज्य, विनिर्माण, प्रोद्यम या समुत्थान से कोई अभिलाभ या लाभ प्रोद्भूत होता हो या नहीं;

(ii) ऐसे व्यवसाय, वाणिज्य, विनिर्माण, प्रोद्यम या समुत्थान से संबंधित या उससे आनुषंगिक या प्रासंगिक क्रय या विक्रय का कोई संव्यवहार; और

(iii) ऐसे कारबार के प्रारंभ या बंद होने से संबंधित या उससे आनुषंगिक या प्रासंगिक कोई संव्यवहार;

(ङ) "पूंजी माल" से किसी व्यवसाय या माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कोई संयंत्र, मशीनरी और उपस्कर अभिप्रेत है;

(च) "आकस्मिक व्यापारी" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो बिहार राज्य में स्वामी, अभिकर्ता या किसी अन्य हैसियत में माल का क्रय, विक्रय, प्रदाय या वितरण अंतर्वलित करने वाले या कोई प्रदर्शनी-सह-विक्रय का संचालन करने वाले कारबार की प्रकृति के आकस्मिक संव्यवहारों को चाहे नकदी, आस्थगित संदाय, कमीशन, पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए हाथ में लेता है;

(छ) "वाणिज्य कर अधिकारी" से धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त कोई वाणिज्य कर अधिकारी अभिप्रेत है;

(ज) "आयुक्त" से धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त वाणिज्य कर आयुक्त या अपर वाणिज्य कर आयुक्त और कोई अन्य अधिकारी जिसको राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन आयुक्त की किसी या सभी शक्तियों और कर्तव्यों को प्रदान करे, अभिप्रेत है;

(झ) "व्यौहारी" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो नियमित रूप से या अन्यथा, कारबार के अनुक्रम में विक्रय करता है, क्रय करता है, प्रदाय करता है, वितरण करता है या माल के ऐसे क्रय, विक्रय, प्रदाय या वितरण से आनुषंगिक कोई कार्य, प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत:, चाहे नकदी के लिए या आस्थगित संदाय के लिए या कमीशन, पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए करता है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित हैं,—

(अ) कोई स्थानीय प्राधिकारी;

(आ) कोई हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब;

(इ) कोई कंपनी या कोई सोसाइटी (जिसके अंतर्गत कोई सहकारी सोसाइटी भी है), क्लब, फर्म, व्यक्ति संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, जो ऐसा कारबार करता है;

(ई) कोई सोसाइटी (जिसके अंतर्गत कोई सहकारी सोसाइटी भी है), क्लब, फर्म या संगम, जो अपने सदस्यों से माल का क्रय करता है या उनको माल का विक्रय, प्रदाय या वितरण करता है;

(उ) कोई औद्योगिक, वाणिज्यिक, बैंककारी या व्यवसाय उपक्रम, जो चाहे केंद्रीय सरकार का या राज्य सरकारों में से किसी एक का या किसी स्थानीय प्राधिकारी का हो या नहीं;

(ऊ) कोई नैमित्तिक व्यापारी;

(ए) कोई कमीशन अभिकर्ता, दलाल, फैक्टर, कोई प्रत्यायक अभिकर्ता, कोई नीलामकर्ता या कोई अन्य वाणिज्यिक अभिकर्ता, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो स्वामी की ओर से माल के विक्रय, क्रय, प्रदाय या वितरण का कारबार करता है ।

स्पष्टीकरण—प्रत्येक व्यक्ति, जो बिहार राज्य के बाहर निवास करने वाले किसी व्यौहारी की ओर से अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है और राज्य में माल का क्रय, विक्रय, प्रदाय या वितरण करता है अथवा ऐसे व्यौहारी की ओर से,—

(क) कमीशन अभिकर्ता, दलाल, फैक्टर, किसी प्रत्यायक अभिकर्ता, किसी नीलामकर्ता या किसी अन्य वाणिज्यिक अभिकर्ता, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो; या

(ख) माल या माल के हक दस्तावेजों को संभालने के लिए अभिकर्ता;

(ग) माल की क्रय कीमत के संग्रहण या संदाय के लिए अभिकर्ता या ऐसे संग्रहण या संदाय के लिए प्रत्याभूतिदाता; या

(घ) राज्य के बाहर स्थित किसी फर्म या कंपनी की प्रत्येक स्थानीय शाखा के रूप में कार्य करता है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कोई व्यौहारी समझा जाएगा;

(ञ) "घोषित माल" से ऐसा माल अभिप्रेत है, जिसे केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) की धारा 14 के अधीन अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य में विशेष महत्व का घोषित किया गया हो;

(ट) "उप वाणिज्य कर आयुक्त" से धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त उप वाणिज्य कर आयुक्त या अपर उप वाणिज्य कर आयुक्त अभिप्रेत है;

(ठ) "माल" से सभी प्रकार की जंगम संपत्ति, जिसके अंतर्गत पशुधन, कंप्यूटर साफ्टवेयर, आंकड़ों या आवाज का संग्रहण या पारेषण करने के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त कोई इलेक्ट्रानिक चिप या ध्वनि और सभी सामग्री, वाणिज्या और वस्तुएं (उसी रूप में या कुछ अन्य रूप में) अभिप्रेत हैं किंतु इनके अंतर्गत समाचारपत्र, विद्युत अनुयोज्य दावे, स्टाक, शेयर या प्रतिभूति नहीं हैं ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए ऐसी सामग्री, वाणिज्या और वस्तुओं को, जो,—

(i) किसी ऐसी स्थावर संपत्ति से जुड़ी हुई या उसका भागरूप हैं, जिनको विक्रय की संविदा के अधीन अलग किए जाने के लिए करार किया गया है; या

(ii) जिनका संकर्म संविदा, पट्टा या अवक्रय के निष्पादन में उसी रूप में या कुछ अन्य रूप में विक्रय या प्रदाय किया गया है,

इस खंड के अर्थान्तर्गत माल समझा जाएगा ;

(ड) "माल वाहक" से माल ले जाने के लिए प्रयुक्त कोई मोटर यान, जल यान, नाव, पशु या किसी अन्य प्रकार का वाहन अभिप्रेत है;

(ढ) "सरकार" से बिहार राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(ण) "कुल आवर्त" से,—

(i) माल के विक्रय के संबंध में विक्रय पर कर के उद्ग्रहण के प्रयोजनों के लिए विक्रय पर व्यौहारी द्वारा प्राप्त या प्राप्तव्य विक्रय कीमतों का जोड़ अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत बिहार राज्य से बाहर या अंतरराज्यिक व्यवसाय या वाणिज्य या निर्यात के अनुक्रम में किया गया माल का विक्रय है, किंतु इसके अंतर्गत ऐसे माल की विक्रय कीमत नहीं है जिसने धारा 4 और धारा 5 के अधीन क्रयों पर कर का भार वहन किया है;

(ii) क्रय पर कर के उद्ग्रहण के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यौहारी द्वारा ऐसे माल या ऐसे वर्ग या वर्णन के माल के संबंध में, जो धारा 4 और धारा 5 के अधीन कर से दायी है, किसी दी गई अवधि के दौरान संदत्त या संदेय क्रय कीमतों का जोड़ अभिप्रेत है; और

(iii) धारा 3 के प्रयोजनों के लिए उक्त उपखंड (i) और उपखंड (ii) के अधीन रकमों का जोड़ अभिप्रेत है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, माल के विक्रय या प्रदाय के संबंध में कीमत में परिवर्तन या कीमत में वर्धन के कारण किसी व्यौहारी द्वारा प्राप्त रकम को उस वित्त वर्ष के, जिसके दौरान उसे वास्तव में प्राप्त किया गया है कुल आवर्त का भागरूप समझा जाएगा;

(त) "आयातकर्ता" से कोई ऐसा व्यौहारी अभिप्रेत है, जो राज्य में कोई माल लाता है या जिसको कोई माल बिहार राज्य से बाहर किसी स्थान से भेजा जाता है;

(थ) "निवेश" से ऐसा माल (अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट माल को छोड़कर) अभिप्रेत है,

जिसे कारोबार के अनुक्रम में,—

(क) पुनर्विक्रय के लिए;

(ख) माल के, जिसके अंतर्गत पैक करने की सामग्री भी है,

विनिर्माण में उपयोग के लिए;

(ग) खंड (ङ) में, यथा परिभाषित पूंजी माल के रूप में उपयोग के लिए,

क्रय किया गया है;

(द) "निवेश कर" से ऐसी रकम अभिप्रेत है जिसका किसी रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी द्वारा, किसी कराधेय माल के क्रय के संबंध में इस अधिनियम के अधीन कर के रूप में संदाय किया गया है या जो संदेय है;

(ध) "निरीक्षक" से धारा 10 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त किया गया कोई वाणिज्य कर निरीक्षक अभिप्रेत है;

(न) "मास" से कोई कलेण्डर मास अभिप्रेत है;

(प) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(फ) "उत्पादन कर" से ऐसा कर अभिप्रेत है जो किसी रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी द्वारा किए गए माल के विक्रय या प्रदाय के संबंध में प्रभारित किया गया है या प्रभार्य है;

(ब) "कारबार का स्थान" से कोई ऐसा स्थान अभिप्रेत है जहां कोई व्यौहारी या तो प्राय: या तत्समय माल का विनिर्माण, विक्रय या क्रय करता है या स्टाक, विनिर्माण, विक्रय या क्रय, संकर्म संविदाओं, अवक्रय संविदाओं और पट्टा संविदाओं के निष्पादन का लेखा रखता है अथवा कोई अन्य स्थान जहां कारबार क्रियाकलाप होता है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित हैं,—

(i) किसी अभिकर्ता के माध्यम से कारबार करने वाले किसी व्यौहारी की दशा में, किसी अभिकर्ता के कारबार का स्थान; या

(ii) कोई स्थान या भवन, जिसमें कारबार करने वाला कोई व्यक्ति अपनी लेखा पुस्तकों, दस्तावेजों, स्टाक या अपने कारबार से संबंधित अन्य वस्तुओं को रखता है;

(भ) "विहित प्राधिकारी" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन विहित प्राधिकारी अभिप्रेत है, जो विभिन्न उपबंधों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और ऐसे कृत्यों का पालन करने के लिए है, जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त किए जाएं;

(म) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन विहित अभिप्रेत है;

(य) "क्रय कीमत" से किसी व्यौहारी द्वारा माल के क्रय के संबंध में मूल्यवान प्रतिफल के रूप में संदत्त या संदेय रकम अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित हैं,—

(i) क्रेता द्वारा माल के संबंध में उसके परिदान के समय या उसके पूर्व की गई किसी बात के लिए प्रभारित कोई रकम;

(ii) परिवहन लागत या भाड़ा, यदि कोई हो;

(iii) व्यवसाय कमीशन, यदि कोई हो, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो;

(iv) निकासी, अग्रेषण और उठाई-धराई प्रभार, यदि कोई हों;

(v) बीमा प्रभार, यदि कोई हो;

(vi) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कर या शुल्क (इस अधिनियम के अधीन संदत्त या संदाय कर से भिन्न) चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, यदि कोई हो;

(vii) पैक करने की लागत, यदि कोई हो; और

(viii) माल के उक्त क्रय के संबंध में या उससे आनुषंगिक या सहायक, अप्रतिसंदाय जमा के रूप में, चाहे पृथक् करार के रूप में हो या नहीं, क्रेता द्वारा संदत्त या संदेय रकम;

(यक) "तिमाही" से 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च को समाप्त होने वाली तिमाही अभिप्रेत है और "तिमाही" पद का तद्नुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(यख) "रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी" से ऐसा कोई व्यौहारी अभिप्रेत है, जो धारा 19 के अधीन या बिहार वित्त अधिनियम, 1981 (1981 का बिहार अधिनियम 5), जैसा वह धारा 94 द्वारा उसके निरसन के पूर्व था, के उपबंधों के अधीन उसको मंजूर किया गया कोई रजिस्ट्रीकरण का विधिमान्य प्रमाणपत्र रखता है;

(यग) "विक्रय" से उसके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों सहित माल में नकदी या आस्थगित संदाय के लिए या किसी अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए संपत्ति का कोई अंतरण अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित हैं,—

(i) किसी संविदा के अनुसरण में से अन्यथा, किसी माल में नकदी, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए संपत्ति का कोई अंतरण;

(ii) किसी संकर्म संविदा के निष्पादन में अंतर्वलित माल में संपत्ति का (चाहे माल के रूप में या कुछ अन्य रूप में) कोई अंतरण;

(iii) अवक्रय पर या किस्तों द्वारा संदाय की किसी पद्धति द्वारा माल का परिदान;

(iv) किसी प्रयोजन के लिए नकदी, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए (चाहे किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए हो या नहीं) किसी माल का उपयोग करने के लिए अधिकार का कोई अंतरण;

(v) किसी अनिगमित संगम या व्यक्ति निकाय द्वारा उसके किसी सदस्य को नकदी, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए माल का कोई परिदान;

(vi) ऐसे माल का, जो मानक उपभोग के लिए खाद्य या कोई अन्य वस्तु है या किसी पेय (चाहे मादक हो या नहीं) किसी सेवा के रूप में या उसके भागरूप में या किसी अन्य रीति से, कोई भी हो, कोई प्रदाय, जहां ऐसा प्रदाय या सेवा नकदी, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए है,

और किसी माल के ऐसे अंतरण, परिदान या प्रदाय को अंतरण, परिदान या प्रदाय करने वाले व्यक्ति द्वारा उस माल का कोई विक्रय और उस व्यक्ति द्वारा, जिसको ऐसा अंतरण, परिदान या प्रदाय किया जाता है, उस माल का क्रय समझा जाएगा;

(यघ) "विक्रय कीमत" से किसी व्यौहारी को किसी माल के विक्रय या प्रदाय के लिए मूल्यवान प्रतिफल के रूप में संदाय रकम अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित है,—

(i) क्रेता द्वारा उस माल के संबंध में, उसके परिदान के समय या उसके पूर्व की गई किसी बात के लिए, प्रभारित कोई रकम;

(ii) परिवहन लागत या भाड़ा, यदि कोई हो;

(iii) व्यवसाय कमीशन, यदि कोई हो, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो;

(iv) निकासी, अग्रेषण और उठाई-धराई प्रभार, यदि कोई हो;

(v) बीमा प्रभार, यदि कोई हो;

(vi) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उद्गृहीत कर या शुल्क (इस अधिनियम के अधीन संदत्त या संदेय कर से भिन्न), चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, यदि कोई हो;

(vii) पैक करने की लागत, यदि कोई हो; और

(viii) विक्रेता द्वारा माल के उक्त विक्रय के संबंध में या उससे आनुषंगिक या प्रासंगिक अप्रतिसंदेय जमा के रूप में, चाहे पृथक् करार के रूप में हो या नहीं, प्राप्त या प्राप्तव्य रकम ।

स्पष्टीकरण 1—जहां माल का, अवक्रय पर या किस्तों द्वारा संदाय की किसी पद्धति द्वारा विक्रय किया जाता है, वहां ऐसे माल की विक्रय कीमत में बीमा प्रभार, ब्याज और भाड़ा प्रभार और ऐसे अन्य प्रभार, जो अवक्रय या किस्तों द्वारा संदाय की किसी पद्धति से संबंधित हो, सम्मिलित होंगे ।

स्पष्टीकरण 2—जहां माल का विक्रय ऐसे माल का उपयोग करने के अधिकार के अंतरण के रूप में किया जाता है, वहां उसकी विक्रय कीमत ऐसे अंतरण के लिए अंतरणकर्ता द्वारा प्राप्त या प्राप्तव्य मूल्यवान प्रतिफल की रकम होगी;

(यङ) "कर" से इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय और संदेय कर अभिप्रेत है;

(यच) "कराधेय माल" से ऐसा सभी माल अभिप्रेत है जिसके संबंध में धारा 14 के अधीन कर संदेय है;

(यछ) "अधिकरण" से धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन गठित अधिकरण अभिप्रेत है;

(यज) "संकर्म संविदा" से किसी भवन, सड़क, पुल या अन्य स्थावर या जंगम संपत्ति का सन्निर्माण, सुसज्जीकरण, सुधार या मरम्मत करने के लिए, नकदी या आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यांकन या प्रतिफल के लिए, कोई करार अभिप्रेत है;

(यझ) "वर्ष" से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है ।

अध्याय 2

कर का भार

3. कर का प्रभारण—(1) प्रत्येक व्यौहारी जो बिहार वित्त अधिनियम, 1981 (1981 का बिहार अधिनियम 5), जैसा वह धारा 94 द्वारा उसके निरसन के पूर्व था, रजिस्ट्रीकृत है, इस अधिनियम के प्रारंभ पर या उसके पश्चात्, उसके द्वारा किए गए क्रय या विक्रय पर इस अधिनियम के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी होगा ।

(2) प्रत्येक व्यौहारी, जिसको उपधारा (1) लागू नहीं होती है, यथास्थिति, विक्रय या क्रय पर उस तारीख से, जिसको उसका कुल आवर्त, बारह मास से अनधिक किसी अवधि के दौरान, प्रथम बार पांच लाख रुपए से अधिक होता है, कर का संदाय करने के लिए दायी होगा ।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किंतु इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक व्यौहारी,—

(क) जो आयातकर्ता या कोई विनिर्माता है; या

(ख) जिससे आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कोई विवरणी फाइल करने की अपेक्षा की जाती है; अथवा

(ग) जो विस्फोटक अधिनियम, 1984 (1984 का 4) या बिहार उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1915 (1915 का बिहार अधिनियम 2) या ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) या आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) या खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) के अधीन कोई अनुज्ञप्ति धारण करता है; या

(घ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित कोई निगम या कंपनी या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन निगमित कोई कंपनी है या केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम, (1956 का 74) के अधीन रजिस्ट्रीकृत है; या

(ङ) जिसके कारबार का स्थान बिहार एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट ऐक्ट, 1960 (1960 का बिहार अधिनियम 16) के अधीन स्थापित बाजार यार्ड के भीतर अवस्थित है; या

(च) जो निम्नलिखित दो शर्तों को पूरा करता है,—

(i) अपने कारबार के स्थान में टेलीफोन का उपयोग करता है या उसके पास कोई मोबाइल टेलीफोन है; और

(ii) जिसके कारबार की रसीदों या संदायों का, या तो पूर्णत: या भागत: किसी बैंक के माध्यम से संव्यवहार किया जाता है,

उसके द्वारा किए गए किसी कराधेय माल के प्रथम विक्रय की तारीख से प्रभावी, यथास्थिति, क्रय या विक्रय पर कर का संदाय करने के लिए दायी होगा ।

(4) प्रत्येक व्यौहारी, जो उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी हो गया है, उपधारा (5) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उस तारीख से, जिसको या तो वह अपना कारबार बंद करता है या चालू नहीं रखता है या अपने कारबार का पूर्ण रूप से किसी दूसरे व्यक्ति को अंतरण कर देता है, बारह क्रमवर्ती मासों की समाप्ति के पश्चात् इस प्रकार दायी नहीं रहेगा ।

(5) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी, बारह क्रमवर्ती मासों की अवधि के भीतर, उस तारीख को, जिससे वह अपना कारबार बंद करता है या चालू नहीं रखता है, उसके पास शेष माल के स्टाक पर कर का संदाय करेगा :

परन्तु आयुक्त, कारण अभिलिखित करने के पश्चात् बारह क्रमवर्ती मासों की अवधि का विस्तार कर सकेगा, यदि माल बारह मास की उक्त अवधि के पश्चात् व्यौहारी के नियंत्रण से परे कारणों के कारण स्टाक में रखा जाता है ।

(6) उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई व्यक्ति जो, पूर्ववर्ती छह मास से कम से ऐसी भागीदारी फर्म, समुत्थान या हिंदू अविभक्त कुटुंब का सदस्य है या था, जो पूर्ववर्ती छह मास से कम से कर का संदाय करने के लिए दायी है या था, एकल रूप से या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से कोई नया कारबार प्रारंभ करता है या अन्य कारबार, भागीदारी फर्म या समुत्थान में सम्मिलित होता है, वहां यथापूर्वोक्त कर ऐसे कारबार, भागीदारी फर्म या समुत्थान से किए गए विक्रय या क्रय पर उस तारीख से ही, जब से वह व्यक्ति उसको प्रारंभ करता है या उसमें सम्मिलित होता है, जब तक कि ऐसे काराबार, भागीदारी फर्म या समुत्थान के संबंध में दायित्व उक्त उपधाराओं के अधीन किसी पूर्ववर्ती तारीख से उद्भूत न हुआ हो, उसी प्रकार संदेय होगा ।

(7) प्रत्येक वर्ष या उसके किसी भाग के लिए कर, आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से, अग्रिम रूप में, विहित रीति से, किसी वर्ष के दौरान ऐसी किस्तों में, जो विहित प्राधिकारियों द्वारा नियत की जाएं, प्राक्कलित और संगृहीत किया जाएगा ।

(8) उपधारा (7) के प्रयोजनों के लिए, विहित प्राधिकारी व्यौहारी से उस वर्ष या उसके किसी भाग के लिए अपने कराधेय आवर्त का अग्रिम प्राक्कलन देने के लिए अपेक्षा कर सकेगा और अनंतिम रूप से उस वर्ष या उसके किसी भाग के संबंध में व्यौहारी द्वारा संदेय कर की रकम का अवधारण कर सकेगा और तदुपरि वह व्यौहारी इस प्रकार अवधारित रकम का ऐसी तारीख से, जो ऐसे प्राधिकारी द्वारा नियत की जाए, संदाय करेगा ।

4. क्रय कर का उद्ग्रहण—धारा 6 और धारा 7 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, धारा 3 के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी ऐसा प्रत्येक व्यौहारी, जो ऐसी परिस्थितियों में, जिनमें विक्रय पर कोई कर संदेय नहीं है या ऐसे माल की विक्रय कीमत पर जिसका संदाय किया जा चुका है, और विक्रय के लिए अन्य माल के विनिर्माण में ऐसे माल का या तो उपभोग करता है अथवा राज्य में विक्रय के या अंतरराज्यिक व्यवसाय या वाणिज्य के अनुक्रम में विक्रय के रूप में से अन्यथा किसी रीति में ऐसे माल का अन्यथा व्ययन करता है, ऐसे माल की क्रय कीमत पर कर का उसी दर से जिस पर वह धारा 14 के अधीन ऐसे माल की विक्रय कीमत पर उद्ग्रहणीय होता, संदाय करने के लिए दायी होगा ।

5. कतिपय क्रयों पर क्रय कर का संदाय करने का दायित्व—जहां, कोई व्यौहारी बिहार राज्य के भीतर किसी व्यक्ति से किसी कराधेय माल का क्रय करता है और ऐसा व्यक्ति कोई रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी नहीं है और उक्त माल का ऐसे क्रय के पश्चात् किसी समय पूंजी आस्ति के रूप में उपयोग किया जाता है, वहां ऐसे क्रयों की क्रय कीमत पर कर उसी दर से जिस पर विक्रयों पर कर उक्त माल पर उद्ग्रहणीय है, उद्गृहीत किया जाएगा ।

6. कतिपय मामलों में कर का अनुद्ग्रहण—(1) इस अधिनियम के अधीन संदेय कोई माल के ऐसे विक्रयों या क्रयों पर संदेय नहीं होगा जो,—

(क) अंतरराज्यिक व्यवसाय या वाणिज्य के अनुकम में;

(ख) बिहार राज्य के बाहर;

(ग) भारत के राज्यक्षेत्र में माल के आयात या उससे बाहर माल के निर्यात के अनुक्रम में,

हुए हैं ।

(2) केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) के उपबंध यह अवधारित करने के प्रयोजनों के लिए लागू होंगे कि माल का कोई विक्रय या क्रय उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) में उपवर्णित रीतियों में से किसी में कब हुआ समझा जाएगा ।

7. छूट—कोई कर अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट माल के विक्रय या क्रय पर संदेय नहीं होगा ।

8. सबूत का भार—यह साबित करने का भार कि किसी व्यौहारी द्वारा किया गया कोई विक्रय या क्रय, यथास्थिति, धारा 6 या धारा 7 या धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन कर के लिए दायी नहीं है या यह कि व्यौहारी धारा 16 और धारा 17 के अधीन किसी निवेश पर प्रतिदाय के लिए पात्र है, व्यौहारी पर होगा ।

अध्याय 3

अधिकरण और कर प्राधिकारी

9. अधिकरण—(1) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित किसी अधिसूचना द्वारा, वाणिज्य कर अधिकरण के नाम से ज्ञात एक अधिकरण का गठन करेगी, जो इस अधिनियम या ऐसे किसी अधिकरण के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करने और सभी कर्तव्यों का पालन करने के लिए एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा :

परन्तु इस अधिनियम के अधीन अधिकरण का गठन किए जाने तक, बिहार वित्त अधिनियम, 1981 (1981 का बिहार अधिनियम 5), जैसा वह धारा 94 द्वारा उसके निरसन के पूर्व था, के अधीन गठित अधिकरण इस अधिनियम के अधीन गठित वाणिज्य कर अधिकरण समझा जाएगा और इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग और सभी कर्तव्यों का पालन करेगा ।

(2) अधिकरण का अध्यक्ष पैंसठ वर्ष से अनधिक की आयु का सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश की पंक्ति का कोई न्यायिक अधिकारी होगा ।

(3) दो अन्य सदस्यों में से एक राज्य सरकार के वाणिज्य कर विभाग का ऐसा कोई अधिकारी होगा, जो ज्येष्ठ संयुक्त आयुक्त की पंक्ति से नीचे का न हो और तीसरा सदस्य कोई ऐसा व्यक्ति होगा,—

(क) जो, कम-से-कम दस वर्षों से चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अधीन किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में लेखाकर्म के व्यवसाय में रहा है या पहले प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत अकाउंटेंट के रूप में या भागत: रजिस्ट्रीकृत अकाउंटेंट के रूप में और भागत: चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में व्यवास में रहा है; या

(ख) जो भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा सेवा का ऐसा कोई अधिकारी है या रहा है, जो उप-महालेखाकार से नीचे की पंक्ति का न हो; या

(ग) जो सरकारी सेवक है, चाहे सेवारत हो या सेवानिवृत्त, जो राज्य सरकार अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रम में लेखा प्रशासन या वित्तीय प्रबंध में कम-से-कम चार वर्ष का अनुभव रखता है ।

(4) (क) राज्य सरकार, यदि ऐसा करना समीचीन समझती है तो किसी अधिसूचना द्वारा ऐसे स्थानों पर और ऐसे क्षेत्र पर, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, अधिकारिता रखने वाली एक या अधिक अतिरिक्त न्यायपीठों को स्थापित कर सकेगी ।

(ख) यह ऐसे सदस्य या सदस्यों से मिलकर बनेगी जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, जो उपधारा (2) में यथा विनिर्दिष्ट अर्हताएं रखते हों :

परन्तु यदि किसी न्यायिक अधिकारी को ऐसी किसी अतिरिक्त न्यायपीठ में नियुक्त किया जाता है, तो वह किसी अपर जिला न्यायाधीश की पंक्ति से नीचे का अधिकारी नहीं होगा ।

(5) अधिकरण की सदस्यता में कोई रिक्ति राज्य सरकार द्वारा यथासंभव शीघ्र भरी जाएगी ।

(6) किसी स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक अध्यक्ष के पद पर किसी रिक्ति के दौरान सरकार शेष सदस्यों में से एक को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकेगी ।

(7) अधिकरण के किसी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति साधारणतया तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा :

परन्तु किसी सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने या किसी अन्य सरकारी सेवक के, उसकी अधिवर्षिता के पश्चात् अधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने की दशा में सेवा के निबंधन और शर्तें (जिसके अंतर्गत वेतन और भत्ते हैं) ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं ।

(8) (क) अधिकरण के कृत्यों का प्रयोग एक या दो या तीन सदस्यों से मिलकर बनने वाली अध्यक्ष द्वारा गठित किसी न्यायपीठ द्वारा किया जाएगा ।

(ख) इन न्यायपीठों में से किसी के द्वारा निपटाए जाने वाले मामलों की प्रकृति अध्यक्ष के विवेकाधीन होगी :

परन्तु एक या दो सदस्यों से मिलकर बनने वाली कोई न्यायपीठ, अपने विवेकानुसार किसी मामले को, यथास्थिति, दो या तीन सदस्यों की किसी बड़ी न्यायपीठ को निर्दिष्ट कर सकेगी ।

(9) (क) जहां, किसी आवेदन की अधिकरण के सभी तीनों सदस्यों द्वारा सुनवाई की जाती है और सदस्य किसी बिंदु या बिंदुओं पर राय में विभाजित हैं तो ऐसे बिंदु या बिंदुओं का विनिश्चय बहुमत की राय के अनुसार किया जाएगा :

परन्तु यदि सदस्यों में से किसी एक का पद रिक्त है तो ऐसे बिन्दुओं का विनिश्चय अध्यक्ष की राय के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) जहां किसी आवेदन की दो सदस्यों से मिलकर बनने वाली, चाहे उसमें अध्यक्ष सम्मिलित हो या नहीं, किसी न्यायपीठ द्वारा सुनवाई की जाती है और सदस्य किसी बिन्दु या बिन्दुओं पर राय में विभाजित हैं तो ऐसे बिंदु या बिंदुओं को तीन सदस्यों से मिलकर बनने वाली किसी न्यायपीठ को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(10) (क) अधिकरण के सदस्यों को भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा ।

(ख) कोई सदस्य अधिकरण की अपनी सदस्यता की अवधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों से बाहर किसी अन्य वैतनिक नियोजन को स्वीकार नहीं करेगा ।

(11) अधिकरण, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से, अपनी प्रक्रिया और अपने कारबार के निपटारे से आनुषंगिक अन्य विषयों को विनियमित करने के लिए इस अधिनियम और नियमों के उपबंधों से संगत विनियम बनाएगा और ऐसे विनियमों को राजपत्र में प्रकाशित करेगा ।

(12) अधिकरण के सदस्य, सामान्यत: अपनी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे :

परन्तु नियुक्ति की अवधि को राज्य सरकार द्वारा घटाया या विस्तारित किया जा सकेगा ।

(13) अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य, राज्य सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित सूचना द्वारा अपना पद त्याग सकेगा :

परन्तु अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य, जब तक कि उसे राज्य सरकार द्वारा पहले अपना पद छोड़ने के लिए अनुज्ञात न किया गया हो, ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की समाप्ति तक या उसके उत्तरवर्ती के रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति के पद ग्रहण करने तक या उसकी पदावधि की समाप्ति तक, जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करता रहेगा ।

(14) अधिकरण के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को उसके पद से, राज्य सरकार द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की गई किसी ऐसी जांच के पश्चात् के सिवाय, जिसमें अध्यक्ष या संबंधित किसी अन्य सदस्य को उसके विरुद्ध आरोपों के बारे में सूचित किया गया हो और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया गया हो, अपने पद से नहीं हटाया जाएगा ।

(15) राज्य सरकार, नियमों द्वारा, अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य के कदाचार या असमर्थता के अन्वेषण के लिए प्रक्रिया विनियमित कर सकेगी ।

10. कर प्राधिकारी और निरीक्षक—(1) इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले निम्नलिखित वर्गों के प्राधिकारी होंगे, अर्थात्:—

(क) वाणिज्य कर आयुक्त;

(ख) ज्येष्ठ संयुक्त वाणिज्य कर आयुक्त;

(ग) संयुक्त वाणिज्य कर आयुक्त;

(घ) उप वाणिज्य कर आयुक्त;

(ङ) सहायक वाणिज्य कर आयुक्त;

(च) वाणिज्य कर अधिकारी;

(छ) सहायक वाणिज्य कर अधिकारी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्राधिकारी, ऐसे क्षेत्रों के भीतर या किसी ऐसे क्षेत्र के अंतर्गत, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, आने वाले संव्यवहारों के संबंध में ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे, जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त की जाएं या अधिरोपित किए जाएं ।

(3) आयुक्त इतने वाणिज्य कर निरीक्षक नियुक्त कर सकेगा, जितने उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किए गए प्राधिकारियों में से किसी की सहायता करने के लिए आवश्यक हों और इस प्रकार नियुक्त किए गए निरीक्षक ऐसे क्षेत्रों के भीतर धारा 56 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करेंगे और उन क्षेत्रों में, इस अधिनियम के निष्पादन में ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेंगे, जो विहित किए जाएं, अथवा जिन्हें आयुक्त साधारण या विशेष आदेश द्वारा उन्हें समनुदेशित करे और ऐसा समनुदेशन ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए हो सकेगा, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन नियुक्त किए गए सभी व्यक्ति भारतीय दंड संहिता (1860 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे ।

(5) आयुक्त, किस प्रक्रम पर किसी व्यौहारी के संबंध में धारा 27 या धारा 28 या धारा 31 या धारा 32 या धारा 33 या धारा 72 के अधीन किसी कार्यवाही को विहित प्राधिकारी से उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किए गए उसी या उच्चतर पंक्ति के दूसरे प्राधिकारी को अंतरण करने का निदेश दे सकेगा और जहां ऐसा निदेश आयुक्त द्वारा दिया जाता है वहां वह प्राधिकारी, जिसे कार्यवाही

अंतरित की गई है, अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं का विचार किए बिना, उसका निपटारा करने के लिए इस प्रकार अग्रसर होगा मानो वह उक्त प्राधिकारी द्वारा प्रारंभ की गई थी; ऐसा अंतरण, अंतरण के पहले जारी की गई सूचना के पुन: जारी किए जाने को आवश्यक नहीं बनाएगा और वह प्राधिकारी जिसको कार्रवाई अंतरित की गई है, अपने विवेक से, उसे उस प्रक्रम से, जिस पर उसे उस प्राधिकारी द्वारा छोड़ा गया था, जिससे उसका अंतरण किया गया था, जारी रख सकेगा ।

(6) उपायुक्त या किसी सर्किल के भारसाधक सहायक आयुक्त के लिए, कार्यालय के सुचारू कृत्यकरण के लिए, यथास्थिति, सर्किल में तैनात अधिकारियों के बीच कार्य और कार्यवाहियों का आबंटन करना विधिपूर्ण होगा, और उसमें उसी कार्यालय में एक अधिकारी से दूसरे को किसी कार्यवाही का अंतरण करना और समवर्ती अधिकारिता का प्रयोग करना सम्मिलित हो सकेगा ।

(7) आयुक्त, समय-समय पर, ऐसे आदेश, अनुदेश और निदेश, जो वह ठीक समझे, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों को जारी कर सकेगा और ऐसे प्राधिकारी, आयुक्त के ऐसे आदेशों, अनुदेशों, निदेशों का पालन और अनुसरण करेंगे :

परंतु कोई ऐसा आदेश, अनुदेश और निदेश इस प्रकार जारी नहीं किया जाएगा,—

(i) जिससे किसी प्राधिकारी से किसी विशिष्ट आदेश को पारित करने या किसी विशिष्ट मामले को किसी विशिष्ट रीति से निपटाए जाने की अपेक्षा की जा सके; या

(ii) जिससे वह किसी विशिष्ट मामले में अपील प्राधिकारी के विवेक में बाधा डाल सके :

परंतु यह और कि यदि आयुक्त की यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह आदेश, अनुदेश और निदेश को साधारण जानकारी के लिए प्रकाशित और परिचालित करवा सकेगा ।

11. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण—इस अधिनियम की धारा 10 या धारा 86 के अधीन नियुक्त किए गए सरकार के किसी सेवक या किसी अधिकारी या प्राधिकारी के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में की गई किसी बात के लिए, जो सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित है, नहीं होगी ।

12. समन जारी करने और शपथ पर परीक्षा करने की शक्ति—(1) धारा 9 के अधीन गठित अधिकरण या धारा 10 या धारा 86 के अधीन नियुक्त आयुक्त या किसी अधिकारी या प्राधिकारी को, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां और विशिष्टत: निम्नलिखित मामलों के संबंध में होंगी, अर्थात् :—

(क) किसी व्यक्ति को, जिसके अंतर्गत किसी बैंककारी कंपनी का कोई अधिकारी भी है, समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना और प्रतिज्ञान कराना;

(ख) दस्तावेजों या लेखाओं को प्रस्तुत किए जाने और उन्हें परिबद्ध करने और प्रतिधारित करने के लिए विवश करना;

(ग) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना ।

(2) अधिकरण के समक्ष इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 193 और धारा 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी ।

अध्याय 4

कर की दर और उद्ग्रहण का बिंदु

13. विक्रयों की आवलियों में बिंदु या ऐसे बिंदु जिन पर विक्रय कर उद्गृहीत किया जाएगा—(1) (क) धारा 16 और धारा 17 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी किसी व्यौहारी द्वारा (अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न), माल के विक्रय पर कर, बिहार राज्य में विक्रय की आवलियों में प्रत्येक बिंदु पर, उद्गृहीत किया जाएगा ।

(ख) जहां कर विक्रय के प्रत्येक बिंदु पर उद्गृहीत किया जाता है, वहां किसी बिंदु पर किसी व्यौहारी द्वारा संदेय कर, विक्रय के उस बिंदु पर संगणित कर से धारा 16 या धारा 17 के अधीन विनिर्दिष्ट निवेश कर प्रतिदाय की कटौती के पश्चात् आई रकम होगा ।

(2) (क) अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट माल के संबंध में विक्रयों पर कर किसी व्यौहारी द्वारा बिहार राज्य में उनके विक्रय के पहले बिंदु पर उद्गृहीत किया जाएगा और बिहार राज्य में उसी माल के पश्चात्वर्ती विक्रयों पर कर उद्गृहीत नहीं किया जाएगा यदि पश्चात्वर्ती विक्रय करने वाला व्यौहारी विहित प्राधिकारी के समक्ष कैश मेमों की मूल प्रति या बीजक या उसको जारी किया गया बिल प्रस्तुत करता है और विहित प्ररूप में और रीति से सही और पूर्ण घोषणा फाइल करता है ।

(ख) खंड (क) में विनिर्दिष्ट घोषणा विक्रय करने वाले व्यौहारी द्वारा, क्रय करने वाले व्यौहारी को उस वर्ष के, जिससे ऐसा विक्रय संबंधित है, आगामी वर्ष के तीस सितंबर के अपश्चात् जारी की जाएगी ।

(3) यदि सूचना पर, विहित प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि विक्रय करने वाला व्यौहारी बिना युक्तियुक्त कारण के, उपधारा (2) में निर्दिष्ट घोषणा क्रय करने वाले व्यौहारी को जारी करने में असफल रहा है तो वह विक्रय करने वाले व्यौहारी को सुनवाई करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् निदेशित करेगा कि विक्रय करने वाला व्यौहारी, शास्ति स्वरूप, व्यतिक्रम के प्रत्येक मास के लिए पांच हजार रुपए की राशि का या अंतर्वलित कर की रकम का, इनमें से जो भी कम हो, संदाय करेगा ।

14. कर की दर—(1) कर,—

(क) अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट माल की विक्रय कीमत पर, एक प्रतिशत की दर से;

(ख) अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट माल की विक्रय कीमत पर, चार प्रतिशत की दर से;

(ग) अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट माल की विक्रय कीमत पर, पचास प्रतिशत से अनधिक, किंतु बीस प्रतिशत से अन्यून की ऐसी दर से, जो राज्य सरकार, ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे;

(घ) किसी अन्य माल की विक्रय कीमत पर, जो अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3 और अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट नहीं है, साढ़े बारह प्रतिशत की दर से,

संदेय होगा ।

15. कतिपय मामलों में कर दायित्वों का प्रशमन—(1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, ऐसे वर्ग के रजिस्ट्रीकृत व्यौहारियों को, जिनका कुल आवर्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं है, उसके द्वारा संदेय कर के बदले में, ऐसी दर पर परिगणित किसी रकम का, जो उसके कुल आवर्त के चार प्रतिशत से अधिक हो, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, संदाय करने की अनुज्ञा दे सकेगी :

परंतु कोई ऐसी अनुज्ञा किसी ऐसे विनिर्माता या किसी व्यक्ति को नहीं दी जाएगी जो अपने कारबार के प्रयोजन के लिए बिहार राज्य से बाहर किसी स्थान से किसी माल का आयात करता है :

परंतु यह और कि इस प्रकार विनिर्दिष्ट रकम उस कर के अतिरिक्त होगी जो व्यौहारी द्वारा धारा 4 के अधीन संदेय हो ।

(2) ऐसे व्यौहारी, जिनको उपधारा (1) के उपबंध लागू होते हैं,—

(क) अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट माल के विक्रय पर किसी कर का प्रभारण नहीं करेंगे ;

(ख) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट दर से अधिक पर कर का प्रभारण नहीं करेंगे; और

(ग) उनके द्वारा किए गए विक्रयों के संबंध में कर बीजक जारी करने के हकदार नहीं होंगे ।

(3) यदि निर्धारण प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि व्यौहारी उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट दर पर कर का संदाय करने के लिए पात्र नहीं था, तो निर्धारण प्राधिकारी, किसी ऐसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो धारा 81 के अधीन की गई है या की जा सकती है, धारा 6 के अधीन विक्रयों का मूल्य काटे जाने के पश्चात् व्यौहारी के कुल आवर्त को धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट दर लागू करने के पश्चात् आई कर की रकम के तीन गुने के समतुल्य कोई शास्ति अधिरोपित करेगा :

परंतु इस उपधारा के अधीन कोई आदेश, सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर व्यौहारी को दिए बिना जारी नहीं किया जाएगा ।

16. निवेश कर प्रतिदाय—(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस धारा में यथाउपबंधित निवेश कर प्रतिदाय का दावा किसी रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी द्वारा ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, माल के विक्रय पर निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) जब कोई रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी बिहार राज्य के भीतर दूसरे रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी से धारा 14 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट कर का उसको संदाय करने के पश्चात् किसी निवेश का क्रय करता है, जब वह विहित रीति से निवेश कर के प्रतिदाय का दावा करेगा, यदि माल का विक्रय राज्य के भीतर या अंतर्राज्यिक व्यवसाय और वाणिज्य के अनुक्रम में किया जाता है;

(ख) जब कोई रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी,—

(i) राज्य के भीतर दूसरे रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी से धारा 14 के अधीन उसको कर का संदाय करने के पश्चात् किसी निवेश का क्रय करता है, या

(ii) किसी निवेश का क्रय करता है और अधिनियम की धारा 4 के अधीन ऐसे क्रय पर कर का संदाय करता है,

और धारा 14 के खंड (क), खंड (ख) और खंड (घ) में वर्णित किसी माल के विनिर्माण में ऐसे माल का उपभोग करता है, तो वह विहित रीति से उक्त निवेश कर के प्रतिदाय का दावा करेगा, यदि इस प्रकार विनिर्मित माल का राज्य के भीतर या अंतर्राज्यिक व्यवसाय और वाणिज्य के अनुक्रम में विक्रय किया जाता है;

(ग) जब कोई रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी दूसरे रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी से धारा 14 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट कर का उसको संदाय करने के पश्चात् राज्य के भीतर किसी पूंजी माल का क्रय करता है और ऐसे माल का धारा 14 के खण्ड (क), खंड (ख) और खंड (घ) में वर्णित किसी माल के विनिर्माण में उपयोग करता है और विनिर्मित माल का बिहार राज्य के भीतर अथवा अंतर्राज्यिक व्यवसाय और वाणिज्य के अनुक्रम में या अन्यथा विक्रय करता है तो वह दावा करेगा और उस निवेश कर की रकम के प्रतिदाय को ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, अनुज्ञात किया जाएगा;

(घ) जब कोई रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी 1 अप्रैल, 2005 को स्टाक में ऐसे माल को, जिसको उसने 1 अप्रैल, 2004 को या उसके पश्चात् क्रय किया है, और जिस पर बिहार वित्त अधिनियम, 1981 (1981 का बिहार अधिनियम 5) के अधीन, जैसा वह धारा 94 द्वारा उसके निरसन के पूर्व था, कर का भार पड़ा है, रखता है और,—

(i) वह ऐसे माल का राज्य के भीतर या अंतर्राज्यिक व्यवसाय और वाणिज्य के अनुक्रम में विक्रय करता है, या

(ii) ऐसे माल का धारा 14 के खंड (क), खंड (ख) और खंड (घ) में विनिर्दिष्ट किसी माल के विनिर्माण में उपभोग करता है और इस प्रकार विनिर्मित माल का बिहार राज्य के भीतर या अंतर्राज्यिक व्यवसाय और वाणिज्य के अनुक्रम में विक्रय किया जाता है,

तो वह विहित रीति से निवेश कर के प्रतिदाय का दावा करेगा;

(ङ) जब कोई रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी बिहार राज्य के भीतर दूसरे ऐसे व्यौहारी से, चार प्रतिशत से उच्चतर दर पर धारा 14 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट कर का उसको संदाय करने के पश्चात्, किसी निवेश का क्रय करता है, और ऐसे माल से विनिर्मित वस्तु या वस्तुओं का बिहार राज्य से बाहर दूसरे व्यौहारी को अंतरण करता है, तो उसे ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, चार प्रतिशत से अधिक ऐसे कर का प्रत्यय अनुज्ञात किया जाएगा :

परंतु जब किसी मास के लिए खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) या खंड (ङ) के अधीन निवेश कर प्रतिदाय के लिए दावा उसी मास के लिए उत्पादन कर से अधिक होता है, तो ऐसा आधिक्य पश्चात्वर्ती मासों के, जो उस वर्ष की, जिसके दौरान ऐसा आधिक्य उद्भूत हुआ था, समाप्ति के पश्चात् दो वर्षों के अपश्चात् कोई मास नहीं है, उत्पादन कर के विरुद्ध समायोजन के लिए अग्रनीत किया जाएगा और उस वर्ष की, जिसके दौरान ऐसा आधिक्य उद्भुत हुआ था, समाप्ति के पश्चात् के दो वर्षों के पश्चात् शेष असमायोजित निवेश कर की रकम का इस अधिनियम की धारा 68, धारा 69 और धारा 71 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, व्यौहारी को प्रतिदाय किया जाएगा :

परंतु यह और कि पूंजी माल के संबंध में निवेश कर प्रतिदाय ऐसी रीति से और ऐसी अवधि के पश्चात्, जो उसके अर्जन की तारीख से छत्तीस मास से अनधिक हो, जो विहित की जाए, अनुज्ञात किया जाएगा :

परंतु यह भी कि निवेश कर का कोई प्रतिदाय इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व क्रय की गई या अर्जित की गई पूंजी आस्तियों के संबंध में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी उक्त उपधारा के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) में वर्णित परिस्थितियों में किसी निवेश का क्रय करता है और,—

(क) वह, यथास्थिति, ऐसे माल को या ऐसे माल का उपभोग करके विनिर्मित माल को इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी कमीशन अभिकर्ता को भेजता है या ऐसे माल का विक्रय के लिए बिहार राज्य के भीतर अपनी शाखा या मुख्यालय को अंतिरण करता है; या

(ख) वह ऐसे माल का कार्य संविदा के निष्पादन के अनुक्रम में ऐसे दूसरे रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी को, जिसके साथ उसने उपसंविदा की है, उसके निष्पादन में उपयोग के लिए, प्रदाय करता है,

वहां ऐसे माल के, यथास्थिति, विक्रय या प्रदाय पर निवेश कर प्रतिदाय का, कमीशन पर माल का विक्रय करने वाले या उपसंविदा के निष्पादन में प्रतिदाय किए गए माल का उपयोग करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी द्वारा ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार दावा किया जाएगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी निवेश कर प्रतिदाय का रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी द्वारा या उसको,—

(क) अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट माल या ऐसे अन्य माल के संबंध में, जो विहित किया जाए; या

(ख) दूसरे रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी से उसके द्वारा क्रय किए गए या उसके द्वारा विनिर्मित निवेश के और उस अधिकार के संबंध में, जिसमें उपयोग का दूसरे व्यौहारी को अंतरण किया जाता है; या

(ग) धारा 15 के उपबंधों के अधीन कर का संदाय करने के लिए अनुज्ञात रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी से क्रय किए गए निवेश के संबंध में; या

(घ) अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट माल के विनिर्माण के लिए उपयोग किए गए निवेश के संबंध में; या

(ङ) स्व उपभोग के लिए या दान के रूप में उपयोग किए गए माल के संबंध में,

दावा नहीं किया जाएगा या अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(4) यदि निवेश या माल का भागत: उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है तो निवेश कर प्रतिदाय के लिए दावा उस सीमा तक कम हो जाएगा जहां तक उसका इस प्रकार उपयोग किया जाता है ।

(5) (क) कोई व्यौहारी क्रय किए गए निवेश के संबंध में निवेश कर प्रतिदाय का तब तक दावा नहीं करेगा जब तक कि वह कर बीजक की ऐसी मूल प्रति, जिस पर विक्रय करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों और वह उसके द्वारा जारी की गई हो, जिसमें विक्रय की विहित विशिष्टियां अंतर्विष्ट हों, न रखता हो ।

(ख) यदि मूल कर बीजक गुम हो जाता है, तो निवेश कर प्रतिदाय, मूल कर बीजक की विहित प्ररूप और रीति से जारी की गई दूसरी प्रति के आधार पर अनुज्ञात किया जाएगा ।

17. निर्यातों की शून्य दर होना—(1) केंद्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) की धारा 5 के अधीन निर्यात के अनुक्रम में किसी विक्रय या भारत के सीमाशुल्क राज्यक्षेत्र के बाहर विशेष आर्थिक जोनों में किसी व्यौहारी को अथवा किसी निर्यातोन्मुख यूनिट द्वारा किए गए किसी निवेश के विक्रय की दशा में ऐसे विक्रय के आवर्त पर कोई कर संदाय नहीं होगा और माल का निर्यात करने वाला या उनका विक्रय करने वाला व्यक्ति, विहित रीति में संदत्त किए गए निवेश कर के प्रतिदाय के लिए निम्नलिखित पर हकदार होगा,—

(क) निर्यात (देशी टैरिफ क्षेत्र के लिए विक्रय को अपवर्जित करते हुए) के अनुक्रम में विक्रय किए गए माल के क्रय या विशेष आर्थिक जोन में किसी व्यौहारी को विक्रय किए गए माल के क्रय पर या किसी निर्यातोन्मुख यूनिट द्वारा क्रय (जिसके अंतर्गत भारत और देशी टैरिफ क्षेत्र के बाहर विक्रय भी है) पर; या

(ख) ऐसे निवेशों और पूंजी आस्तियों के क्रय पर, जिनका निर्यात के अनुक्रम में (देशी टैरिफ क्षेत्र के लिए विक्रय को अपवर्जित करते हुए) या विशेष आर्थिक जोनों में किसी व्यौहारी को विक्रय किए गए माल के विनिर्माण के लिए उपयोग किया है :

परन्तु यह कि पूंजी आस्तियों के मद्दे निवेश कर का प्रतिदाय केवल विहित सीमा तक और विहित रीति में अनुज्ञात किया जाएगा ।

(2) इस अधिनियम की अनुसूची 5 में विनिर्दिष्ट संगठन, बिहार राज्य में, ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, क्रय किए गए माल पर संदत्त कर के प्रतिदाय का दावा करने के हकदार होंगे और ऐसा संगठन उक्त प्रतिदाय करने का केवल विहित प्राधिकारी को, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में जो विहित की जाए किए गए आवेदन पर दायी होगा ।

18. पैकिंग सामग्री और आधानों पर कर की दर—धारा 14 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी आधान या पैकिंग सामग्री में पैक किए गए किसी सामान का विक्रय या क्रय किया जाता है, वहां आधान या पैकिंग सामग्री जिसमें ऐसा माल इस प्रकार पैक किया जाता है, ऐसे माल के साथ क्रय या विक्रय की गई समझी जाएगी और धारा 3, धारा 4 और धारा 5 के अधीन ऐसे आधान या पैकिंग सामग्री के विक्रय या क्रय पर कर (चाहे ऐसी पैकिंग सामग्री या आधान पृथक् रूप से प्रभारित किए जाते हैं या नहीं) ऐसे माल के, यथास्थिति, विक्रय या क्रय को लागू कर की दर से उद्गृहीत किया जाएगा :

परन्तु जहां माल का मूल्य ऐसे आधान या पैकिंग सामग्री से कम है, जिसमें उन्हें पैक किया जाता है, वहां धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन ऐसे आधानों के संबंध में विनिर्दिष्ट कर की दर लागू होगी ।

अध्याय 5

रजिस्ट्रीकरण

19. रजिस्ट्रीकरण—(1) यथास्थिति, इस अधिनियम की धारा 3 या धारा 4 के अधीन कर का संदाय करने का दायी कोई व्यक्ति, माल का विक्रय या क्रय तब तक नहीं करेगा जब तक उसने कोई रजिस्ट्रीकरण का विधिमान्य प्रमाणपत्र अभिप्राप्त न कर लिया हो और उसके कब्जे में न हो :

परन्तु ऐसा कोई व्यौहारी भी, जो इस अधिनियम के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी नहीं है, रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र अनुदत्त किए जाने के लिए आवेदन कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति, विहित प्राधिकारी को, विहित रीति में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त करने के लिए आवेदन करेगा और विहित प्राधिकारी यह सत्यापित करने के पश्चात् कि आवेदन सम्यक् रूप से भरा गया है, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त करेगा :

परन्तु बिहार वित्त अधिनियम, 1981 (1981 का बिहार अधिनियम 5) के अधीन, जैसा वह धारा 94 द्वारा उसके निरसन से पूर्व था, रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी समझे जाएंगे और ऐसे व्यौहारियों को ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, रजिस्ट्रीकृत प्रमाणपत्र अनुदत्त किया जाएगा और ऐसे व्यौहारी ऐसे समय तक जब रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र उन्हें अनुदत्त किया जाता है, माल का विक्रय कर सकेंगे :

परन्तु यह और कि कोई व्यौहारी, जो अनुसूची 1 में उल्लिखित माल का अनन्य रूप से विक्रय या क्रय करता है, रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं होगा ।

(3) केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक व्यौहारी, इस बात के होते हुए भी कि ऐसा व्यौहारी इस अधिनियम के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी है, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करेगा और उसे अभिप्राप्त करेगा ।

(4) जहां, विहित प्राधिकारी का, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के अनुदत्त करने के पश्चात् किसी समय किसी जांच पर यह समाधान हो जाता है कि आवेदन में उल्लिखित विशिष्टियां गलत हैं या आवेदक ने कतिपय सारवान् तथ्यों को छिपाया या उनका दुर्व्यपदेशन किया है, वहां वह आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और उसके कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् उसे अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को रद्द कर देगा ।

20. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का संशोधन और रद्दकरण—(1) विहित प्राधिकारी, ऐसी सूचना पर, जो धारा 23 के अधीन व्यौहारी द्वारा दी जाए या जो अन्यथा उक्त प्राधिकारी द्वारा प्राप्त की जाए, विचार करने के पश्चात् व्यौहारी के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का, जिसके संबंध में जानकारी दी गई है या प्राप्त हुई है, संशोधन कर सकेगा ।

(2) जब—

(क) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी अपना कारबार बंद कर देता है या किन्हीं अन्य व्यक्तियों को संपूर्ण रूप से अंतरित कर देता है; या

(ख) इस अधिनियम के अधीन कर का संदाय करने के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी का दायित्व समाप्त हो जाता है,

तब व्यौहारी, विहित प्राधिकारी को विहित रीति में अपना रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र तुरंत अभ्यर्पित कर देगा और उक्त प्राधिकारी विहित रीति में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को रद्द कर देगा :

परन्तु खंड (क) के अंतर्गत आने वाले किसी मामले में, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र कारबार बंद करने या अंतरण करने की तारीख से अप्रवर्तनशील समझा जाएगा और खंड (ख) के अंतर्गत आने वाले किसी मामले में, कर का संदाय करने के व्यौहारी के दायित्व के समाप्त होने की तारीख से प्रभावी होगा ।

21. प्रतिभूति—जहां, विहित प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन संदाय कर की समुचित वसूली के लिए ऐसा करना आवश्यक प्रतीत होता है, वहां वह लिखित आदेश द्वारा और उसमें लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, किसी व्यौहारी को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए ऐसी प्रतिभूति देने का निदेश दे सकेगा ।

22. घोषित प्रबंधक—(1) प्रत्येक व्यौहारी जो, इस अधिनियम के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी है और जो कोई हिंदू अविभक्त कुटुंब, कोई फर्म, कोई कंपनी या निगम या कोई सोसाइटी या क्लब या संगम है या जो अन्य व्यक्ति की ओर से किसी संरक्षक या किसी न्यासी या अन्यथा के रूप में कारबार में लगा हुआ है, विहित प्राधिकारी को, विहित रीति में उस व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम और विहित विशिष्टियां कथित करते हुए, एक घोषणा करेगा, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसे व्यौहारी के कारबार का प्रबंधक समझा जाएगा या प्रबंधक समझे जाएंगे ।

(2) प्रत्येक व्यौहारी, अपने प्रबंधक या अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को, घोषणा का कोई प्ररूप प्राप्त करने, कोई कथन करने, कोई विवरणी या विवरण, लेखाओं को देने, दस्तावेज या अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से प्राधिकृत करेगा और इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के अनुक्रम में प्रबंधक या उसके द्वारा या व्यौहारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया कोई कथन, दी गई कोई विवरणी या विवरण, प्रस्तुत किया गया रजिस्टर या दस्तावेज या दिया गया साक्ष्य, व्यौहारी पर आबद्धकर होंगे ।

23. व्यौहारियों द्वारा जानकारी का दिया जाना—यदि इस अधिनियम के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी कोई व्यक्ति या व्यौहारी—

(क) अपने कारबार या उसके किसी भाग का, चाहे विक्रय या अन्यथा के रूप में अंतरण करता है या अन्यथा व्ययन करता है, या

(ख) किसी कारबार या कारबार के भाग को चाहे क्रय के रूप में अन्यथा अर्जित करता है, या

(ग) स्वामित्व या कारबार के गठन में कोई अन्य परिवर्तन करता है, या

(घ) अपना कारबार बंद कर देता है या अपने कारबार का स्थान बदल देता है, या

(ङ) अपने कारबार के नाम, अभिनाम या प्रकृति में परिवर्तन करता है या उसके द्वारा संव्यवहार किए जाने वाले माल के वर्ग या वर्णन में कोई परिवर्तन करता है, या

(च) कोई नया कारबार आरंभ करता है या अन्य कारबार में या तो एकल रूप से या संयुक्त रूप से अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, या

(छ) धारा 19 के अधीन किसी आवेदन में दी गई विशिष्टियों में या धारा 22 के अधीन दी गई घोषणाओं में कोई परिवर्तन करता है, या

(ज) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन दिवालिया या समापन के लिए आवेदन करता है या उसके विरुद्ध किया गया कोई आवेदन है, या

(झ) रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (1986 का 1) के अधीन कोई निर्देश करता है या उसके अधीन कोई निर्देश रखता है,

तो वह, उपर्युक्त किसी घटना के होने के सात दिनों के भीतर तद्नुसार विहित प्राधिकारी को सूचित करेगा, और यदि किसी ऐसे व्यौहारी की ऐसा किए बिना मृत्यु हो जाती है, तो, यथास्थिति, उसका निष्पादक, प्रशासक, हितबद्ध उत्तरवर्ती, व्यौहारी की मृत्यु के पंद्रह दिनों के भीतर उक्त प्राधिकारी को तद्नुसार सूचित करेगा ।

अध्याय 6

कर की विवरणी, निर्धारण, पुन:निर्धारण और संदाय

24. विवरणियां, कर, ब्याज और शास्ति का संदाय—(1) प्रत्येक व्यक्ति,—

(क) जो कोई व्यौहारी है, और जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है, विहित प्राधिकारी द्वारा विहित रीति में तामील की गई सूचना द्वारा;

(ख) जो कोई रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी है (उस व्यौहारी से भिन्न जो, उसके द्वारा संदेय कर के बदले में नियत दर से कर का संदाय करने के लिए धारा 15 के अधीन अनुज्ञात है),

प्रत्येक मास के लिए विनिर्दिष्ट रूप से विहित विक्रय, क्रय, प्राप्तियों और माल के प्रेषण तथा किसी अन्य संव्यवहार से संबंधित अपने सभी संव्यवहार के संबंध में एक सही और संपूर्ण विवरणी आगामी मास के अंत पर या उससे पूर्व विहित प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, देगा ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक व्यक्ति, जो—

(क) कोई व्यौहारी है, जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है, विहित प्राधिकारी द्वारा विहित रीति में तामील की गई किसी सूचना द्वारा;

(ख) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी है (उस व्यौहारी से भिन्न जो, उसके द्वारा संदेय कर के बदले में नियत दर से कर का संदाय करने के लिए धारा 15 द्वारा अनुज्ञात है),

माल के विक्रय और क्रय से संबंधित अपने सभी संव्यवहारों और किसी ऐसे ब्यौरे के संबंध में सही और संपूर्ण विवरण जो प्रत्येक संपूर्ण तिमाही के लिए विहित किया जाए अगले मास की समाप्ति को या उससे पूर्व तिमाही के अंत में, विहित प्राधिकारी को, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, देगा ।

(2) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी विहित प्राधिकारी को नियत तारीख को या उससे पूर्व प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में विहित प्ररूप और रीति में सही और संपूर्ण विवरणी देगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में, "नियत तारीख" से निम्नलिखित तारीख अभिप्रेत है—

(क) जहां कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अर्थान्तर्गत व्यौहारी कोई कंपनी है, वहां उस वर्ष के आगामी वर्ष का, जिससे ऐसी विवरणी संबंधित है : 30 नवंबर;

(ख) जहां व्यौहारी, किसी कंपनी से भिन्न व्यक्ति है,—

(i) उस दशा में जहां व्यौहारी का लेखा इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के अधीन व्यौहारी के लेखाओं को संपरीक्षित किया जाना अपेक्षित है या जहां किसी लेखापाल की रिपोर्ट धारा 54 के अधीन दी जानी अपेक्षित है, वहां उस वर्ष से, आगामी वर्ष के, जिससे ऐसी विवरणी संबंधित है : 31 अक्तूबर;

(ii) किसी अन्य दशा में उस वर्ष से आगामी वर्ष की, जिससे ऐसी विवरणी संबंधित है : 31 जुलाई ।

(4) प्रत्येक व्यौहारी जिसे कर का संदाय करने के लिए धारा 15 के अधीन अनुज्ञात कर दिया गया है, विहित प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, तिमाही के अंत से आगामी मास के अंत तक या उससे पूर्व प्रत्येक संपूर्ण तिमाही का त्रैमासिक संक्षिप्त विवरण फाइल करेगा ।

(5) यदि त्रैमासिक विवरण या मासिक विवरणी या त्रैमासिक संक्षिप्त विवरण या वार्षिक विवरणी फाइल करने के लिए विहित नियत तारीख अवकाश का दिन है तो अगली तारीख को जिसको कार्यालय खुलता है, नियत तारीख समझी जाएगी ।

(6) उपधारा (1) या उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विहित प्राधिकारी, लेखबद्ध किए जाने वाले विनिर्दिष्ट कारणों से, यथास्थिति, ऐसी विवरणी या त्रैमासिक विवरण फाइल करने की तारीख को, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि ऐसे किसी विस्तार को केवल एक बार और नियत तारीख से तीस दिन से अनधिक की अवधि के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा, बढ़ा सकेगा; किंतु आयुक्त इस शर्त के अधीन रहते हुए कि ऐसे किसी विस्तार को केवल एक बार और तीन मास से अनधिक की अवधि के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से तीस दिनों से परे विस्तार को अनुज्ञात कर सकेगा ।

(7) यदि किसी व्यौहारी को जिसने उपधारा (1) के अधीन कोई मासिक विवरणी या उपधारा (2) के अधीन त्रैमासिक विवरण प्रस्तुत करने के पश्चात् उसमें किसी लोप या गलत विवरण का पता चलता है, तो वह, यथास्थिति, कोई पुनरीक्षित विवरणी या विवरण ऐसे प्ररूप में और विहित रीति में विहित प्राधिकारी को उपधारा (3) के अर्थान्तर्गत नियत तारीख से पूर्व किसी समय दे सकेगा :

परन्तु यह कि यदि विहित प्राधिकारी का, सूचना मिलने पर या अन्यथा लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से यह समाधान हो जाता है कि दी गई विवरणी या विवरण मूल रूप से जानबूझकर मिथ्या थे या राज्य सरकार को उसके राजस्व में कपट वंचित करने के आशय से दिया गया था तो, ऐसी विवरणी या विवरण पर विचार नहीं किया जाएगा ।

(8) यदि कोई व्यौहारी, उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर विवरणी देने में या उपधारा (2) के अधीन त्रैमासिक विवरण देने या उपधारा (4) के अधीन त्रैमासिक संक्षिप्त विवरण देने में असफल रहता है तो विहित प्राधिकारी, ऐसे किसी व्यौहारी को विहित रीति में सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, ऐसी असफलता के प्रत्येक दिन के लिए पच्चीस रुपए की दर से कोई शास्ति अधिरोपित करेगा ।

(9) (क) उपधारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने का दायी प्रत्येक व्यौहारी, आगामी मास की पंद्रह तारीख को या उससे पूर्व विवरणी के अनुसार, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, संदाय कर को भी जमा करेगा और विवरणी के साथ विहित प्ररूप और रीति में, संदाय का सबूत संलग्न करेगा ।

(ख) कर का संदाय करने के लिए धारा 15 के अधीन अनुज्ञात प्रत्येक व्यौहारी अपने त्रैमासिक व्यापारवर्त पर धारा 15 के अधीन जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट दर लागू करने के पश्चात् प्राप्त कर भी, उस तिमाही से, जिससे यह संबंधित है, आगामी मास की पंद्रह तारीख को या उससे पूर्व जमा करेगा और उपधारा (4) के अधीन दी जाने के लिए अपेक्षित विवरणी के साथ विहित प्ररूप और रीति में संदाय का सबूत संलग्न करेगा ।

(ग) उपधारा (10) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यदि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी उपधारा (7) के अधीन कोई पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत करता है और यदि ऐसे व्यौहारी से नियत कर की रकम पुनरीक्षित विवरणी के अनुसार उस रकम से अधिक है जो उससे मूल विवरणी के अनुसार नियत थी, तो ऐसी पुनरीक्षित विवरणी के साथ खंड (क) में उपबंधित रीति में कर की अतिरिक्त रकम का संदाय दर्शित करने वाली कोई रसीद लगी होगी ।

(10) यदि कोई व्यौहारी, उपधारा (1) के अधीन दी जाने वाली अपेक्षित विवरणी या उपधारा (4) के अधीन विवरण उपधारा (9) के उपबंधों के अनुसार कर की रकम का संदाय करने के लिए असफल रहता है तो ऐसा व्यौहारी—

(क) उसके द्वारा, यथास्थिति, विवरणी या त्रैमासिक संक्षिप्त विवरण या पुनरीक्षित विवरणी के अनुसार उपधारा (9) के अधीन संदाय कर पर; या

(ख) उस अवधि के लिए संदाय कर पर, जिसके लिए वह उपधारा (1) के अधीन विवरणी या उपधारा (4) के अधीन त्रैमासिक संक्षिप्त विवरण देने में असफल रहा है,

उस तारीख से जिसको इस प्रकार संदाय कर उसके संदाय की तारीख को नियत हो गया था, नियत रकम के डेढ़ प्रतिशत प्रतिमास की दर से ब्याज का संदाय करने का दायी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए,—

(i) जहां कर के संदाय में व्यतिक्रम की अवधि एक मास से कम की अवधि है वहां ऐसी अवधि के संबंध में ऐसे कर पर संदेय ब्याज समानुपातिक रूप से संगणित किया जाएगा;

(ii) "मास" से तीस दिन अभिप्रेत होंगे ।

(11) इस धारा के अधीन उद्गृहीत कोई ब्याज या अधिरोपित शास्ति, किसी ऐसी कार्रवाई पर, जो धारा 81 के अधीन की जाती है या की जा सकेगी, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी ।

(12) उपधारा (1) के अधीन दी गई विवरणी में शोध्य के रूप में स्वीकार की गई कर की रकम के आधे प्रतिशत की दर से, किसी वर्ष में अधिकतम पचास हजार रुपए के अधीन रहते हुए किसी रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी को रिबेट अनुज्ञात की जाएगी जिसने इस धारा के अधीन विनिर्दिष्ट नियत अवधि के भीतर विवरणी दी है और इस धारा के अधीन कर के संदाय के लिए विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पूर्व ऐसी रकम का पूर्ण रूप से संदाय कर दिया है ।

25. विवरणियों की संवीक्षा—(1) विहित प्राधिकारी, विहित समय के भीतर और रीति में यह सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए धारा 24 की उपधारा (1) और उपधारा (3) के अधीन फाइल की गई प्रत्येक विवरणी की संवीक्षा करेगा कि—

(क) उसमें अंतर्विष्ट सभी संगणना अंकगणित की दृष्टि से सही हैं;

(ख) निर्गम कर, निवेश कर, संदाय कर और संदाय ब्याज, यदि कोई हो, सही और उचित रूप से संगणित किया गया है;

(ग) कर की दरों को सही रूप से लागू किया गया है; और

(घ) यथाविहित साक्ष्य, कर के संदाय और संदेय ब्याज, यदि कोई हो, के संबंध में दे दिया गया है ।

(2) यदि, उपधारा (1) के अधीन संवीक्षा करने पर, विहित प्राधिकारी को किसी गलती का पता चलता है तो, वह संबंधित व्यौहारी पर विहित प्ररूप में निम्नलिखित—

(क) कर की अतिरिक्त रकम का संदेय ब्याज सहित, यदि कोई हो, तीस दिन के भीतर संदाय करने और ऐसे संदाय के साक्ष्य के रूप में चालान देने; या

(ख) तीस दिनों के भीतर यह स्पष्ट करते हुए, कि उसके द्वारा फाइल की गई विवरणी या विवरणियों में कोई गलती नहीं है और उपधारा (1) के खंड (क) से खंड (घ) में विनिर्दिष्ट सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है,

के लिए निदेश देते हुए, सूचना की तामील करेगा ।

(3) (क) विहित प्राधिकारी, उपधारा (2) के खंड (ख) के अंतर्गत आने वाले किसी मामले में व्यौहारी को, आवश्यक साक्ष्य पेश करने का एक युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् उस विषय में ऐसा आदेश पारित करेगा, जो आवश्यक समझा जाए ।

(ख) यदि खंड (क) के अधीन किसी आदेश के अनुसरण में, कोई कर या ब्याज किसी व्यौहारी द्वारा संदेय पाया जाता है तो विहित प्ररूप और रीति में एक सूचना की व्यौहारी पर उससे कर और ब्याज का ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, संदाय करने की अपेक्षा करते हुए तामील की जाएगी ।

(ग) खंड (ख) के अधीन संदेय कर या ब्याज धारा 39 के अर्थान्तर्गत कर का बकाया समझा जाएगा ।

26. कर का स्वत: निर्धारण—(1) धारा 25 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी से, जिसने धारा 24 में उल्लिखित विवरणी और विवरण दे दिया है, किसी वित्तीय वर्ष के संबंध में नियत कर, निर्धारित किया गया समझा जाएगा ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आयुक्त राजस्व के हित में किसी रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी का उसके कारबार की विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए, एक चयन आदर्श के आधार पर, जो ऐसे प्रयोजन के लिए तैयार किया जाए, उसमें ऐसा मापमान सम्मिलित करते हुए जो आयुक्त द्वारा उपयुक्त समझा जाए, चयन कर करेगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी चयन किए गए व्यौहारी के कारबार की लेखापरीक्षा धारा 24 की उपधारा (3) के अर्थान्तर्गत नियत तारीख से चौबीस मास की अवधि के भीतर ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, की जाएगी ।

27. विवरणी फाइल न करने वाली व्यौहारी का निर्धारण—(1) यदि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी, धारा 24 की उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट नियत तारीख से पूर्व—

(क) धारा 24 की उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट विवरणियां; या

(ख) धारा 24 की उपधारा (4) के अधीन त्रैमासिक संक्षिप्त विवरण; या

(ग) धारा 24 की उपधारा (2) के अधीन विवरण,

देने में असफल रहता है, तो विहित प्राधिकारी, व्यौहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् व्यौहारी से नियत कर की रकम और प्रत्येक ब्याज, यदि कोई हो, का अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार निर्धारण करेगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया कोई निर्धारण या उद्गृहीत ब्याज किसी कार्रवाई पर, जो धारा 81 के अधीन की जाती है या की जा सकेगी, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा ।

28. रजिस्ट्रीकरण से बचने वाले व्यौहारियों के कर का निर्धारण—(1) यदि, ऐसी जानकारी मिलने पर, जो उसको प्राप्त होती है, विहित प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार विद्यमान हैं कि कोई व्यौहारी किसी अवधि के संबंध में इस अधिनियम के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी हो गया है, और रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र अनुदत्त करने

के लिए आवेदन करने में या इस प्रकार आवेदन करने में जानबूझकर असफल रहा है, या धारा 19 के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित किन्हीं विशिष्टियों या जानकारी को देने में असफल रहा है तो विहित प्राधिकारी, व्यौहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसी अवधि और सभी पश्चात्वर्ती अवधियों के लिए व्यौहारी से नियत कर की रकम का, यदि कोई हो, अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार निर्धारण करेगा; और विहित प्राधिकारी किसी कार्रवाई पर, यह निदेश दे सकेगा कि व्यौहारी इस प्रकार निर्धारित कर की रकम के अतिरिक्त शास्ति के रूप में अवधि के प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान व्यौहारी रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने में असफल रहा है या धारा 19 के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित किन्हीं विशिष्टियों या जानकारी को देने में असफल रहा है, सौ रुपए की राशि या निर्धारित कर की रकम के बराबर रकम का, इनमें से जो भी अधिक हो, संदाय करेगा :

परन्तु यह कि ऐसे निर्धारण के लिए कोई कार्यवाही, उस अवधि के अवसान से जिससे यह संबंधित है, दो वर्ष के अवसान के पूर्व के सिवाय आरंभ नहीं की जाएगी :

परन्तु यह और कि उपधारा (1) के अधीन आरंभ की गई कोई कार्यवाही आरंभ करने की तारीख से चार वर्षों के भीतर पूरी की जाएगी ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया कोई निर्धारण, उद्गृहीत ब्याज या अधिरोपित शास्ति किसी कार्रवाई पर, जो धारा 81 के अधीन की जाती है या की या सकेगी, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा ।

29. विवादित प्रश्न पर कर का निर्धारण—इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां निर्धारण में अधिकरण के किसी निर्णय द्वारा धारा 10 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों में से किसी प्राधिकारी के विरुद्ध किसी बिंदु पर कोई विनिश्चय अंतर्वलित है और धारा 79 के अधीन कोई अपील फाइल कर दी गई है, वहां उच्च न्यायालय द्वारा अन्यथा निदेशित के सिवाय, तब विहित प्राधिकारी, इस प्रकार पूरा निर्धारण करेगा मानो ऐसे बिन्दु पर ऐसे प्राधिकारी के विरुद्ध कोई विनिश्चय नहीं किया गया था किन्तु ऐस शोध्यों की वसूली पर, जिसके अन्तर्गत कर, शास्ति, ब्याज या समपहृत रकम यदि कोई है, जहां तक उनका संबंध ऐसे बिन्दु से है, उच्च न्यायालय द्वारा विनिश्चय किए जाने तक रोक लगा देगा और ऐसे विनिश्चय के पश्चात् निर्धारण आदेश में, यदि आवश्यक समझा जाए तो, व्यौहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् उपांतरित कर सकेगा ।

30. प्रदर्शनी, मेला, आदि के रूप में अस्थायी तौर पर कारबार करने वाले अनिवासी व्यौहारी के कर का निर्धारण—(1) धारा 19 या धारा 26 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, विहित प्राधिकारी या इस निमित्त आयुक्त द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी बिहार राज्य के बाहर निवास करने वाले और प्रदर्शनी, मेले के रूप में या किसी अन्य वैसी ही रीति से अस्थायी रूप से कारबार करने वाले किसी व्यौहारी द्वारा किए गए माल के क्रय या विक्रय के आवर्त का अनंतिम या अंतिम निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र होगा ।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यौहारी यह दावा करता है कि उसके द्वारा किया गया विक्रय उसके द्वारा आयात किए गए माल का नहीं है तो ऐसे दावे को साबित करने का भार दावेदार पर होगा ।

31. छूट गए आवर्त के कर का निर्धारण या पुन:निर्धारण—(1) यदि विहित प्राधिकारी का, धारा 26 की उपधारा (3) के अधीन की गई लेखापरीक्षा के आधार पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम के अधीन या बिहार वित्त अधिनियम, 1981 (1981 का बिहार अधिनियम 5) के अधीन, जैसा वह धारा 94 द्वारा उसके निरसन से पूर्व था, किसी निर्धारण के संबंध में यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार विद्यमान हैं कि किसी अवधि के दौरान इस अधिनियम या उक्त अधिनियम के अधीन कर के दायी माल का विक्रय या क्रय किसी कारण से कम निर्धारित हुआ है या निर्धारण से छूट गया है या कर की कम दर से निर्धारित किया गया है या उससे कोई कटौती गलत रूप से की गई या किसी निवेश कर के प्रतिदाय का गलत रूप से दावा किया गया है, वहां विहित अधिकारी ऐसे रीति से जो विहित की जाए और व्यौहारी पर विहित प्ररूप में और रीति से सूचना की तामील करने के पश्चात् ऐसे व्यौहारी द्वारा संदेय कर का उस वर्ष की समाप्ति से, जिसके दौरान निर्धारण या पुनर्निर्धारण का मूल आदेश पारित किया गया था, चार वर्ष के भीतर संदेय कर का, यथास्थिति, निर्धारण या पुनर्निर्धारण करने के लिए उस दशा में अग्रसर होगा जिसमें व्यौहारी ने ऐसे क्रय या विक्रय की अथवा निवेश कर से प्रतिदाय की पूर्ण और सही विशिष्टियां छिपाई हैं, उनका लोप किया है या वह उन्हें प्रकट करने में असफल रहा है और इस अधिनियम के उपबंध, यथासाध्य तद्नुसार ऐसे लागू होंगे मानो इस उपधारा के अधीन सूचना धारा 27 के अधीन सूचना थी :

परन्तु यह कि कर की रकम का, ऐसी कटौतीयों को अनुज्ञात करने के पश्चात् जो उस अवधि के दौरान अनुज्ञेय थी और उन दरों पर, जिन पर इसका निर्धारण किया जाता यदि आवर्त निर्धारण से न छूट गया होता, निर्धारण या पुन:निर्धारण किया जाएगा ।

(2) (क) विहित प्राधिकारी उस मामले में जहां व्यौहारी ने ऐसे विक्रय या क्रय या निवेश कर के प्रतिदाय की संपूर्ण और सही विशिष्टियों को छिपाया है, उनका लोप किया है या उन्हें प्रकट करने में असफल रहा है, वहां यह निदेश देगा कि व्यौहारी धारा 24 की उपधारा (10) के अधीन संदेय ब्याज की रकम के अतिरिक्त कर की रकम के तीन गुना के बराबर राशि का शास्ति के रूप में, जो ऐसे विक्रय या क्रय का आवर्त जो निर्धारण से छूट गया है निर्धारित किया जाता है या निर्धारित किया जा सकेगा, संदाय करेगा ।

(ख) खंड (क) के अधीन अधिरोपित शास्ति उस कर की रकम के अतिरिक्त होगी जो निर्धारण से छूट गए आवर्त के विक्रय या क्रय पर निर्धारित की जाती है या की जा सकेगी ।

(3) इस धारा के अधीन किया गया कोई निर्धारण या पुन:निर्धारण और अधिरोपित कोई शास्ति ऐसी कार्रवाई पर, जो धारा 81 के अधीन की जाती है या की जा सकेगी, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी ।

32. कर के निर्धारण से पूर्व या निर्धारण के समय छूट गए आवर्त का पता लगना—(1) यदि विहित प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी ने—

(क) इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा संदाय कर की रकम कम करने की दृष्टि से किसी विक्रय या क्रय या उसकी विशिष्टियों को छिपाया है; या

(ख) धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी में या धारा 24 की उपधारा (2) के अधीन त्रैमासिक विवरण में या धारा 24 की उपधारा (3) के अधीन त्रैमासिक संक्षिप्त विवरण में अपने आवर्त का गलत विवरण या अपने विक्रय या क्रय की गलत विशिष्टियां दी हैं; या

(ग) उस निवेश कर के प्रतिदाय की रकम से, जिसके लिए वह इस अधिनियम के अधीन हकदार है, अधिक निवेश कर के प्रतिदाय का दावा किया है,

तो विहित प्राधिकारी, ऐसे व्यौहारी को विहित रीति में सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् लिखित आदेश द्वारा यह निदेश देगा कि वह धारा 24 की उपधारा (10) के अधीन संदेय ब्याज की रकम के अतिरिक्त और किसी कर के अतिरिक्त, जो अधिनियम के अधीन उसके द्वारा संदेय अवधारित किया जाए, शास्ति के रूप में छिपाए गए आवर्त पर या छिपाई गई या दी गई गलत विशिष्टियों पर या दावा किए गए निवेश कर प्रतिदाय से अधिक पर कर की रकम के तीन गुना के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

(2) निर्धारण पूरा करने से पूर्व उपधारा (1) के अधीन शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी और शास्ति की रकम का अवधारण करने के लिए, विहित प्राधिकारी विहित रीति से अनंतिम रूप से कर की रकम तय कर सकेगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित कोई शास्ति उस कार्रवाई पर, जो धारा 81 के अधीन की जाती है या की जा सकेगी, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी ।

33. लेखापरीक्षा के आक्षेपों पर आधारित कर का निर्धारण—जहां, इस अधिनियम के अधीन किए गए निर्धारण या पुन:निर्धारण या फाइल की गई किसी विवरणी की संवीक्षा के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा कोई आक्षेप किया जाता है, वहां विहित प्राधिकारी उस व्यौहारी का, जिसके, यथास्थिति, निर्धारण या पुन:निर्धारण या संवीक्षा के संबंध में विहित रीति में आक्षेप किया गया है, पुन:निर्धारण करने की कार्यवाही करेगा :

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन कोई आदेश व्यौहारी को सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा ।

34. कतिपय आधारों पर कर निर्धारण की कार्यवाहियों आदि का अविधिमान्य न होना—किसी कर, ब्याज या शास्ति के मद्दे कोई निर्धारण और कोई मांग, अविधिमान्य नहीं होगी या केवल इस कारण से प्रभावित नहीं होगी कि कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी किसी व्यक्ति के नाम, निवास, कारबार के स्थान या प्रास्थिति में कोई गलती है या इस कारण से कि कोई लिपिकीय भूल या अन्य प्रकार की त्रुटि है, और इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों में अंतर्विष्ट उपबंधों का सारवान् रूप से अनुपालन किया गया है ।

35. कराधेय आवर्त—(1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी व्यौहारी का कराधेय आवर्त उसके सकल आवर्त का भाग होगा जो उसमें से निम्नलिखित की कटौती के पश्चात् शेष रहता है :—

(क) धारा 6 में विनिर्दिष्ट संव्यवहारों का कुल मूल्य;

(ख) धारा 7 के अधीन छूटप्राप्त विक्रयों के मद्दे विक्रय मूल्य;

(ग) संकर्म संविदा की दशा में संविदा के सकल मूल्य में से निम्नलिखित के मद्दे रकम की कटौती के पश्चात् शेष रकम :—

(i) संकर्म संविदा को निष्पादन के लिए श्रम प्रभार,

(ii) श्रम और सेवाओं के मद्दे उप ठेकेदार को संदत्त रकम,

(iii) नियोजन, डिजाइन तैयार करने और वास्तुविद् की फीस के लिए प्रभार,

(iv) संकर्म संविदा के निष्पादन में उपयोग की गई मशीनरी और औजारों को भाड़े पर प्राप्त करने के लिए प्रभार,

(v) संकर्म संविदा के निष्पादन में उपयोग किए गए जल, बिजली, ईंधन के रूप में खपने योग्य वस्तुओं की लागत जिसे सम्पत्ति में किसी संकर्म संविदा के निष्पादन के संबंध में अंतरित नहीं किया गया है,

(vi) संविदा के स्थापन की उस सीमा तक लागत जहां तक उसका संबंध श्रम और सेवाओं के प्रदाय से है,

(vii) अन्य उसी प्रकार के खर्चे जो श्रम और सेवाओं के प्रदाय से संबंधित हैं,

(viii) ठेकेदार द्वारा उस सीमा तक उपार्जित लाभ जहां तक उसका संबंध श्रम और सेवाओं के प्रदाय से है, और

(ix) अधिनियम की धारा 6 या धारा 7 के अधीन छूटप्राप्त माल या संव्यवहार;

(घ) विक्रय के रूप में से अन्यथा अंतरित माल का मूल्य;

(ङ) विक्रीत किन्तु व्यौहारी को मूल विक्रय की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर लौटाए गए माल का मूल्य और जिसके संबंध में विक्रेता व्यौहारी ने क्रेता व्यौहारी को अधिनियम की धारा 53 में विनिर्दिष्ट एक साखपत्र जारी कर दिया है;

(च) ऐसे माल के जो अनुसूची 4 में यथाविर्दिष्ट है, जो बिहार राज्य में उसके विक्रय के प्रथम बिंदु पर कर के अध्यधीन है, विक्रय के पश्चात्वर्ती प्रक्रमों पर विक्रय मूल्य, यदि आवश्यक हो तो धारा 13 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार आवश्यक साक्ष्य धारा 24 की उपधारा (3) के अधीन व्यौहारी द्वारा फाइल की गई विवरणी के साथ फाइल किया गया है।

(2) जहां व्यौहारी यह दावा करता है कि वह, उसके द्वारा, यथास्थिति, किसी अन्य व्यौहारी को या उसके अभिकर्ता को या उसके मालिक को ऐसे माल के विक्रय के लिए अंतरण के कारण से किसी माल के संबंध में उसके सकल आवर्त के किसी भाग पर कर का संदाय करने का दायी नहीं है, वहां ऐसे दावे को साबित करने का भार व्यौहारी पर होगा और अन्य साक्ष्यों के साथ, जो विहित किए जाएं, इस प्रयोजन के लिए, वह विहित प्राधिकारी के समक्ष विहित किसी प्ररूप और रीति में एक घोषणा प्रस्तुत करेगा।

36. किसी व्यौहारी द्वारा संदाय कर—किसी व्यौहारी द्वारा संदाय कर निम्नलिखित सूत्र के अनुसार संगणित किया जाएगा, अर्थात् :—

टी- ए- बी

यहां—

टी से व्यौहारी द्वारा संदाय कर अभिप्रेत है,

ए से इस अधिनियम के अधीन निर्गम-कर अभिप्रेत है, और

बी से धारा 16 या धारा 17 के अधीन व्यौहारी को अनुज्ञेय निवेश कर के प्रतिदाय की कुल रकम अभिप्रेत है।

37. कर के निर्धारण की कार्यवाही को पूरा करने की समय-सीमा—धारा 26 की उपधारा (2), धारा 28 और धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन किसी कार्यवाही के सिवाय किसी अवधि के संबंध में इस अधिनियम के अधीन किसी व्यौहारी द्वारा संदेय कर के निर्धारण के लिए कोई कार्यवाही, ऐसी अवधि के अवसान से दो वर्ष के अवसान से पूर्व के सिवाय आरंभ और पूरी नहीं की जाएगी :

परन्तु अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन पर किसी आदेश के अनुसरण में या उसके परिणामस्वरूप पुन:निर्धारण की कोई कार्यवाही उस वर्ष के अवसान से जिसके दौरान ऐसा आदेश निर्धारण प्राधिकारी को संसूचित किया गया था, एक वर्ष के अवसान से पूर्व आरंभ और पूरी नहीं की जाएगी :

परन्तु यह कि आयुक्त, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना आवश्यक है और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से किसी मामले या मामलों के वर्ग में उक्त दो वर्ष की अवधि को, दो वर्ष से अनधिक की और अवधि के लिए बढ़ा सकेगा।

38. निर्धारण कर कार्यवाहियों में समय का अपवर्जन—धारा 27, धारा 28, धारा 29, धारा 30, धारा 31, धारा 32, या धारा 33, के अधीन, यथास्थिति, निर्धारण या पुन:निर्धारण के लिए विहित परिसीमा की अवधि की संगणना करने में वह समय जिसके दौरान किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के अधीन कोई निर्धारण या पुन:निर्धारण कार्यवाहियां रुकी रही हैं, अपवर्जित कर दिया जाएगा।

39. कर का संदाय और वसूली—(1) इस अधिनियम के अधीन संदेय कर इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संदत्त किया जाएगा।

(2) (i) धारा 3 की उपधारा (7) के अधीन अग्रिम में प्राक्कलित कर; या

(ii) व्यौहारी द्वारा फाइल की गई विवरणियों के अनुसार नियत कर, जहां ऐसी रकम का पूरा संदाय नहीं किया गया है; या

(iii) धारा 26, धारा 27 या धारा 28 या धारा 29 या धारा 30 या धारा 31 या धारा 32 या धारा 33 के अधीन या किसी आदेश अथवा अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन के परिणामस्वरूप निर्धारित या पुन:निर्धारित कर जिसमें से वह राशि, यदि कोई हो, जो व्यौहारी द्वारा पहले संदत्त की गई है, क्रय कर दी गई हो; या

(iv) इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अधीन प्रभार्य ब्याज या अधिरोपित शास्ति, यदि कोई हो,

की रकम व्यौहारी द्वारा या संबंधित व्यक्ति द्वारा सरकारी खजाने में या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी बैंक में या ऐसी अन्य रीति में जो विहित की जाए और ऐसी तारीख तक जो इस प्रयोजन के लिए विहित प्राधिकारी द्वारा जारी की गई किसी सूचना में

विहित की जाए, संदत्त की जाएगी और विहित की जाने वाली तारीख साधारण रूप से ऐसी सूचना की तामील की तारीख से तीस दिनों से अन्यून की नहीं होगी :

परन्तु यह प्राधिकारी किसी विशिष्ट व्यौहारी या किसी व्यक्ति के संबंध में और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से ऐसे संदाय की तारीख को बढ़ा सकेगा या कर या नियत ब्याज और शास्ति का, यदि कोई हो, संदाय करने के लिए ऐसे व्यौहारी को, किस्तों में ऐसी रीति से जो विहित की जाए, संदाय करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा :

परन्तु यह और कि जहां विहित प्राधिकारी राज्य के राजस्व के हित में समीचीन समझता है, वहां वह लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से किसी व्यौहारी या व्यक्ति से ऐसे संदायों को तुरंत करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

(3) यदि कोई व्यौहारी या कोई व्यक्ति उपधारा (2) के अधीन जारी की गई सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि तक कर की किसी रकम का संदाय करने में असफल रहता है या बढ़ाई गई तारीख तक कर का संदाय करने में असफल रहता है, या उसने उक्त उपधारा के प्रथम परंतुक के अधीन किस्तों का संदाय करने में व्यतिक्रम किया है तो व्यौहारी, ऐसी असफलता या व्यतिक्रम के लिए कर की रकम के अतिरिक्त, ऐसे कर की रकम पर प्रत्येक कलेंडर मास या उसके भाग के लिए डेढ़ प्रतिशत की दर से संगणित साधारण ब्याज के रूप में रकम का संदाय करेगा ।

(4) जहां किसी कार्यवाही के अनुक्रम में विहित प्राधिकारी को यह पता चलता है कि किसी व्यौहारी ने,—

(i) अपने संपूर्ण आवर्त या उसके भाग का अकराधेय के रूप में गलत दावा किया है और उसके परिणामस्वरूप उसके द्वारा संदेय कर की रकम से कम रकम संदत्त की है; या

(ii) अपने आवर्त को या उसकी किन्हीं विशिष्टियों को गलत रूप से घोषित किया है और जिसके कारण इस अधिनियम के अधीन संदाय कर की रकम कम हो गई है; या

(iii) निवेश कर के प्रतिदाय से अधिक का, जिसके लिए वह इस अधिनियम के अधीन हकदार है, गलत रूप से दावा किया है,

वहां, व्यौहारी यथा उपरोक्त किसी कार्यवाही के अधीन निर्धारित कर की रकम के अतिरिक्त पहले अनुज्ञात की गई रकम और अंतिम रूप से निर्धारित रकम के अंतर पर कर की तारीख से, जिससे कर तब संदाय हुआ होता यदि व्यौहारी ने खंड (i) या खंड (ii) या खंड (iii) में उल्लिखित कोई कार्य न किया होता, प्रत्येक कलेंडर मास या उसके भाग के लिए डेढ़ प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का संदाय करेगा :

परन्तु जहां, इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के अधीन निर्धारित कर या उसके भाग की वसूली पर, अपील करने पर किसी आदेश के परिणामस्वरूप या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा रोक लगा दी जाती है, वहां ऐसे ब्याज की रकम अंतिम आदेश पारित कर दिए जाने और उसकी पुष्टि हो जाने के पश्चात् उस तारीख से, जिससे कर प्रथमत: शोध्य हुआ था, वसूलनीय होगी ।

(5) यदि कोई व्यौहारी या कोई व्यक्ति युक्तियुक्त कारण के बिना उपधारा (2) के अधीन जारी की गई सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख तक कर की किसी रकम का संदाय करने में असफल रहा है या उससे उसके दूसरे परंतुक की अपेक्षानुसार या वैसी ही रीति में उक्त उपधारा के पहले परन्तुक के अधीन बढ़ाई गई तारीख तक कर और ब्याज का संदाय करने में असफल रहा है या उसने किस्तों का संदाय करने में व्यतिक्रम किया है या नियत ब्याज की रकम का संदाय नहीं किया है तो विहित प्राधिकारी, व्यौहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् यह निदेश दे सकेगा कि व्यौहारी ऐसी असफलता के लिए शास्ति के रूप में विहित रीति में ऐसी रकम का संदाय करेगा जो ऐसी तारीख के अवसान के पश्चात् प्रत्येक पश्चात्वर्ती मास और उसके भाग के लिए संदेय रकम की पांच प्रतिशत प्रति मास होगी ।

(6) उपधारा (2), उपधारा (4) और उपधारा (5) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कर, ब्याज की कोई रकम शास्ति सहित, यदि कोई हो, जो उपधारा (2) के अधीन जारी की गई सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् असंदत्त रह जाती है, या उपधारा (5) के अधीन अधिरोपित और असंदत्त रह गई शास्ति, वसूली की किसी अन्य रीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस प्रकार वसूलनीय होगी मानो वह भू-राजस्व का कोई बकाया हो :

परन्तु जहां ऐसी रकम के संबंध में किसी अपील पर धारा 72 के अधीन विचार किया जाता है, वहां अपील प्राधिकारी, ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए जाएं, ऐसी रकम या उसके भाग की वसूली के लिए अपील लंबित रहने तक, या ऐसी लघुतर अवधि के लिए, जो उक्त प्राधिकारी पर्याप्त समझता है, रोक लगा सकेगा ।

40. सरकारों तथा अन्य व्यक्तियों को विक्रयों और प्रदायों पर कर की अग्रिम वसूली—(1) धारा 6 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विक्रय मूल्य का या कराधेय माल के विक्रय या पूर्ति के संबंध में विक्रय मूल्य के संपूर्ण या उसके भाग के संदाय के लिए तात्पर्यित किसी रकम का, जो एक वर्ष के दौरान दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक है, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी कंपनी या किसी निगम, बोर्ड, प्राधिकरण, उपक्रम या राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार के पूर्णत: या भागत: स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा वित्तपोषित या नियंत्रित किसी अन्य निकाय को संदाय करने के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति संदाय के समय, ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, ऐसी दर से, जो राज्य सरकार द्वारा ऐसे संदाय की रकम पर कर के मद्दे अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, रकम की कटौती करेगा :

परन्तु यह कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाने वाली दर या दरें विक्रीत या प्रदाय किए गए माल को लागू कर की दर से अधिक नहीं होंगी ।

(2) किसी विधि या उसके विपरीत संविदा के होते हुए भी, ऐसी कटौती करने वाला व्यक्ति ऐसी कटौती करने के लिए विधिमान्य रूप से सक्षम होगा ।

(3) सरकारी खजाने में विहित रीति में उपधारा (1) के अधीन की गई कटौती की रकम का विहित रीति में संदाय करने का दायित्व ऐसे कटौती करने वाले व्यक्ति का होगा ।

(4) कटौती करने वाले व्यक्ति द्वारा सरकारी खजाने में उपधारा (1) के अधीन की गई कटौती की रकम का संदाय संबंधित विक्रेता या प्रदायकर्ता द्वारा या उसकी ओर से किया गया संदाय समझा जाएगा ।

(5) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) के किसी या सभी उपबंधों का उल्लंघन करता है तो वह उपधारा (1) के अधीन कटौती योग्य कर की रकम के दो गुना से अनधिक की राशि का शास्ति के रूप में संदाय करने का दायी होगा :

परन्तु ऐसी शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जाएगी जब तक उपबंधों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को विहित प्राधिकारी द्वारा सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया जाता है ।

(6) किसी व्यौहारी से नियत कर की किसी रकम की वसूली के लिए धारा 39 और धारा 47 के उपबंध, यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित, कटौती किए गए कर की और या अधिरोपित, किन्तु इस धारा के अधीन जमा न की गई किसी शास्ति की रकम की वसूली के लिए लागू होंगे ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए इस धारा में "व्यक्ति" में ऐसे सभी अधिकारी या प्राधिकारी सम्मिलित हैं जो राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार को या कम्पनी, निगम, बोर्ड, प्राधिकारी, उपक्रम या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के पूर्णत: या भागत: स्वामित्वाधीन, उसके द्वारा वित्तपोषित या नियंत्रणाधीन किसी अन्य निकाय को विक्रयों के संबंध मे विक्रय मूल्य का संदाय करने के लिए सक्षम या प्राधिकृत हैं ।

(7) धारा 41 की उपधारा (5) के उपबंध, यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित, जहां तक उनका संबंध उस व्यक्ति को जिसके बिलों से कटौती की गई है प्रमाणपत्र जारी करने से है उसे जारी करने को और कटौतियां करने वाले व्यक्ति द्वारा तिमाही विवरण फाइल करने को लागू होंगे ।

41. संकर्म ठेकेदारों से कर की अग्रिम वसूली—(1) धारा 6 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी संकर्म संविदा के निष्पादन में निहित माल में (चाहे माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में) संपत्ति के अंतरण के संबंध में संदेय मूल्यवान प्रतिफल के मद्दे किसी दायित्व के निर्वहन में कोई संदाय करने के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति, राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित किसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाने वाली चार प्रतिशत से अनधिक दर या दरों से किसी ऐसी रकम की कटौती करने के लिए, जो संकर्म ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रत्येक बिल या बीजक से, ऐसे माल के विक्रय पर संदेय भागत: या पूर्णत: तात्पर्यित कर है, जो व्यक्ति द्वारा संदेय हो, विधिमान्य रूप से सक्षम होगा और किसी संकर्म ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी ऐसे बिल या बीजक का कोई ऐसा संदाय या निर्वहन उपर्युक्त कटौती के बिना नहीं किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए इस धारा में "व्यक्ति" के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के या किसी कम्पनी, निगम, बोर्ड, प्राधिकरण, सहकारी सोसाइटियों, उपक्रम या किसी अन्य निकाय के जो किसी अधिनियम के अधीन गठित या विरचित हो, और किसी फर्म या व्यक्तियों के संगम और संगठन के सभी अधिकारी और प्राधिकारी होंगे :

परन्तु यह कि राज्य सरकार ऐसी शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए कोई कटौती नहीं की जाएगी, विहित कर सकेगी ।

(2) किसी संकर्म ठेकेदार द्वारा माल में (चाहे माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में) सम्पत्ति के अंतरण के संबंध में प्रस्तुत किए गए बिल या बीजक का कोई ऐसा संदाय या उन्मोचन उपधारा (1) में निर्दिष्ट कटौती के बिना नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह कि उपधारा (1) के अधीन जहां संदाय ऐसे संकर्म संविदा के निष्पादन के प्रारंभ से पूर्व, अग्रिम रूप में किया जाता है, वहां तब तक कोई कटौती नहीं की जाएगी जब तक वह माल में (चाहे माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में) सम्पत्ति के अंतरण के संबंध में संदेय विक्रय मूल्य का भाग नहीं बन जाती है :

परन्तु यह और कि उपधारा (1) के अधीन किसी संदाय या उसके किसी भाग से कोई कटौती नहीं की जाएगी, जहां :—

(क) किसी संकर्म संविदा के निष्पादन में अंतर्वलित संदाय या उसका कोई भाग उस माल में (चाहे माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में) संपत्ति के किसी अंतरण से संबंधित नहीं है;

(ख) कोई व्यौहारी, किसी उपायुक्त, वाणिज्यिक कर या सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर या संबंधित सर्किल के भारसाधक वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा इस प्रभाव का जारी किया गया कोई प्रमाणपत्र कि माल में (चाहे माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में) संपत्ति के ऐसे अंतरण से संबंधित संदाय या उसका कोई भाग जिस पर उसका केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) की धारा 15 के उपबंधों के निबंधनों के अनुसार कर संदाय करने का कोई और दायित्व नहीं है, प्रस्तुत करता है;

(ग) कोई व्यौहारी, किसी उपायुक्त, वाणिज्यिक कर या सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर या संबंधित सर्किल के भारसाधक वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा इस प्रभाव का जारी किया गया कोई प्रमाणपत्र कि माल में (चाहे माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में) संपत्ति के ऐसे अंतरण से संबंधित संदाय या उसका कोई भाग जिस पर उसका धारा 6 के उपबंधों के निबंधनों के अनुसार कर संदाय करने का कोई दायित्व नहीं है, प्रस्तुत करता है ।

(3) उपधारा (1) के अधीन कटौती की गई रकम, अंतिम रूप से निर्धारित या अवधारित संबंधित संकर्म ठेकेदार द्वारा संदाय कर की रकम में समायोजित की जाएगी और इस प्रकार निर्धारित या अवधारित कर से अधिक की गई कटौती की किसी रकम का इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्रतिदाय किया जाएगा ।

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कटौती विहित रीति में की जाएगी ।

(5) कटौती करने वाला व्यक्ति विहित प्ररूप और रीति में, ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट करते हुए, जो उसमें उल्लिखित की जानी अपेक्षित हों, ऐसे संकर्म ठेकेदार या ऐसे व्यक्ति को, जिसके बिल या बीजक से ऐसी कटौती की गई हैं, एक प्रमाणपत्र जारी करेगा और ऐसा प्रमाणपत्र धारा 24 की उपधारा (9) के उपबंधों के निबंधनों के अनुसार उपधारा (1) के अधीन की गई कटौती की रकम की सीमा तक दायित्व का विधिमान्य उन्मोचन समझा जाएगा ।

(6) यदि कोई व्यक्ति, उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (5) के किसी या सभी उपबंधों का उल्लंघन करता है तो विहित प्राधिकारी, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् लिखित आदेश द्वारा यह निदेश देगा कि ऐसा व्यक्ति कटौती योग्य या कटौती की गई और सरकारी खजाने में जमा न की गई कर की रकम के दो गुना से अनधिक की राशि का शास्ति के रूप में संदाय करेगा ।

(7) धारा 39 और धारा 47 के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तनों सहित कटौती की गई किन्तु सरकारी खजाने में जमा न की गई कर की किसी रकम या इस धारा के अधीन अधिरोपित किसी शास्ति की वसूली को लागू होंगे ।

42. कर समाशोधन प्रमाणपत्र का प्रस्तुत किया जाना—तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी व्यक्ति को—

(i) राज्य सरकार; या

(ii) केन्द्रीय सरकार; या

(iii) कोई कंपनी, निगम, बोर्ड, प्राधिकरण, उपक्रम या कोई अन्य निकाय जो राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के या तो पूर्णत: या भागत: स्वामित्वाधीन, उसके द्वारा वित्तपोषित या उसके नियंत्रणाधीन है,

को माल के विक्रय या प्रदाय अंतर्वलित करने वाली कोई संविदा अधिनिर्णीत नहीं करेगा और किसी व्यक्ति को कोई व्यवसाय या वाणिज्य चलाने के लिए कोई अनुज्ञप्ति तब तक अनुदत्त नहीं की जाएगी जब तक कि वह राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी कंपनी, निगम, बोर्ड, प्राधिकरण, उपक्रम या किसी अन्य निकाय को, जो राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के या तो पूर्णत: या भागत: स्वामित्वाधीन, उसके द्वारा वित्तपोषित या उसके नियंत्रणाधीन है, इस आशय का विहित प्ररूप और रीति में विहित प्राधिकारी द्वारा अनुदत्त एक कर-समाशोधन प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करता है कि विहित प्राधिकारी को ऐसी संविदा का अधिनिर्णय करने या संबधित व्यक्ति को ऐसी अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने में कोई आपत्ति नहीं है :

परन्तु यह कि ऐसा प्रमाणपत्र किसी ऐसे व्यक्ति को अनुदत्त नहीं किया जाएगा जो इस अधिनियम के अधीन कोई रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी नहीं है या किसी रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी ने इस अधिनियम के अधीन किसी कर, शास्ति या देय ब्याज का संदाय करने में व्यतिक्रम किया है :

परंतु यह और कि यदि कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कर का दायी नहीं है, इस धारा के अधीन प्रमाणपत्र अनुदत्त करने के लिए आवेदन करता है और उसके मामले में संविदा का मूल्य या, यथास्थिति, ठीक आगामी बारह मास में अनुमानित आवर्त धारा 3 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक हो जाता है तो उसे ऐसा प्रमाणपत्र ऐसी शर्त के अध्यधीन रहते हुए अनुदत्त किया जाएगा कि वह विहित प्राधिकारी को, इस आशय का कि वह विहित रीति में और विहित अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त करने के लिए आवेदन करेगा, एक वचनबंध प्रस्तुत करेगा, अनुदत्त किया जाएगा और ऐसा करने में असफलता की दशा में संबंधित सरकार या व्यक्ति या प्राधिकृत व्यक्ति अधिनिर्णीत संविदा को समाप्त कर देगा ।

43. व्यौहारियों द्वारा कर के संग्रहण पर निर्बंधन—(1) धारा 40 और धारा 41 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई व्यक्ति, जो कोई रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी नहीं है, किसी व्यक्ति से, ऐसी रकम का, चाहे वह किसी भी नाम या वर्णन से ज्ञात हो, माल के विक्रय पर कर के मद्दे या तात्पर्यित हो, संग्रहण नहीं करेगा ।

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी, किसी व्यक्ति से ऐसी रकम का संग्रहण नहीं करेगा जो विक्रीत माल के विक्रय मूल्य को धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट कर की दर लागू करने के पश्चात् प्राप्त रकम से अधिक हो ।

(3) यदि कोई व्यक्ति या कोई रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो विहित प्राधिकारी विहित रीति में सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् लिखित आदेश द्वारा यह निदेश देगा कि ऐसा व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत

व्यौहारी उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंधों के उल्लंघन में संगृहीत रकम के दो गुना के बराबर की राशि का शास्ति के रूप में संदाय करेगा ।

44. इस अधिनियम के उल्लंघन में संगृहीत कर का समपहरण—(1) धारा 43 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों के उल्लंघन में किसी व्यक्ति द्वारा संगृहीत कोई रकम या किसी व्यक्ति द्वारा कर के रूप में, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो या किसी अन्य रीति में, संगृहीत कोई रकम जो इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन संदेय नहीं है, राज्य सरकार को समपहरण के लिए दायी होगी ।

(2) यदि विहित प्राधिकारी के पास, इस अधिनियम के अधीन किसी कार्रवाई के अनुक्रम में या अन्यथा यह विश्वास करने का कारण है कि कोई रकम उपधारा (1) के अधीन समपहरण के लिए दायी है, तो वह ऐसे व्यक्ति पर जिसने ऐसी रकम संगृहीत की है, विहित रीति से उससे यह हेतुक दर्शित करने की अपेक्षा करते हुए कि क्यों न उक्त रकम को राज्य सरकार को समपहृत कर लेना चाहिए, किसी सूचना की तामील करेगा और उत्तर, यदि कोई हो, की प्राप्ति पर और ऐसी जांच, जो आवश्यक समझी जाए, करने के पश्चात्, वह समपहरण का आदेश करेगा यदि रकम इस प्रकार दायी पाई जाती है ।

(3) जहां उपधारा (2) के अधीन समपहरण का आदेश किया गया है वहां अनधिकृत संग्रहण करने वाला व्यक्ति इस प्रकार समपहृत रकम का तुरंत राज्य सरकार को भुगतान कर देगा यदि उसका भुगतान पूर्व में न किया हो और ऐसा करने में असफल रहने पर, ऐसी रकम उससे ऐसे वसूलनीय होगी मानो वह उससे कर की बकाया थी ।

(4) जहां समपहरण का कोई आदेश पारित किया गया है, वहां आयुक्त विहित रीति में उस व्यक्ति की जानकारी के लिए सूचना प्रकाशित करेगा या प्रकाशित करवाएगा जिससे इस प्रकार समपहृत रकम संगृहीत की गई है ।

(5) उपधारा (4) के अधीन सूचना के प्रकाशन पर उक्त सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के भीतर ऐसी रकम या उसके भाग के प्रतिदाय के लिए राज्य सरकार से उस व्यक्ति द्वारा दावा किया जा सकेगा, जिससे वह अनधिकृत तौर पर कर के रूप में वसूल की गई थी और इस प्रयोजन के लिए प्रतिदाय का दावा करने वाला व्यक्ति विहित प्ररूप में एक आवेदन करेगा ।

(6) उपधारा (5) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर आयुक्त ऐसी जांच करेगा जो वह ठीक समझे और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि दावा विधिमान्य और ग्राह्य है और यह कि इस प्रकार प्रतिदाय के लिए दावा की गई रकम वास्तविक रूप से राज्य सरकार को संदत्त की गई है और उस अनुदत्त रकम से संबंधित कोई प्रतिदाय या परिहार नहीं किया गया था तो आयुक्त संबंधित व्यक्ति को ऐसी रकम या उसके किसी भाग का प्रतिदाय करेगा ।

(7) इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी व्यक्ति द्वारा संगृहीत कोई रकम इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा समपहृत कर ली जाए तो ऐसा समपहरण, यदि रकम राज्य सरकार को संदत्त कर दी गई हो, तो उस व्यक्ति को जिससे वह संगृहीत की गई थी, उस रकम का प्रतिदाय करने के दायित्व से उन्मोचित कर देगा ।

45. कर दायित्व को पूर्णांकित करना—इस अधिनियम के अधीन संदेय किसी कर, ब्याज या शास्ति को निकटतम दस रुपए तक पूर्णांकित कर दिया जाएगा और तद्नुसार उसका संदाय किया जाएगा ।

46. भू-राजस्व की बकाया के रूप में कर वूसली—(1) इस अधिनियम के अधीन कोई कर, ब्याज और शास्ति की वसूली के प्रयोजन के लिए धारा 10 के अधीन नियुक्त सभी प्राधिकारियों को वही शक्तियां होंगी, जो बिहार और उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 (1914 का बिहार और उड़ीसा अधिनियम 4) के अधीन प्रमाणपत्र अधिकारी में निहित हैं ।

(2) धारा 10 के अधीन नियुक्त किसी प्राधिकारी के समक्ष उपधारा (1) के अधीन कोई कार्यवाही, बिहार और उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 (1914 का बिहार और उड़ीसा अधिनियम 4) के अधीन लोक मांग की वसूली के लिए कार्यवाही समझी जाएगी और वसूली, कुर्की, विक्रय और गिरफ्तारी के लिए उक्त अधिनियम के सभी उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

47. अधिनियम के अधीन कर और अन्य दायित्वों की वसूली का विशेष ढंग—(1) धारा 39 या किसी विधि या संविदा में इसके प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, विहित प्राधिकारी, लिखित सूचना द्वारा (जिसकी एक प्रति व्यौहारी के पास उक्त प्राधिकारी को ज्ञात उसके नवीनतम पते पर भेज दी जाएगी) किसी भी समय अथवा समय-समय पर—

(क) ऐसे किसी व्यक्ति को जिससे किसी ऐसे व्यौहारी को कोई धन शोध्य है या हो सकता है, जो धारा 39 के अधीन तामील की गई मांग की सूचना का अनुपालन करने में असफल रहा है; या

(ख) ऐसे किसी व्यक्ति को, जो ऐसे व्यौहारी के लिए या उसके मद्दे कोई धन धारण करता है या पश्चात्वर्ती रूप में धारण कर सकेगा,

निदेश दे सकेगा कि वह सरकारी खजाने में, इस उपधारा के अधीन जारी सूचना में विनिर्दिष्ट रीति से धन शोध्य होने पर या धारण करने पर तुरन्त या सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर (जो धन शोध्य होने या धारण करने के पूर्व न हो) उतना धन जितना इस अधिनियम के अधीन उस व्यौहारी से शोध्य कर की रकम, ब्याज और शास्ति सहित, यदि कोई हो, चुकाने के लिए पर्याप्त हो, या कुल धन जब वह उक्त रकम के बराबर या उससे कम हो, जमा कर दे ।

(2) उपधारा (1) के अधीन सूचना जारी करने वाला प्राधिकारी, किसी भी समय या समय-समय पर ऐसी किसी सूचना का संशोधन कर सकेगा या उससे प्रतिसंहृत कर सकेगा या उस सूचना के अनुसरण में संदाय करने के समय का विस्तार कर सकेगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सूचना के अनुपालन में संदाय करने वाले व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने यह संदाय उस व्यौहारी के प्राधिकार के अधीन किया है, और ऐसे संदाय के लिए सरकारी खजाने से मिली रसीद उस रसीद में विनिर्दिष्ट रकम के विस्तार तक के ऐसे व्यक्ति के दायित्व का उस व्यौहारी के प्रति अच्छा और पर्याप्त निर्वहन होगा ।

(4) व्यौहारी के किसी दायित्व का निर्वहन करने वाला व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सूचना अपने ऊपर तामील होने के पश्चात् निर्वहन किए गए दायित्व के विस्तार तक या व्यौहारी के कर, ब्याज और शास्ति के दायित्व के विस्तार तक, दोनों में से जो भी कम हो, राज्य सरकार के प्रति व्यक्तिगत रूप से दायी होगा ।

(5) जहां किसी व्यक्ति पर उपधारा (1) के अधीन सूचना तामील की गई है वहां सूचना जारी करने वाले प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह साबित हो जाता है कि मांग धन या उसका कोई भाग व्यौहारी को देय नहीं था, या जिस समय उस पर सूचना तामील की गई थी उस समय व्यौहारी के लिए या उसकी ओर से कोई धन उस पर धारित नहीं था, और मांग धन या उसका कोई भाग व्यौहारी को देय होने की या व्यौहारी के लिए या उसकी ओर से व्यौहारी का कोई धन उस पर धारित होने की संभावना नहीं है, तो इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात से ऐसे व्यक्ति द्वारा सरकारी खजाने में, यथास्थिति, ऐसा कोई धन या उसके किसी भाग का संदाय करने की अपेक्षा किया जाना नहीं समझा जाएगा ।

(6) यदि कोई व्यक्ति इस धारा की उपधारा (1) और (4) के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करता है तो विहित प्राधिकारी, सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् लिखित रूप में आदेश देकर उसे निदेश देगा कि वह व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन संदेय रकम के दुगुने से अनधिक राशि शास्ति के रूप में संदाय करेगा ।

(7) धन की ऐसी कोई रकम जिसको संदाय करने के लिए उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को निदेश दिया गया हो, या जिसके लिए वह उपधारा (4) के अधीन राज्य सरकार के प्रति व्यक्तिगत रूप से दायी है, यदि वह असंदत्त हो तो भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी ।

(8) कर, ब्याज और शास्ति की किसी रकम, यदि कोई हो, जिसके संदाय करने की तारीख का विस्तार किया गया है या इस अधिनियम के अधीन जिनकी वसूली रोक कर रखी गई है, के संबंध में विस्तार या रोक कर रखने की अवधि के दौरान इस धारा के अधीन कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी ।

(9) इस धारा के उपबंध उस व्यौहारी या व्यक्ति से शोध्य कर, ब्याज और शास्ति, यदि कोई हो, की बकाया की वसूली के लिए किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिन लागू होंगे ।

48. प्रतिभू का दायित्व—इस अधिनियम के अधीन प्रतिभू का दायित्व, प्रतिभूति की रकम की उस सीमा तक, व्यतिक्रमी व्यौहारी की प्रतिभूति की रकम सहित विस्तारण होगा और व्यौहारी के विरुद्ध प्रवर्तनीय वसूली के सभी ढंग विहित प्राधिकारी द्वारा प्रतिभू के विरुद्ध प्रवर्तनीय होंगे ।

49. राजस्व कपट वंचना से किया गया अंतरण शून्य—जहां इस अधिनियम या बिहार वित्त अधिनियम, 1981 (1981 का बिहार अधिनियम 5) में धारा 94 द्वारा अपने निरसन से पूर्व विद्यमान के अधीन संदेय किसी कर, ब्याज या शास्ति के निर्धारण, पुनर्निर्धारण या वसूली के संबंध में किसी कार्रवाई के लंबित रहने के दौरान कोई व्यक्ति या व्यौहारी राजस्व कपट वंचना करने के आशय से किसी व्यक्ति के पक्ष में उसकी आस्तियों पर प्रभार सृजित करता है या विक्रय, बंधक, उपहार या विनिमय सहित किसी अंतरण के ढंग द्वारा कब्जे में लेता है या उससे अलग होता है तो किसी अधिनियम या संविदा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसे प्रभार या अंतरण ऐसी कार्यवाही या अन्यथा के अनुपालन के परिणामस्वरूप व्यौहारी द्वारा संदेय किसी कर या अन्य राशि के संबंध में किसी दावे के विरुद्ध शून्य होगा ।

50. कर वसूली के लिए परिसीमा अवधि—तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 39 की उपधारा (6) या धारा 47 की उपधारा (7) के प्रयोजन के लिए कोई कार्यवाही धारा 24 की उपधारा (3) के अर्थ के भीतर नियत तारीख से 12 वर्ष के अवसान के पूर्व के सिवाय इस अधिनियम के अधीन प्रारंभ न की जाएगी :

परन्तु जो विद्यमान विधि बिहार वित्त अधिनियम, 1981 (1981 का बिहार अधिनियम 5) की धारा 23क के अधीन कर आस्थगन का उपयोग करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी के लिए परिसीमा की अवधि गणना, कर की आस्थगित रकम के पुन: संदाय की अंतिम तारीख से की जाएगी :

परन्तु यह और कि जब अपील या पुनर्विलोकन के लिए आवेदन फाइल किया गया है तो, यथाउपरोक्त परिसीमा की अवधि ऐसी अपील, पुनर्विलोकन के लिए आवेदन के संबंध में पारित आदेश की तारीख से या उसके अनुसरण में पारित आदेश की तारीख से या ऐसे आदेश के परिणामस्वरूप इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, प्रारंभ करेगा ।

51. संपत्ति पर कर का प्रथम भार होना—तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के उल्लंघन के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन, किसी व्यौहारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संदेय कर, ब्याज और शास्ति की किसी रकम का, यदि कोई है, ऐसे व्यौहारी या व्यक्ति की संपत्ति पर प्रथम भार होगा ।

अध्याय 7

लेखा बहियां और जानकारी प्रस्तुत करना

52. लेखाओं का अनुरक्षण—(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी (धारा 15 के अधीन कर के संदाय के लिए अनुज्ञात व्यौहारी से भिन्न) जो—

(क) उसको या उसके द्वारा उत्पादित या बनाई गई, विनिर्मित, संसाधित, खरीदा, विक्रय या परिदत्त या अंतरित सभी माल के संबंध में सही और पूर्ण लेखाओं में विहित रीति में रखेगा;

(ख) विनिर्मित या अंतरित माल के स्टाक के रूप में भी माल के प्रेषण या आमद को सही या पूर्ण लेखाओं को विहित रीति में रखेगा ।

(2) ऐसे व्यौहारी या व्यक्ति जो विहित किए जाएं और जो ऐसे अन्य व्यौहारी जिनके संबंध में उपधारा (1) लागू होती है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर, यथावत रीति से—

(क) विनिर्माता की दशा में, विनिर्माण, व्यापार और लाभ और हानि खाता और तुलन पत्र तैयार करेंगे; और

(ख) किसी अन्य दशा में यथाविहित रीति से ऐसे लेखे तैयार करेंगे :

परन्तु उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी लेखा को तब तक सही और पूर्ण नहीं समझा जाएगा जब तक ऐसे लेखे के आधार पर इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन संदेय कर और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर प्रत्यय निवेश की हकदारिता की संगणना करने में विहित अधिकारी समर्थ न हो :

परन्तु यह और कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट लेखे को सही और पूर्ण नहीं समझा जाएगा, जब तक वे निम्नलिखित के संबंध में, सही और उचित अभिमत नहीं देते हों—

(i) तुलनपत्र की दशा में वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर व्यौहारी या व्यक्ति के कार्यकलाप की स्थिति; और

(ii) विनिर्माण, व्यापार और लाभ और हानि खाते की दशा में वित्तीय वर्ष में व्यौहारी या व्यक्ति के कार्य परिणाम का ।

(3) उपधारा (1) द्वारा, लेखे रखने के लिए अपेक्षित प्रत्येक व्यौहारी या व्यक्ति—

(क) अपने कारबार के स्थान से माल के सभी अंतरण के संबंध में जो विक्रय से अन्यथा हो, यथाविहित प्ररूप में, चालान जारी करेगा; और

(ख) सभी बीजकों को, उस वर्ष की समाप्ति से जिससे वे संबंधित हैं, छह वर्ष से अन्यून की अवधि तक, जो उस वर्ष के लिए निर्धारण अपील या पुनरीक्षण पूरा हो जाने के पश्चात् दो वर्ष की अवधि के लिए या संबंधित हो, जो भी पश्चात् में हो, संरक्षित रखेगा ।

(4) धारा 15 के अधीन कर संदाय का अनुज्ञात प्रत्येक व्यौहारी—

(क) वर्ष के दौरान उसके खरीदे या विक्रय के और यथाविहित ऐसे अन्य लेखा उपदर्शित करने वाले लेखा रखेगा;

(ख) प्रत्येक वर्ष के अंत में यथाविहित रीति में व्यापार और फायदे तथा नुकसान का लेखा तैयार करेगा ।

53. कर बीजक और नामे नोट और जमा नोट का जारी करना—(1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी ऐसे अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी को इस अधिनियम के अधीन कर के लिए दायी विक्रय को करते समय उस विक्रेता को, विक्रय के समय, कर बीजक उपलब्ध कराएगा जिसमें उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे और उसकी एक प्रति प्रतिधारित करेगा :

परन्तु कोई कर बीजक—

(क) धारा 15 के अधीन कर का संदाय करने के लिए अनुज्ञात व्यौहारी द्वारा कर; या

(ख) किसी व्यौहारी द्वारा अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य या निर्यात के अनुक्रम में जारी नहीं किया जाएगा और ऐसी दशा में फुटकर बीजक जारी करेगा :

परन्तु यह कि प्रत्येक ऐसे विक्रय के लिए एक से अधिक कर बीजक जारी नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह भी कि यदि कोई बीजक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) के उपबंधों के अधीन जारी किया गया है तो वह कर बीजक समझा जाएगा, यदि वह उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट ब्यौरे अंतर्विष्ट करता है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कर बीजक मूल की प्रति के रूप में उसमें निम्नलिखित विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी, अर्थात् :—

(क) "कर बीजक" शब्द प्रमुख स्थान में होगा;

(ख) रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी के विक्रय व्यवसाय का नाम, पता और करदाता पहचान संख्या;

(ग) क्रेता का नाम, पता और करदाता पहचान संख्या;

(घ) जो कर बीजक जारी किया गया है, उसका व्यष्टि पूर्व मुद्रित क्रमांक संख्या और तारीख;

(ङ) विक्रय माल के और कर भारित रकम का वर्णन, मात्रा, परिमाण और मूल्य को पृथक् रूप से उपदर्शित किया जाए;

(च) उसके द्वारा प्राधिकृत विक्रय व्यौहारी या उसका प्रबंधक, अभिकर्ता या नौकर के हस्ताक्षर; और

(छ) व्यौहारी के उसके द्वारा मुद्रित और आपूर्ति किए गए कर बीजकों के प्रथम और अंतिम क्रम संख्या एवं मुद्रक के नाम और पते ।

(3) विक्रय के संबंध में किसी कर बीजक की मूल प्रति या द्वितीय प्रति में जारी किया जाएगा जो क्रेता को जारी किया जाएगा (या यथास्थिति परिदान लेने वाले व्यक्ति को) और विक्रय व्यौहारी द्वारा द्वितीय प्रति रखी जाएगी ।

(4) जब उपधारा (1) के अधीन कर बीजक जारी किया गया है तो विक्रेता व्यौहारी यथाविहित मूल्यों में ऐसी रकम से अधिक का माल किसी व्यक्ति के एक संव्यवहार में विक्रय व्यौहारी से अपना किसी व्यक्ति को विक्रय करे तो क्रेता उसे धारा 5 में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों में अन्तर्विष्ट फुटकर बीजक जारी करेगा और उसकी एक प्रति प्रतिधारण करेगा ।

(5) उपधारा (4) के अधीन फुटकर बीजक, उनकी मूल प्रति के साथ निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट करके जारी किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) "फुटकर बीजक" या "रोकड़ ज्ञापन" या बिल शब्द किसी प्रमुख स्थान में;

(ख) यदि रजिस्ट्रीकृत है तो विक्रय व्यौहारी कर नाम, पता और करदाता पहचान;

(ग) अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में विक्रय करने की दशा में, उस क्रय करने वाले व्यौहारी का नाम, रजिस्ट्रीकरण संख्या और उसका पता और केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) के अधीन किसी प्ररूप का प्रकार, यदि कोई हो, जिसमें विक्रय किया गया है;

(घ) कोई व्यष्टि पूर्व मुद्रित क्रमांकित संख्या और तारीख जिसको फुटकर बीजक जारी किया गया;

(ङ) माल विक्रय का वर्णन, मात्रा, परिमाण और मूल्य उस पर पृथक् रूप से उपदर्शित भारित कर की रकम;

(च) उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत, विक्रय व्यौहारी या उसके नौकर, प्रबंधक, अभिकर्ता के हस्ताक्षर ।

(6) फुटकर बीजक दो प्रतियों में जारी किया जाएगा और जिसकी मूल प्रति क्रेता को जारी की जाएगी और दूसरी प्रति विक्रय व्यौहारी द्वारा अपने पास रख ली जाएगी ।

(7) आयुक्त, अधिसूचना द्वारा, रीति और प्ररूप विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिसमें किसी कर बीजक या फुटकर बीजक की विशिष्टियों को अभिलिखित किया जाएगा ।

(8) यदि कोई क्रेता मूल कर बीजक के खोने का दावा करता है तो विक्रेता व्यौहारी ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन जो विहित की जाएं, मूल कर बीजक की प्रति के रूप में स्पष्ट तौर पर चिह्नित करके ऐसे कर बीजक की प्रति उपलब्ध कराएगा ।

(9) जहां कर बीजक किसी विक्रय के संबंध में जारी किया गया हो और—

(क) उस कर बीजक में कर के रूप में उपदर्शित रकम, विक्रय के संबंध में संदाय कर से अधिक हो, तो व्यौहारी साख पत्र के साथ क्रेता को, जो विहित किया जाए, ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट करके उपलब्ध कराएगा ।

(ख) विक्रय के संबंध में संदेय कर उस कर बीजक पर कर के रूप में उपदर्शित रकम से अधिक हो, तो व्यौहारी साख पत्र के साथ क्रेता को जो विहित किया जाएगा, ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट करके उपलब्ध कराएगा ।

(10) हर व्यौहारी उपधारा (1) में निर्दिष्ट कर बीजकों और फुटकर बीजकों सहित लेखा बहियों को वर्ष की समाप्ति के पश्चात् छह वर्ष के अवसान तक या ऐसी अन्य अवधि के लिए, जो विहित की जाए, संरक्षित रखेगा ।

(11) यदि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो विहित प्राधिकारी व्यौहारी को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात् उसे शास्ति के रूप में प्रत्येक विक्रय के संदाय कर की रकम का जिसके संबंध में ऐसा उल्लंघन किया गया है दुगुने के समतुल्य संदाय करने का निदेश देगा ।

54. कतिपय मामलों में लेखाओं की संपरीक्षा किया जाना—(1) प्रत्येक व्यौहारी जो सकल चालीस लाख रुपए से अधिक आवर्त, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी लेखाकार द्वारा अपने वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा—

(i) किसी कंपनी के मामले में और कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत और आगामी वर्ष के नवंबर 30 तक; और

(ii) किसी अन्य मामले में आगामी वर्ष के 31 अक्टूबर तक,

कराएगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यौहारी उस उपधारा में निर्दिष्ट तारीख तक विहित प्ररूप में ऐसे लेखाकार द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित तथा ऐसी विशिष्टियों को उपवर्णित करके जो यथाविहित की जाए, ऐसी रिपोर्ट की विहित और सही प्रति ऐसी विशिष्टियों द्वारा नियत तारीख तक या उससे पूर्व विहित प्राधिकारी को, ऐसे व्यौहारी द्वारा प्रस्तुत की जाएगी ।

स्पष्टीकरण 1—इस उपधारा में "नियत तारीख" से अभिप्रेत है—

(क) जहां व्यौहारी कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अर्थान्तर्गत कोई कंपनी है जो उस वर्ष के जिससे विवरणी संबंधित है, आगामी वर्ष के नवम्बर की 30 तारीख;

(ख) उस दशा में जहां व्यौहारी अन्य कंपनी से भिन्न एक व्यक्ति है,—

(i) उस दशा में जहां व्यौहारी के लेखा, इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के अधीन संपरीक्षित किए जाने अपेक्षित हैं या जहां किसी लेखाकार की रिपोर्ट धारा 55 के अधीन पेश की जानी अपेक्षित है, वहां उस वर्ष के जिससे ऐसी विवरणी संबंधित है आगामी वर्ष के अक्तूबर की 31 तारीख;

(ii) किसी अन्य मामले में, उस वर्ष के जिससे ऐसी विवरणी संबंधित है आगामी वर्ष की 31 जुलाई ।

स्पष्टीकरण 2—इस धारा के प्रयोजन के लिए लेखाकार से अभिप्रेत है चार्टर्ड अकाउंटेट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अर्थ के भीतर और जिसके अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 226 की उपधारा (2) के उपबंधों के द्वारा जो किसी राज्य में रजिस्ट्रीकृत कंपनी के संपरीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किए जाने का हकदार है ।

(3) यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी के लेखाओं का उपधारा (1) के उपबंधों के निबंधनों के अनुसार संपरीक्षित किया जाना अपेक्षित नहीं है तो ऐसा व्यौहारी आगामी उस वर्ष के, जिससे ऐसे लेखे या विवरण संबंधित हैं, 31 जुलाई को या उससे पूर्व धारा 52 की उपधारा (2) में उल्लिखित लेखाओं और विवरणों को विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा ।

(4) यदि कोई व्यौहारी उपधारा (2) या उपधारा (3) के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो विहित प्राधिकारी, व्यौहारी को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात् ऐसे व्यतिक्रमण के प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए धारा 36 के अधीन उसके द्वारा संदाय कर के दो प्रतिशत के समतुल्य कोई राशि शास्ति के रूप में, किसी संदाय कर के अतिरिक्त उस पर अधिरोपित करेगा ।

55. सरकारी विभागों, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, निकासी और अग्रेषण अभिकर्ता तथा भांडागार माल गोदामों के मालिकों तथा अन्यों द्वारा सूचना देना—(क) प्रत्येक बैंक जिसके अंतर्गत किसी बैंक की कोई शाखा भी है या राज्य में कोई समाशोधन गृह या किसी वित्तीय संस्था, सरकारी विभाग, निगम, संस्था, संगठन या कंपनी, बोर्ड, प्राधिकारी, उपक्रम या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णत: या आंशिक रूप से स्वामित्व प्राप्त, वित्तपोषित या नियंत्रित कोई निकाय; और

(ख) धारा 59 के स्पष्टीकरण के खंड (क) में परिभाषित प्रत्येक निकासी, अग्रेषण, या बुकिंग अभिकर्ता या दलाल या ऐसा कोई व्यक्ति जो माल के परिवहन के व्यवसाय में कार्यरत है,

यदि धारा 10 के अधीन नियुक्त किसी प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार अपेक्षित किया जाए तो ऐसी विशिष्टियां प्रस्तुत करेगा जिन्हें ऐसे प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित किया जा सकेगा, जो ऐसे व्यौहारी या किसी व्यौहारी के या ऐसे बैंकों के माध्यम से निकासी या किसी वित्तीय संस्था, सरकारी विभाग, निगम, संस्था, संगठन या कंपनी, बोर्ड या प्राधिकारी, उपक्रम या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णत: या आंशिक रूप से वित्तपोषित या नियंत्रित किसी निकाय के साथ माल के क्रेता या विक्रेता के संव्यवहार के संबंध में अपेक्षित हो ।

अध्याय 8

निरीक्षण, तलाशी और अभिग्रहण

56. लेखा, निरीक्षण, तलाशी और अभिग्रहण की बहियों का पेश करना—(1) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए जा सकेंगे, धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त कोई प्राधिकारी, निर्धारण के पूर्व या पश्चात् अपने समक्ष किसी व्यौहारी से कोई लेखा या रजिस्टर या दस्तावेज, या उसके क्रयों और विक्रयों के ब्यौरे के संबंध में कोई जानकारी देने की और ऐसे व्यौहारी द्वारा उत्पादित, प्रसंस्कृत, संसाधित, विनिर्मित, क्रय किए गए, विक्रय किए गए या परिदत्त माल के स्टाक के ब्यौरे देने की अपेक्षा कर सकेगा और व्यौहारी ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा ।

(2) यदि यह संदेह करने के लिए, युक्तियुक्त आधार विद्यमान हैं कि—

(क) किसी व्यौहारी ने अधिनियम के अधीन अपने कर दायित्व को कम करने के आशय से, कोई वित्तीय संव्यवहार, संव्यवहार में मूल्य वर्धन के तत्व अस्पष्ट हैं या ऐसे व्यौहारी द्वारा उत्पादित, प्रसंस्कृत, विनिर्मित, क्रय किए, विक्रय किए गए या परिदत्त किए गए माल के स्टाक को छुपाया है या हकदारी से अधिक कर प्रत्यय निवेश का दावा किया है; या

(ख) माल के परिवहन में लगे हुए किसी समाशोधक या अग्रेषक अभिकर्ता या व्यक्ति या किसी भाण्डागार या गोदाम का स्वामी अपने लेखे ऐसी रीति में रख रहा है या रख चुका है जिससे इस अधिनियम के अधीन संदेय कर के अपवंचन के कारित होने की संभावना है,

विहित प्राधिकारी ऐसी और जांच करने के पश्चात् जैसी ठीक समझी जाए और विहित रीति में ऐसा प्राधिकार अभिप्राप्त करने के पश्चात्, व्यौहारी या माल परिवहन के कारबार में लगे किसी समाशोधक या अग्रेषक अभिकर्ता या व्यक्ति या भांडागार या गोदाम के स्वामी के कारबार के सभी स्थानों के निरीक्षण करने को अग्रसर होगा :

परन्तु यदि विहित प्राधिकारी का यह समाधान हो गया है कि ऐसा प्राधिकार अभिप्राप्त करने में विलंब का राजस्व के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकेगा तो वह कारणों को अभिलिखित करके किसी व्यौहारी या माल के परिवहन करने के कारोबार में समाशोधक या अग्रेषक अभिकर्ता या व्यक्ति या भांडागार या गोदाम के स्वामी के कारबार के सभी स्थानों के निरीक्षण की कार्यवाही ऐसा प्राधिकार प्राप्त किए बिना कर सकेगा जो पश्चात्वर्ती रूप में अनुदत्त किया जा सकेगा ।

(3) विहित प्राधिकारी, ऐसे व्यौहारी या व्यक्ति के परिसरों, जिसमें कारबार का स्थान भी सम्मिलित है, में प्रवेश करने और तलाशी करने की शक्ति रखेगा और कारणों को अभिलिखित करके उस व्यौहारी या व्यक्ति के ऐसे लेखाओं, रजिस्टरों या दस्तावेजों का आवश्यकतानुसार विहित रीति में अभिग्रहण कर सकेगा और उस समय तक जब तक इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के संबंध में या किसी विधि के अधीन अभियोजन के लिए आवश्यक हो, प्रतिधारित कर सकेगा :

परन्तु यह कि यदि व्यौहारी या व्यक्ति जिसके लेखाओं, रजिस्टर, दस्तावेज का अभिग्रहण हुआ हो, उसी की प्रति के लिए आवेदन किया जाता है तो राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी बैंक या सरकारी कोषागार में समुचित लागत के संदाय पर उसकी फोटोप्रति उपलब्ध कराई जाएगी :

परन्तु यह और कि ऐसा प्राधिकारी या निरीक्षक लेखाओं, रजिस्टर या दस्तावेजों की ऐसी प्रतियों को प्राप्त कर सकेगा, या मांग सकेगा या उद्धरण ले सकेगा जिन्हें ऐसा प्राधिकारी या निरीक्षक आवश्यक समझ सकेगा ।

(4) (क) उपधारा (1) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी प्राधिकारी को किसी माल को अधिग्रहण करने की शक्ति होगी जो किसी व्यौहारी या धारा 59 के स्पष्टीकरण के खंड (क) में यथा परिभाषित दलाल है या विहित रीति में माल के परिवहन के कारबार में लगे भांडागार के मालिक या समाशोधक, बुकिंग या अग्रेषण अभिकर्ता या किसी व्यक्ति की लेखाओं में लेखा-जोखा उचित रूप से नहीं हैं ।

(ख) खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी किसी मामले में जहां खण्ड (क) में वर्णित कोई व्यौहारी या माल का भारसाधक कोई व्यक्ति किसी साक्ष्य को प्रस्तुत करने में असफल होता है या माल के उचित लेखा देने के संबंध में, उक्त प्राधिकारी का समाधान करने में असफल होता है तो ऐसे व्यक्ति या व्यौहारी को विहित रीति में सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसी शास्ति अधिरोपित करेगा, जो ऐसे माल के मूल्य पर संगणित कर की रकम के तीन गुने के बराबर होगा और यथाशीघ्र शास्ति संदाय करने पर माल निर्मुक्त करेगा ।

(ग) यदि खण्ड (क) में वर्णित कोई व्यौहारी या माल का भारसाधक व्यक्ति उसके उचित लेखा के समर्थन में कोई आवश्यक दस्तावेज पेश करने की प्रार्थना करता है तो खण्ड (क) में निर्दिष्ट प्राधिकारी माल को इस शर्त पर निर्मुक्त करेगा कि व्यौहारी या ऐसा व्यक्ति माल के मूल्य की संगणित रकम के तीन गुने के बराबर प्रतिभूति के तौर पर सरकारी खजाने में नकद के रूप में या प्राधिकारी को प्रतिग्राह्य बैंक प्रतिभूति के रूप में जमा करेगा ।

(घ) यदि खण्ड (क) के अधीन अभिगृहीत माल का किसी व्यक्ति द्वारा दावा नहीं किया गया है तो उक्त खण्ड में निर्दिष्ट प्राधिकारी माल अभिरक्षा की व्यवस्था करेगा ।

(ङ) यदि खण्ड (ख) के अधीन अधिरोपित शास्ति संदत्त नहीं की गई है या अभिग्रहण की तारीख से तीस दिन या अधिक की अवधि के लिए माल अदावाकृत हो तो इस प्रकार अभिगृहीत माल को विहित रीति में नीलाम द्वारा विक्रीत किया जाएगा और विक्रय आगम खण्ड (ख) के अधीन अधिरोपित शास्ति की रकम के मद्दे विनियोजित की जाएगी; और विक्रय आगम की शेष, यदि कोई हो, सरकारी खजाने में जमा की जाएगी और विहित रीति में विधिपूर्ण दावेदार को लौटा दी जाएगी :

परन्तु किसी विनश्वर प्रकृति के माल की दशा में विहित प्राधिकारी तीस दिन की अवधि से पूर्ण नीलामी द्वारा माल विक्रय का विनिश्चय कर सकेगा ।

(च) ऐसे मामले में जहां खण्ड (ग) में वर्णित प्रतिभूति जमा करने पर माल निर्मुक्त किया गया है और खण्ड (क) में निर्दिष्ट प्राधिकारी के समाधान में माल के उचित लेखा रखने से संबंधित साक्ष्य, उस प्रतिभूति के जमा करने की तारीख से तीस दिन के भीतर पेश न किया गया हो तो प्रतिभूति की रकम राज्य सरकार को समपहृत हो जाएगी :

परन्तु यदि खण्ड (क) में वर्णित प्राधिकारी को उक्त तीस दिन की अवधि के भीतर प्रस्तुत की गई माल के उचित लेखा के संबंध में साक्ष्य या दस्तावेज से समाधान हो जाता है तो प्रतिभूति विहित रीति से निर्मुक्त कर दी जाएगी ।

(5) (क) उपधारा (3) और (4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों में किसी संदूक या पात्र का ताला या ऐसे किसी स्थान या परिसर का दरवाजा खोलने की शक्ति सम्मिलित है जहां कोई लेखा, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज या माल रखा जा सकेगा या रखे जाने की युक्तियुक्त आशंका हो ।

(ख) उपधारा (3) और (4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों में किसी संदूक या पात्र या गोदाम या भवन को सील करने की शक्ति सम्मिलित है जहां कोई लेखा, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज या माल रखा जा सकेगा या रखे जाने की युक्तियुक्त आशंका हो ।

(6) धारा 10 के अधीन नियुक्त कोई प्राधिकारी इस धारा के अधीन अधिगृहीत माल की तलाशी और अधिग्रहण या सुरक्षित अभिरक्षा के लिए किसी व्यक्ति, लोक सेवक या पुलिस अधिकारी से सहायता की अपेक्षा कर सकेगा और इस मामले में ऐसा व्यक्ति, लोक सेवक, या पुलिस अधिकारी आवश्यक सहायता करेगा ।

(7) जहां उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन किसी तलाशी के दौरान किसी व्यक्ति के कब्जे या नियंत्रण में कोई लेखा बहियां, अन्य दस्तावेज, धन या माल पाया जाता है वहां, जब तक इसके प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है तब तक वहां यह माना जाएगा कि ऐसी लेखा बहियां, दस्तावेज, धन या माल उसी व्यक्ति का है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए "समुचित लेखा" अभिव्यक्ति से—

(i) व्यौहारी के मामले में यह अभिप्रेत है कि लेखा बहियों में माल प्रविष्ट नहीं किया गया है या उस रीति से माल वर्गीकृत किया गया है, जिससे इस अधिनियम के अधीन संदेय कर की अपवंचना होती है; या

(ii) भांडागार के स्वामी या समाशोधन, बुकिंग या अग्रेषण अभिकर्ता या माल के परिवहन के कारबार में लगे व्यक्ति के मामले में अभिप्रेत है कि धारा 59 की उपधारा (2) के अधीन यथाविहित रजिस्टर या लेखा में समुचित रूप से प्रविष्ट करना ।

(8) जहां तक हो सके दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2), में तलाशियों और अभिग्रहण के उपबंध, इस धारा के अधीन की जाने वाली तलाशियों और अभिग्रहण के संबंध में लागू होंगे ।

57. संव्यवहारों की प्रतिजांच या सत्यापन—(1) इस अधिनियम के अधीन संदेय कर अपवंचन को रोकने और इस अधिनियम के उपबंधों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से समय-समय पर विहित प्राधिकारी व्यौहारी के किसी वर्ग द्वारा किए गए विक्रयों और क्रय के संबंध में जानकारी एकत्र कर सकेगा और क्रय और विक्रय के ऐसे संव्यवहारों में से किसी संव्यवहार की प्रतिजांच करवा सकेगा ।

(2) इस प्रयोजन के लिए विहित प्राधिकारी समय-समय पर और विहित रीति और प्ररूप में कोई सूचना जारी करके, व्यौहारी के किसी वर्ग से ऐसे प्राधिकारी के समक्ष और ऐसी तारीख तक जो उक्त सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसी सूचना, ब्यौरे और विशिष्टियां, विनिर्दिष्ट की जाएं सूचना में उल्लिखित अवधि के दौरान व्यौहारी द्वारा किए गए विक्रयों और क्रय के संव्यवहारों से संबंधित हो, प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

(3) ऐसे विहित प्राधिकारी, क्रय करने वाले और विक्रय करने वाले व्यौहारी के लेखाबहियों के प्रतिनिर्देश से ऐसे किसी संव्यवहार की प्रतिजांच करवाएगा और इस प्रयोजन के लिए, विहित प्राधिकारी प्रतिजांच के प्रयोजन के लिए प्रतिजांच किए जाने के लिए प्रस्तावित संव्यवहारों के ब्यौरे और उस समय और तारीख को उसमें उल्लिखित करते हुए अपेक्षित सूचना भेजेगा, जिसको ऐसे संव्यवहारों को चैक करने के लिए कोई अधिकारी या सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति उस स्थान का निरीक्षण करेगा जहां ऐसे व्यौहारी द्वारा लेखाबहियां सामान्य तौर पर रखी जाती हैं ।

58. सर्वेक्षण—(1) ऐसे व्यौहारी, जो इस अधिनियम के अधीन कर का संदाय करने के दायी हैं किन्तु अरजिस्ट्रीकृत रहे हैं, की पहचान करने की दृष्टि से, विहित प्राधिकारी समय-समय पर इस प्रयोजन के लिए अरजिस्ट्रीकृत व्यौहारियों का सर्वेक्षण करवाएगा ।

(2) सर्वेक्षण के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी, विहित प्ररूप में सूचना द्वारा किसी व्यौहारी या व्यौहारियों के वर्ग से उन व्यक्तियों और व्यौहारियों के नाम, पते और अन्य विशिष्टियां विनिर्दिष्ट रीति में, प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा, जिन्होंने निश्चित अवधि के दौरान ऐसे व्यौहारी या व्यौहारियों के वर्ग से कोई माल क्रय या विक्रय किया है ।

(3) सर्वेक्षण के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी विहित प्ररूप में सूचना द्वारा ऐसी लोकोपयोगिता, वित्तीय संस्थाओं से, जिनके अंतर्गत बैंककारी कंपनियां, निकासी और अग्रेषण अभिकर्ता, भांडागार के स्वामी, ऐसे दलाल और व्यक्ति जो माल परिवहन के कारबार में लगे हैं, भी हैं, ऐसे प्राधिकारी की राय उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं से संबंधित ब्यौरे और विशिष्टियां मांग सकेगा जो ऐसे प्राधिकारी की राय में, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सुसंगत और उपयोगी होंगी ।

59. निकासी, अग्रेषण या बुकिंग अभिकर्ता और माल परिवहन करने वाले किसी व्यक्ति पर नियंत्रण—(1) प्रत्येक निकासी, अग्रेषण या बुकिंग अभिकर्ता या दलाल या माल परिवहन करने वाला कोई व्यक्ति जो अपने कारबार के दौरान माल के हक के दस्तावेज को संभालता है या माल का परिवहन करता है या किसी व्यौहारी के लिए या उसकी ओर माल का परिदान लेता है और बिहार राज्य में कारबार का अपना स्थान है, विहित प्राधिकारी को अपने कारबार के स्थान के संबंध में सही, सम्पूर्ण विशिष्टियां और जानकारी ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, प्रस्तुत करेगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक अभिकर्ता या व्यक्ति ऐसे सही और सम्पूर्ण लेखे, रजिस्टर और दस्तावेज रखेगा जो उसके द्वारा व्यापार किए गए माल और उससे संबंधित हक के दस्तावेजों की बाबत विहित किए जाएं और उक्त लेखे और रजिस्टर और दस्तावेज को विहित प्राधिकारी के समक्ष जब और जैसी उसके द्वारा अपेक्षा की जाए, प्रस्तुत करेगा ।

(3) यदि, उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई अभिकर्ता या व्यक्ति ऐसी रीति में उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करता है जिससे इस अधिनियम के अधीन संदेय किसी कर के अपवंचन होने की संभावना हो सकती है, विहित प्राधिकारी धारा 81 के अधीन किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना दुष्प्रेरण के आरोप पर ऐसे अभिकर्ता या व्यक्ति को सुने जाने का अवसर दिए जाने के पश्चात् उसे ऐसी रकम शास्ति के रूप में संदाय करने के लिए निदेश दे सकेगा, जो उन वस्तुओं के मूल्य पर संगणित कर की रकम के तीन गुना के बराबर होगी जिसकी बाबत सम्पूर्ण विशिष्टियां प्रस्तुत नहीं की गई हैं या गलत विशिष्टियां या जानकारी प्रस्तुत की गई हैं ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "दलाल" के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति होगा जो किसी रेल स्टेशन पर माल के परेषण की बुकिंग के लिए या उसके परिदान लेने के लिए, बुकिंग अभिकरण, माल परिवहन कंपनी कार्यालय या माल लदाई या उतराई के किसी स्थान पर, अपनी सेवाएं प्रदान करता है, किसी फीस, पुरस्कार, कमीशन, पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान प्रतिफल या अन्यथा, के लिए किसी व्यौहारी के लिए या उसकी ओर से कोई सौदेबाजी और संविदा करता है या उन्हें समाप्त करता है;

(ख) "माल परिवहन करने वाला व्यक्ति" के अन्तर्गत स्वामी के अतिरिक्त इसके अंतर्गत प्रबंधक, अभिकर्ता, चालक या स्वामी का कर्मचारी या रेल मुखिया से भिन्न माल की लदाई और उतराई स्थल का भारसाधक व्यक्ति या डाकघर या ऐसे माल को वहन करने वाला मालवाहक का भारसाधक व्यक्ति या कोई ऐसा व्यक्ति जो ऐसे माल के परेषणों को, अन्य स्थानों पर प्रेषण के लिए या ऐसे माल के किसी परेषण का, परेषिती को परिदान करने के लिए स्वीकार करता है, सम्मिलित होंगे ।

अध्याय 9

चैक पोस्ट और संचलन पर निर्बन्धन

60. चैक पोस्टों का स्थापन—(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन संदाय कर के अपवंचन को रोकने के लिए राज्य में, किसी भी स्थान में चैक पोस्ट और अवरोधक को ऐसी रीति में जो विहित की जाए, स्थापित करेगी, परिनिर्मित कर सकेगी ।

(2) उन मालों से भिन्न जो अनुसूची (1) में विनिर्दिष्ट हैं, माल को परिवहन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित की जाएं, उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी चैक पोस्ट या अवरोधक पर और ऐसे चैक पोस्ट या अवरोधक को पार करने से पहले ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी के समक्ष जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाए ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, सही और संपूर्ण घोषणा फाइल करेगा ।

(3) कोई प्राधिकारी या अधिकारी, जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाए, सत्यापन के प्रयोजन के लिए, चाहे कोई माल उक्त उपधारा (2) के उपबंधों के उल्लंघन में परिवहित किया जा रहा हो और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, किसी मालवाहक को अंतर्रुद्ध कर सकेगा, निरुद्ध कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा; और वह व्यक्ति जो माल परिवहन कर रहा है या तत्समय, माल का भारसाधक है, इसे प्राधिकारी या अधिकारी को तलाशी लेने में सभी संभव सहायता देगा ।

(4) (क) उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्राधिकारी या कोई अधिकारी, यान या वाहन के साथ किसी माल को, ऐसे माल की पैकिंग सामग्री या किसी पात्र सहित अधिग्रहण कर सकेगा, जिस पर वह यह संदेह करता है कि वे उपधारा (2) के उपबंधों के उल्लंघन में परिवहन की जा रही है :

परन्तु इस उपधारा के अधीन अधिग्रहण किए गए सभी माल की सूची ऐसे अधिकारी द्वारा तैयार की जाएगी और अधिकारी, व्यौहारी या माल के भारसाधक व्यक्ति और कम से कम दो साक्षियों द्वारा हस्ताक्षरित होगी और अधिग्रहण सूची की एक प्रति, यथास्थिति, व्यौहारी या माल के भारसाधक व्यक्ति को दी जाएगी ;

(ख) धारा 56 के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तन सहित माल के ऐसे अधिग्रहण, शास्ति, प्रतिभूति, निर्मुक्ति और अधिहरण में लागू होंगे ।

61. माल के संचलन पर निर्बंधन—(1) कोई व्यक्ति—

(क) बिहार राज्य से बाहर किसी स्थान से बिहार राज्य के भीतर किसी स्थान पर, या

(ख) बिहार राज्य के भीतर किसी स्थान से बिहार राज्य से बाहर किसी स्थान पर, या

(ग) बिहार राज्य के भीतर किसी स्थान से ऐसे किसी अन्य स्थान पर, माल का परिवहन करते समय उस माल के संबंध में जो मालवाहक, यान या जलयान द्वारा परिवहित किया गया है या अन्यथा मार्गस्थ या मार्गस्थ भंडारण में हैं, बिक्री के परिणामस्वरूप किसी संचलन की दशा में, यथास्थिति, कैश मेमो, फुटकर बीजक, बिल या कर बीजक से समर्थित यथाविहित प्ररूप में कोई घोषणा या बिक्री से अन्यथा किसी परिणामस्वरूप, किसी संचलन की दशा में किसी चालान से समर्थित यथाविहित प्ररूप में कोई घोषणा वहन

करेगा और विहित प्राधिकारी के समक्ष, मांगे जाने पर, घोषणा के उपरोक्त प्ररूप में, यथास्थिति, कैश मेमो या बिल या कर बीजक या चालान प्रस्तुत करेगा :

परन्तु आयुक्त राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस उपधारा की अपेक्षा से जहां तक वह घोषणा वहन करने से संबंधित है विशिष्ट मूल्य या मात्रा से कम परेषण को छूट दे सकेगा ।

(2) कोई प्राधिकारी या अधिकारी को जिसे इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया है, सत्यापन के प्रयोजन के लिए कि क्या कोई माल उपधारा (1) के उपबंधों के उल्लंघन में परिवहित किया गया, किसी मालवाहक की तलाशी, यान या जलयान को अंतर्रुद्ध, निरुद्ध कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा और भांडागार या गोदाम या मार्गस्थ भंडारण का कोई अन्य स्थान, जहां माल को परिवहन के दौरान रखा गया है, की तलाशी भी ले सकता है और यदि ऐसी तलाशी और सत्यापन पर, उक्त प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि माल का परिवहन उपधारा (1) के उपबंधों के उल्लंघन में किया गया है, वह ऐसे किसी माल को, ऐसे माल की पैकिंग के लिए सामग्री या आधान सहित अधिग्रहण कर सकेगा :

परन्तु इस उपधारा के अधीन अधिग्रहण किए गए सभी माल की सूची ऐसे अधिकारी द्वारा तैयार की जाएगी और अधिकारी, व्यौहारी या माल के भारसाधक व्यक्ति और साक्षियों जो दो से कम न हों, द्वारा हस्ताक्षरित होगी और अधिग्रहण सूची की एक प्रति व्यौहारी या माल के भारसाधक व्यक्ति को, जैसा मामला हो, दे दी जाएगी ।

(3) धारा 56 के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तन सहित माल के अधिग्रहण, शास्ति, प्रतिभूति, निर्मुक्ति और अधिहरण के मामलों पर लागू होंगे ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी माल को अधिग्रहण करने की शक्ति में, माल वाहन जिस पर माल का परिवहन किया गया है अधिग्रहण करने की शक्ति भी सम्मिलित है ।

62. बिहार राज्य से होकर माल का परिवहन—(1) यदि किसी माल का परेषण सड़क द्वारा बिहार राज्य से बाहर किसी स्थान से अन्य ऐसे स्थान पर परिवहित किया जा रहा है और परेषण वहन करने वाला कोई यान, राज्य के राज्यक्षेत्र से गुजरता है, तो चालक या यान का कोई अन्य भारसाधक व्यक्ति राज्य में प्रवेश करने के पश्चात् मार्ग में पड़ने वाली प्रथम चैक पोस्ट के प्राधिकारी से विहित रीति में अभिवहन अनुज्ञा प्राप्त करेगा और राज्य को छोड़ने से पहले अन्तिम चैक पोस्ट के प्राधिकारी को वही अभिवहन अनुज्ञा अभ्यर्पित करेगा और मार्ग में पड़ने वाली प्रथम चैक पोस्ट को छोड़ने के बहत्तर घण्टे के भीतर ऐसा न करने की दशा में यह समझा जाएगा कि इस प्रकार परिविहित किया गया माल बिहार राज्य के भीतर यान के स्वामी या भारसाधक व्यक्ति द्वारा विक्रय किया गया है ।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट चालक या व्यक्ति उपधारा (1) के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है तो वह व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन के लिए पांच सौ रुपए की दर पर शास्ति का या उस उपधारा के उल्लंघन में परिवहित किए गए माल पर संगणित कर की रकम को दोगुनी राशि का, जो भी अधिक हो, संदाय करने का दायी होगा :

परन्तु ऐसी कोई शास्ति सुनवाई का अवसर दिए बिना उद्गृहीत नहीं की जाएगी :

परन्तु यह और कि यदि ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध कार्यवाही की गई है संदेह से परे, बहत्तर घण्टे से अधिक, किसी विलंब के कारण को न्यायोचित ठहराता है तो विहित प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं विलंब को माफ कर सकेगा ।

अध्याय 10

प्रतिनिधि की हैसियत से दायित्व

63. कारबार के अंतरण की दशा में कर संदाय करने का दायित्व—(1) जब इस अधिनियम के अधीन कर संदाय करने के लिए दायी किसी व्यौहारी के कारबार का स्वामित्व पूर्णत: अंतरित हो जाता है, तब अन्तरक और अंतरिती संयुक्तत: या पृथक्त: किसी कर, ब्याज और शास्ति, यदि ऐसे कारबार और अंतरण के समय शेष असंदत्त के संबंध में कोई संदाय है तो, संदाय करने के दायी होंगे और अंतरिती ऐसे अंतरण की तारीख से ही अंतरिती द्वारा किए गए विक्रयों या क्रयों पर कर का संदाय करने का भी दायी होगा और तुरन्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए तब तक आवेदन नहीं करेगा जब तक कि ऐसा प्रमाणपत्र पहले से ही उसके कब्जे में न हो ।

(2) जहां इस अधिनियम के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी कोई व्यौहारी स्वामित्व का या अपने कारबार के किसी भाग का अन्तरण कर देता है वहां अंतरक कारबार के उस भाग के साथ अंतरित माल के स्टाक के संबंध में कर का संदाय करने के लिए दायी होगा ।

64. मृत व्यौहारी द्वारा संदेय कर उसके प्रतिनिधि द्वारा संदत्त किया जाएगा—(1) जहां किसी व्यौहारी की मृत्यु निर्धारण के पश्चात् किन्तु इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा संदेय कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने से पूर्व हो जाती है वहां उसका निष्पादक, प्रशासक, हित उत्तराधिकारी या विधिक प्रतिनिधि मृत व्यक्ति की संपत्ति में से, ऐसे व्यौहारी द्वारा संदेय रकम उस सीमा तक, जिस तक वह प्रभार को पूरा करने में समर्थ है, संदत्त करने का दायी होगा ।

(2) जहां किसी व्यौहारी की धारा 24 के अधीन विवरणी प्रस्तुत किए बिना या विवरणी प्रस्तुत करने के पश्चात् किन्तु निर्धारण से पूर्व मृत्यु हो जाती है वहां विहित प्राधिकारी मृत व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन निर्धारण करने के लिए और संदेय

रकम को अवधारित करने के लिए कार्यवाही कर सकेगा और उक्त प्रयोजन के लिए, वह, यथास्थिति, ऐसी सभी या किन्हीं बाध्यताओं का पालन करने के लिए मृत व्यक्ति के निष्पादक, प्रशासक, हित उत्तराधिकारी या विधिक प्रतिनिधि से ऐसी अपेक्षा कर सकेगा, जो उसने इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन, मृत व्यक्ति से पालन करने की अपेक्षा की हो और इस प्रकार अवधारित रकम, मृत व्यक्ति के निष्पादक, प्रशासक हित उत्तराधिकारी या विधिक प्रतिनिधि द्वारा उस सीमा तक संदेय होगी जिस तक मृत व्यक्ति की संपत्ति ऐसे प्रभार को पूरा करने में समर्थ है ।

65. संरक्षक और न्यासी आदि का कर दायित्व—जहां, ऐसा कारबार जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन कर संदेय है, किसी अवयस्क या अन्य असमर्थ व्यक्ति की ओर से और उसके फायदे के लिए ऐसे अवयस्क या अन्य असमर्थ व्यक्ति के संरक्षक, न्यासी या अभिकर्ता द्वारा चलाया जाता है या उसके भारसाधन में है वहां कर, यथास्थिति, उस संरक्षक, न्यासी या अभिकर्ता पर ऐसी रीति से और उस सीमा तक निर्धारित किया जाएगा और वसूलीय होगा, जैसे वह किसी ऐसे अवयस्क, असमर्थ व्यक्ति पर उद्ग्रहणीय और वसूलीय होता, यदि वह वयस्क और स्वस्थचित्त होता और यदि वह स्वयं कारबार चला रहा होता और इस अधिनियम के सभी उपबंध तद्नुसार लागू होंगे ।

66. प्रतिपाल्य अधिकरण का कर दायित्व—जहां किसी ऐसे कारबार का, जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन कर संदेय है, स्वामित्व रखने वाले किसी व्यौहारी की सम्पदा या उसका कोई भाग प्रतिपाल्य अधिकरण, महाप्रशासक, शासकीय न्यासी या किसी प्रापक या प्रबंधक के जिसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी है, उसका पदाभिधान जो भी हो, जो वास्तव में कारबार का प्रबंध करता है जो किसी न्यायालय के किसी आदेश द्वारा या उसके अधीन नियुक्त किया गया है, नियंत्रणाधीन है, वहां ऐसे प्रतिपाल्य अधिकरण, महाप्रशासक, शासकीय न्यासी, प्रापक या प्रबंधक से वैसी ही रीति में और उसी सीमा तक कर का निर्धारण किया जाएगा और वह वसूलीय होगा जैसे वह व्यौहारी पर निर्धारणीय और उससे वसूलीय होता, यदि वह कारबार स्वयं चला रहा होता; और इस अधिनियम के सभी उपबंध तद्नुसार लागू होंगे ।

67. फर्म आदि के विघटन की दशा में दायित्व—जहां व्यौहारी कोई हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, फर्म या व्यक्तियों का संगम है और, यथास्थिति, ऐसे कुटुम्ब, फर्म या संगम का विभाजन हो जाता है, विघटन हो जाता है या विच्छिन हो जाता है वहां—

(क) ऐसे विभाजन, विघटन या विच्छिन्नता की तारीख तक की अवधि के लिए ऐसे कुटुम्ब, फर्म या व्यक्तियों के संगम द्वारा इस अधिनियम के अधीन संदेय कर, ब्याज और शास्ति का निर्धारण ऐसे किया जा सकेगा मानो कोई विभाजन, विघटन या विच्छिन्नता हुई न हो और इस अधिनियम के सभी उपबंध तद्नुसार लागू होंगे; और

(ख) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो ऐसे विभाजन, विघटन या विच्छिन्नता के समय किसी हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, फर्म या व्यक्तियों के संगम का सदस्य था, ऐसे विभाजन, विघटन या विच्छिन्नता के होते हुए भी, ऐसे कर, ब्याज जिसके अंतर्गत शास्ति, यदि कोई हो, भी है, के संदाय के लिए पृथक्त: और संयुक्तत: दायी होगा, जो इस अधिनियम के अधीन ऐसे कुटुम्ब, फर्म या व्यक्तियों के संगम द्वारा संदेय है, चाहे ऐसे कर, ब्याज या शास्ति की शोध्य राशियां ऐसे विभाजन, विघटन या विच्छिन्नता से पूर्व या पश्चात् की अवधि के लिए हो ।

अध्याय 11

प्रतिदाय और समायोजन

68. प्रतिदाय—(1) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, विहित प्राधिकारी किसी व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति द्वारा, उससे शोध्य रकम से अधिक संदत्त कर, शास्ति और ब्याज की रकम का, यदि कोई हो, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, प्रतिदाय करेगा ।

(2) जहां मृत्यु, असमर्थता, दिवालियापन, परिसमापन के कारण या अन्य कारण से, कोई व्यक्ति उसको शोध्य किसी प्रतिदाय का दावा करने या उसे प्राप्त करने में असमर्थ है, वहां, यथास्थिति, उसका विधिक प्रतिनिधि या न्यासी या संरक्षक या प्रापक विहित रीति में प्रतिदाय का दावा करने या उसे प्राप्त करने का हकदार होगा :

परन्तु विहित प्राधिकारी पहले ऐसी किसी अवधि के लिए किसी रकम की वसूली के मद्दे ऐसी अधिक रकम का उपायोजन करेगा जिसके संबंध में धारा 39 के अधीन सूचना जारी की गई है और तब अतिशेष, यदि कोई हो, वापस करेगा ।

69. अनंतिम प्रतिदाय—(1) यदि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन यथापेक्षित कोई विवरणी फाइल करता है या कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करता है और प्रस्तुत की गई विवरणी या साक्ष्य किसी रकम को किसी व्यौहारी को प्रतिसंदेय होना दर्शाते हैं, तब व्यौहारी अनंतिम प्रतिदाय की मंजूरी के लिए विहित प्राधिकारी को विहित प्ररूप में आवेदन कर सकेगा ।

(2) विहित प्राधिकारी उक्त व्यौहारी से ऐसी प्रतिभूति देने की अपेक्षा कर सकेगा जो प्रतिदाय की रकम के समतुल्य रकम के लिए विहित की जाए और ऐसी प्रतिभूति की प्राप्ति पर, विहित प्राधिकारी, नियमों के अधीन रहते हुए, यथापूर्वोक्त दावाकृत प्रतिदेय रकम का अनंतिम प्रतिदाय व्यौहारी को मंजूर कर सकेगा ।

(3) (क) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, यदि व्यौहारी का धारा 24 के अधीन फाइल की गई उसकी वार्षिक विवरणी और धारा 54 की उपधारा (2) के अधीन प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार इस अधिनियम के अधीन कोई दायित्व नहीं है तो उपधारा (1) के अधीन प्रतिदाय अंतिम समझा जाएगा ।

(ख) उक्त प्रतिदाय के अंतिम हो जाने पर, धारा 2 के अधीन प्रस्तुत प्रतिभूति, यदि कोई हो, उक्त व्यौहारी को वापस की जाएगी ।

(ग) यदि उपधारा (1) के अधीन वापस की गई रकम से अधिक कोई रकम ऐसी अवधि के संबंध में उक्त व्यौहारी द्वारा संदेय पाई जाती है, जिसके लिए उसने दावा किया था, और उसका ऐसा अनंतिम प्रतिदाय मंजूर कर लिया गया था, तो ऐसा आधिक्य व्यौहारी से कर के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा और वह ऐसी अधिक रकम या उसके भाग पर, अनंतिम प्रतिदाय के अनुदत्त किए जाने की तारीख से ऐसी अधिक रकम के संदाय की तारीख तक प्रतिमास डेढ़ प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का संदाय करने का दायी होगा ।

70. लंबित प्रतिदाय पर ब्याज—(1) जहां कोई रकम किसी व्यक्ति को विहित प्राधिकारी द्वारा प्रतिदाय किए जाने के लिए अपेक्षित किसी रकम का उसके प्रतिदेय होने के नब्बे दिन के भीतर, यथास्थिति, उसको प्रतिदाय नहीं किया जाता या प्रतिदाय के लिए आवेदन नामंजूर नहीं किया जाता है, वहां विहित प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति को नब्बे दिन की अवधि की समाप्ति के ठीक पश्चात् की तारीख से प्रतिदाय की तारीख तक उक्त रकम या उसके भाग पर प्रतिमास छह प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का संदाय करेगा :

परन्तु जहां अधिकरण या उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय के आदेश के आधार पर रकम प्रतिसंदेय हो जाती है वहां इस धारा के उपबंधों के अधीन ब्याज, अधिकरण, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के आदेश की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन की अवधि की समाप्ति के ठीक पश्चात् उस तारीख से प्रतिदाय की तारीख तक ऐसे अधिकारी द्वारा संदेय होगा, जिसका आदेश अधिकरण, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों की विषय वस्तु है ।

(2) यदि पूर्वोक्त नब्बे दिन की अवधि के भीतर प्रतिदाय अनुदत्त करने में विलंब, चाहे पूर्णत: या भागत: उक्त व्यक्ति के कारण हुआ माना जाता है, तो उसके कारण हुए विलंब की अवधि ऐसी अवधि से, जिसके लिए ब्याज संदेय है, अपवर्जित कर दी जाएगी ।

(3) जहां इस धारा के उपबंधों के अधीन ब्याज की संगणना के प्रयोजनों के लिए अपवर्जित की जाने वाली अवधि के बारे में कोई प्रश्न उद्भूत होता है, वहां ऐसा प्रश्न आयुक्त द्वारा अवधारित किया जाएगा, जिसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

71. कतिपय मामलों में प्रतिदाय को रोकने की शक्ति—जहां प्रतिदाय वाला कोई आदेश किसी अपील या आगे की कार्यवाहियों की विषय वस्तु है या जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अन्य कार्यवाही लंबित है और ऐसा प्रतिदाय अनुदत्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि ऐसा प्रतिदाय अनुदत्त करने से राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है तो वहां ऐसा प्राधिकारी (जो आयुक्त नहीं है) आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से ऐसे समय तक प्रतिदाय को रोक सकेगा, जो वह ठीक समझे :

परन्तु आयुक्त आवेदन किए जाने पर या इससे अन्यथा ऐसे प्रतिदाय के जारी करने के लिए आदेश कर सकेगा यदि उसकी यह राय है कि स्थिति विहित प्राधिकारी की ओर से ऐसी कार्यवाही की अपेक्षा नहीं करती है ।

अध्याय 12

अपील, पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन

72. आयुक्त और संयुक्त आयुक्त को अपील—(1) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए जाएं कोई व्यौहारी, विहित प्राधिकारी द्वारा उसके विरुद्ध पारित किसी निर्धारण आदेश या किसी ब्याज या शास्ति, उद्ग्रहण करने का आदेश या धारा 25 के अधीन किसी आदेश पर आक्षेप करता है, या कोई व्यक्ति, जो उसके विरुद्ध पारित शास्ति का आदेश या धारा 47 के अधीन किसी आदेश पर आक्षेप करता है तो वह इस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत संयुक्त आयुक्त या उपायुक्त को अपील कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई अपील तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक निर्धारण के किसी आदेश पर आक्षेप करने वाले व्यौहारी ने निर्धारित कर का पच्चीस प्रतिशत या स्वीकृत कर की पूरी रकम, जो भी अधिक हो, संदत्त न कर दी हो ।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए मांग की सूचना की प्राप्ति के पैंतालीस दिनों के भीतर फाइल की जाएगी, किन्तु जहां अपील प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास समय के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण था वहां वह विलम्ब को माफ कर सकेगा ।

(4) धारा 47 के अधीन आदेश से भिन्न किसी आदेश के विरुद्ध अपील का निपटारा करते समय अपील प्राधिकारी—

(क) (i) ऐसे आदेश की पुष्टि कर सकेगा, उसे बातिल कर सकेगा, उसमें कमी, वृद्धि कर सकेगा या उसे अन्यथा उपांतरित कर सकेगा; या

(ii) निचले प्राधिकारी को यथानिर्दिष्ट निदेशित विनिर्दिष्ट बिन्दुओं पर और जांच करने के पश्चात् नया आदेश देने का निदेश देते हुए आदेश को अपास्त कर सकेगा; और

(ख) अन्य मामलों में, कारणों को अभिलिखित करते हुए, ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह उचित समझे ।

(5) इस धारा के अधीन अपीलार्थी तथा उस प्राधिकारी को भी, जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, को सुने जाने का समुचित अवसर दिए बिना कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा ।

73. अधिकरण को अपील—(1) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार द्वारा बनाए जाएं धारा 10 में उल्लिखित कोई प्राधिकारी या धारा 72 के अधीन उपायुक्त या संयुक्त आयुक्त या धारा 74 अथवा धारा 77 के अधीन आयुक्त द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति अधिकरण में अपील कर सकेगा ।

(2) जहां कोई अपील किसी व्यौहारी द्वारा की गई है वहां अधिकरण द्वारा ऐसी अपील तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक ऐसा व्यौहारी अधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में विवाद में की रकम का पच्चीस प्रतिशत रकम जमा नहीं कर देता :

परंतु अधिकरण इस धारा के अधीन लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से जमा की गई रकम को अधित्यकत या कम कर सकेगा ।

(3) इस धारा के अधीन अपील के लिए प्रत्येक आवेदन उस आदेश की, जिसकी अपील की जानी है, संसूचना के नब्बे दिनों के भीतर फाइल किया जाएगा, परंतु जहां अधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि आवेदक को समय के भीतर आवेदन नहीं करने का पर्याप्त कारण है, तो वह विलंब की माफी दे सकेगा ।

(4) इस धारा के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक के साथ-साथ उस प्राधिकारी को भी, जिसके आदेश की अपील की गई हो, या उसके प्रतिनिधि को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दिया जाए ।

(5) उपधारा (1) के अधीन कोई अपील प्राप्त होने पर अधिकरण अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उस आदेश को जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्टि करते हुए, उपांतरित या अपास्त करते हुए ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

(6) अधिकरण, उसके द्वारा किए गए प्रत्येक आदेश की प्रति अपील के पक्षकारों और संबंधित प्राधिकारी को, जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, को भेजेगा ।

(7) उपधारा (1) के अधीन अधिकरण के समक्ष फाइल की गई अपील पर यथा-संभवशीघ्रता से विचार किया जाएगा और उसके द्वारा अपील प्राप्त होने की तारीख से छह मास के भीतर अपील का अंतिम रूप से निपटारा किए जाने का प्रयास किया जाएगा ।

74. आयुक्त की पुनरीक्षण की शक्ति—आयुक्त स्वप्रेरणा से इस अधिनियम के अधीन अपने अधीनस्थ किसी प्राधिकारी, अधिकारी या व्यक्ति द्वारा अभिलिखित किसी कार्यवाही के अभिलेख को मांग सकता है और उसकी परीक्षा कर सकता है और यदि वह समझता है कि उसमें पारित कोई आदेश जहां तक वह राजस्व के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है, तो वह संबद्ध व्यौहारी या व्यक्ति को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह ठीक समझे ।

75. अपील या पुनरीक्षण में अतिरिक्त साक्ष्य—व्यौहारी अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील में अथवा आयुक्त या न्यायाधिकरण के समक्ष पुनरीक्षण में मौखिक अथवा दस्तावेजी अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने का हकदार नहीं होगा सिवाय वहां जहां पेश किया जाने वाला साक्ष्य ऐसा साक्ष्य हो जिसे विहित प्राधिकारी ने गलत तौर पर ग्रहण करने से इंकार कर दिया हो या सम्यक् तत्परता बरतने के बाद भी जो उसकी जानकारी में नहीं था या उसके द्वारा निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सका अथवा जिसे प्रस्तुत करने के लिए निर्धारण प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त समय नहीं दिया गया तथा ऐसे प्रत्येक मामलों में अतिरिक्त साक्ष्य अभिलेख में लेने के बाद उसे चुनौती देने अथवा खंडन करने का समुचित अवसर दिया जाएगा ।

76. पुनर्विलोकन—ऐसे नियमों के अध्यधीन, जो इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए हों, धारा 10 के अधीन नियुक्त कोई प्राधिकारी या अधिकरण अपने द्वारा पारित गए किसी आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगा, यदि, यथास्थिति, उक्त प्राधिकारी या अधिकरण की राय में ऐसा पुनर्विलोकन अभिलेख से स्पष्ट होने वाली किसी गलती के कारण आवश्यक हो :

परंतु ऐसा कोई पुनर्विलोकन, यदि इससे कर, ब्याज या शास्ति में वृद्धि या प्रतिदाय (रिफंड) में कमी होती हो, तब तक नहीं किया जाएगा जब तक, यथास्थिति, उक्त प्राधिकारी या अधिकरण द्वारा व्यौहारी या संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया गया हो ।

77. विवादित प्रश्नों का अवधारण—(1) यदि न्यायालय के समक्ष कार्यवाही से भिन्न अथवा विहित प्राधिकारी द्वारा धारा 27 या धारा 28 या धारा 29 या धारा 30 या धारा 31 या धारा 32 या धारा 33 के अधीन व्यौहारी का कर निर्धारण प्रारंभ करने के पूर्व कोई प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ—

(क) कोई व्यक्ति, सोसाइटी, क्लब या संगम अथवा कोई फर्म या किसी फर्म की कोई शाखा या विभाग कोई व्यौहारी है, या

(ख) किन्हीं माल के संबंध में की गई कोई विशिष्ट बात या उस पद के अर्थान्तर्गत माल के विनिर्माण की कोटि में आती है या उसका ऐसा परिणाम होता है, या

(ग) कोई संव्यवहार विक्रय या क्रय है अथवा जहां यह विक्रय या क्रय है वहां, यथास्थिति, इसका विक्रय मूल्य अथवा क्रय मूल्य, या

(घ) किसी विशिष्ट व्यक्ति या व्यौहारी का रजिस्ट्रीकृत होना अपेक्षित है, या

(ङ) कर संदाय करने का दायी किसी व्यक्ति या व्यवहारी होने की दशा में किसी विशिष्ट क्रय या विक्रय से संबंधित कोई कर ऐसे व्यक्ति या व्यवहारी द्वारा संदेय है, अथवा यदि कर संदेय है तो उसकी दर, या

(च) क्रय के किसी विशिष्ट संव्यवहार पर निविष्ट कर प्रतिदाय का दावा किया जा सकता है तथा यदि इसका दावा किया जा सकता है तो दावे की शर्तें एवं निर्बंधन क्या होंगे जिनके अध्यधीन ऐसे निविष्ट कर प्रतिदाय का दावा किया जा सकता है, या

(छ) धारा 25 की उपधारा (2) के अधीन पारित कोई आदेश न्यायसंगत एवं उचित है, या

(ज) कोई अन्य प्रश्न, जिसमें अधिनियम के किन्हीं उपबंधों का निर्वहन अंतर्ग्रस्त हो तो,

आयुक्त ऐसे नियमों के अध्यधीन जो बनाए जाएं, ऐसे प्रश्नों का अवधारण करते हुए पारित करेगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनार्थ विहित प्राधिकारी द्वारा धारा 27 या धारा 28 या धारा 29 या धारा 30 या धारा 31 या धारा 32 या धारा 33 के अधीन व्यौहारी का निर्धारण प्रारंभ किया गया तब माना जाएगा जब उक्त धाराओं के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा व्यवहारी को कोई नोटिस तामील कर दिया जाए ।

(2) आयुक्त निदेश दे सकेगा कि अवधारण किए जाने या ऐसी तारीख जो वह विनिर्दिष्ट करे उससे पूर्व किए गए किसी विक्रय या क्रय के संबंध में इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति का दायित्व इस अवधारण से प्रभावित नहीं होगा ।

(3) यदि इस अधिनियम या बिहार वित्त अधिनियम, 1981 (1981 का बिहार अधिनियम 5) जैसा वह धारा 94 द्वारा उसे निरसित किए जाने से पूर्व विद्यमान था, के अधीन किसी प्राधिकारी या न्यायालय द्वारा पहले पारित किसी आदेश से कोई ऐसा प्रश्न उद्भूत होता है तो ऐसा कोई प्रश्न इस धारा के अधीन निर्धारण हेतु ग्रहण नहीं किया जएगा; किंतु अपील में ऐसे प्रश्न को उठाया जा सकेगा ।

78. कार्यवाहियां अंतरित करने की शक्ति—(1) आयुक्त, मामले में पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसा करने के अपने कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् लिखित आदेश द्वारा इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन किसी कार्यवाही अथवा कार्यवाहियों को अपने पास से किसी अन्य पदाधिकारी के पास, और, इसी प्रकार, कोई ऐसी कार्यवाही, जिसमें किसी पदाधिकारी के समक्ष लंबित या इस धारा के अधीन अंतरित कार्यवाही सम्मिलित है, को किसी पदाधिकारी से लेकर किसी अन्य पदाधिकारी को अंतरित कर सकेगा ।

(2) इस धारा के प्रयोजनार्थ कोई कार्यवाही तब प्रारंभ की गई समझी जाएगी जब उपयुक्त ऐसी अधिकारिता रखने वाला कोई प्राधिकारी इस अधिनियम, नियमों या अधिसूचनाओं के उपबंधों के अधीन सूचना जारी कर दे और ऐसी सूचना जारी होने के पश्चात् ही कार्यवाही का लंबित होना समझा जाएगा ।

(3) जब किसी प्राधिकारी के समक्ष कोई कार्यवाही लंबित नहीं है तब उस व्यक्ति या व्यौहारी पर समुचित अधिकारिता रखने वाला कोई प्राधिकारी किसी प्रकार की कोई कार्यवाही को प्रारंभ और पूर्ण कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में किसी व्यौहारी के संदर्भ में "कार्यवाही" शब्द से इस अधिनियम के अधीन, किसी वर्ष से संबंधित ऐसी सभी कार्यवाहियां अभिप्रेत हैं जो ऐसे आदेश की तारीख को लंबित हों या जो ऐसी तारीख को या उससे पूर्व पूर्ण कर ली गई हों तथा इसमें इस अधिनियम के अधीन ऐसी सभी कार्यवाहियां भी सम्मिलित हैं जो उक्त वर्ष के संबंध में ऐसे आदेश की तारीख के पश्चात् ऐसे व्यौहारी की बाबत में प्रारंभ की जाएं ।

79. उच्च न्यायालय के समक्ष अपील—(1) यदि उच्च न्यायालय का समाधान हो जाता है कि मामले में विधि का कोई सारवान् प्रश्न अंतर्वलित है तो अधिकरण द्वारा पारित ऐसे प्रत्येक आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी ।

(2) अधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित आयुक्त या कोई व्यौहारी—

(i) बिहार वित्त अधिनियम, 1981 (1981 का बिहार अधिनियम 5) के अधीन जैसा कि वह इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को धारा 94 द्वारा निरसित किए जाने से पूर्व ऐसी तारीख को या उसके पश्चात् विद्यमान था; या

(ii) इस अधिनियम के अधीन, उच्च न्यायालय में अपील कर सकेगा और इस धारा के अधीन व्यौहारी अथवा आयुक्त को संसूचना की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर अपील आदेश से उद्भूत विधि के प्रश्न पर की जाएगी ।

(3) जहां उच्च न्यायालय का समाधान हो जाता है कि किसी मामले में विधि का सारवान् प्रश्न अंतर्ग्रस्त है तो वह प्रश्न निश्चित करेगा ।

(4) अपील की सुनवाई केवल ऐसे निश्चित प्रश्न पर की जाएगी और प्रत्यर्थियों को अपील की सुनवाई के समय यह दलील दे सकते हैं कि इस मामले में ऐसे प्रश्न अंतर्ग्रस्त नहीं हैं :

परंतु इस उपधारा की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि उच्च न्यायालय की अपील में लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, उसके द्वारा विरचित न किए गए विधि के किसी सारवान् प्रश्न पर, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि मामले में ऐसा प्रश्न अन्तर्वलित है, सुनवाई की शक्ति को वापस ले लिया गया है या न्यून कर दिया गया है ।

(5) (क) उच्च न्यायालय इस प्रकार निश्चित या अंतर्ग्रस्त विधि के सारवान् प्रश्न को विनिश्चित करेगा और उस पर उन आधारों को अंतर्विष्ट करते हुए ऐसा निर्णय देगा, जिन पर ऐसा विनिश्चय आधारित है और ऐसा खर्च अधिनिर्णित करेगा, जो वह ठीक समझे ।

(ख) उच्च न्यायालय ऐसे किसी विवाद्यक को अवधारित करेगा, जो—

(i) अधिकरण द्वारा अवधारित नहीं किया गया हो, या

(ii) उपधारा (1) में यथा निर्दिष्ट विधि के ऐसे प्रश्न पर निर्णय के कारण अधिकरण द्वारा गलत अवधारित किया गया हो ।

(6) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, उच्च न्यायालय में अपीलों से संबंधित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के उपबंध, जहां तक हो सके, इस धारा के अधीन अपील के मामले में लागू होंगे ।

80. उच्च न्यायालय में मामले की सुनवाई कम से कम दो न्यायाधीशों द्वारा की जाएगी—(1) धारा 79 के अधीन उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल की गई किसी अपील की सुनवाई उच्च न्यायालय के कम से कम दो न्यायाधीशों की न्यायपीठ द्वारा की जाएगी और इसका विनिश्चय ऐसे न्यायाधीशों की राय के अनुसार या ऐसे न्यायाधीशों के बहुमत से, यदि कोई हो, किया जाएगा ।

(2) जहां ऐसा कोई बहुमत नहीं है, वहां न्यायाधीश उस विधि के प्रश्न का उल्लेख करेंगे, जिस पर उनका मतभेद हो और सिर्फ उस प्रश्न पर मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय के एक या एक से अधिक अन्य न्यायाधीशों द्वारा की जाएगी और ऐसे बिंदु का विनिश्चय उन न्यायाधीशों के बहुमत द्वारा किया जाएगा, जिन्होंने मामले की सुनवाई की है और इसमें वे न्यायाधीश भी सम्मिलित होंगे जिन्होंने पहले सुनवाई की थी ।

अध्याय 13

अपराध और शास्तियां

81. अपराध और शास्तियां—(1) जो कोई—

(क) धारा 19 का जानबूझकर उल्लंघन करते हुए रजिस्ट्रीकृत हुए बिना व्यौहारी के रूप में कारबार करता है, या

(ख) बिना किसी पर्याप्त कारण के, धारा 23 के अधीन अपेक्षित कोई जानकारी देने में असफल रहता है, या

(ग) जब धारा 59 के अधीन उसे ऐसा करने के लिए निदेश दिए जाएं किंतु बिना किसी पर्याप्त कारण के, निदेशानुसार कोई लेखा या अभिलेख रखने में असफल रहता है, या

(घ) बिना किसी पर्याप्त कारण के धारा 24 द्वारा यथापेक्षित कोई विवरणी, विहित तारीख तक और रीति से, प्रस्तुत करने में असफल रहता है,

वह दोषसिद्ध ठहराए जाने पर किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम नहीं होगी किंतु जो छह मास तक हो सकेगी और जुर्माने से जो एक हजार रुपए से अधिक का न होगा, दंडित किया जाएगा ।

(2) जो कोई—

(क) धारा 52 की उपधारा (1) या धारा 53 के उल्लंघन में जानबूझकर अपने द्वारा खरीदे गए या बेचे गए माल के मूल्य का मिथ्या लेखा रखता है, या

(ख) किसी भी रीति में, किसी कर, शास्ति या ब्याज के संदाय का अपवंचन करने का जानबूझकर प्रयास करता है,

वह दोषसिद्ध ठहराए जाने पर किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं होगी किंतु जो एक वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से, जो दो हजार रुपए से अधिक का नहीं होगा, दंडित किया जाएगा ।

(3) जो कोई—

(क) धारा 19 के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी न होते हुए भी मिथ्या रूप से यह कथन करता है कि वह माल बेचते या खरीदते समय रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी है या था; या

(ख) जानबूझकर मिथ्या विवरणी प्रस्तुत करता है; या

(ग) इस अधिनियम के किन्हीं प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी के समक्ष, जानबूझकर, मिथ्या बिल, कर बीजक, कैश मेमो, वाऊचर, घोषणापत्र, प्रमाणपत्र या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करता है; या

(घ) इस अधिनियम या इसके अधीन विरचित नियमों या जारी अधिसूचनाओं के अधीन किसी व्यक्ति को ऐसा प्रमाणपत्र या घोषणापत्र या कोई बिल, कैश मेमों, कर बीजक, वाऊचर या अन्य दस्तावेज जारी करता है जिसके बारे में उसे ज्ञात हो कि वह मिथ्या है, होने का उसे विश्वास करने का कारण हो कि वह मिथ्या है; या

(ङ) धारा 56 या धारा 61 या धारा 62 के अधीन किसी अधिकारी को निरीक्षण या तलाशी या अभिग्रहण करने में बाधा डालता है,

वह दोषसिद्ध ठहराए जाने पर किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो तीन वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से जो तीन हजार रुपए से अधिक नहीं होगा दंडित किया जाएगा ।

(4) जो कोई किसी व्यक्ति को उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध के करने में सहायता करेगा या इसका दुष्प्रेरण करेगा वह दोषसिद्ध ठहराए जाने पर उस अपराध के संबंध में विनिर्दिष्ट प्रकार के दंड का दायी होगा जिसके करने में उसने सहायता की है या दुष्प्रेरण किया है ।

(5) उपधारा (1) से उपधारा (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इन उपधाराओं के अधीन किसी व्यक्ति के विरुद्ध उनमें निर्दिष्ट अपराधों के किए जाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी यदि अपवंचन किए गए या अपवंचित किए जाने का प्रयतित कर, ब्याज या शास्तियों की कुल रकम पांच हजार रुपए से कम है ।

(6) जहां कोई व्यौहारी उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध का अभियुक्त है वहां धारा 22 के अधीन ऐसे व्यौहारी के कारबार के प्रबंधक के रूप में घोषित व्यक्ति भी ऐसे अपराध का तब तक दोषी माना जाएगा, जब तक वह यह साबित नहीं कर देता है कि वह अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने उसके किए जाने का निवारण करने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी ।

82. अपराध का संज्ञान—(1) धारा 81 में यथाउपबंधित के सिवाय उक्त धारा के अधीन दिया गया दंड किसी ऐसी शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अधिरोपित की जा सकती है ।

(2) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान आयुक्त या इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त किसी पदाधिकारी की पूर्व मंजूरी के सिवाय नहीं करेगा तथा प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई न्यायालय ऐसे अपराध का विचारण नहीं करेगा ।

(3) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी धारा 81 के अधीन दंडनीय सभी अपराध संज्ञेय और जमानतीय होंगे ।

83. अपराधों का अन्वेषण—(1) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, आयुक्त साधारणत: या किसी विशेष मामले में या किन्हीं मामलों के वर्ग के संबंध में इस अधिनियम के अधीन दंडनीय सभी या किन्हीं अपराधों का अन्वेषण करने के लिए उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी या किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकेगा ।

(2) ऐसे अन्वेषण के संचालन में इस प्रकार प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी संज्ञेय अपराध के अन्वेषण के लिए पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा ।

84. कंपनियों और अन्य द्वारा अपराध—(1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उन कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरादायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "कंपनी" से कंपनी अधिनियम, 1956 (195 का 61) के अधीन कोई निगमित कंपनी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कोई निगमित निकाय, फर्म या व्यष्टियों के अन्य संगम भी है;

(ख) फर्म के संबंध में, "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

(3) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी हिंदू अविभक्त कुटुम्ब द्वारा किया गया है वहां उसका कर्ता ऐसे अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा :

परंतु इस उपधारा की कोई बात कर्ता को किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी :

परंतु यह और कि जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी हिंदू अविभक्त कुटुम्ब द्वारा किया गया है और यह साबित कर दिया जाता है कि वह अपराध हिंदू अविभक्त कुटुंब के किसी वयस्क सदस्य की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां हिंदू अविभक्त कुटुम्ब का ऐसा वयस्क सदस्य भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

85. अपराधों का प्रशमन—(1) आयुक्त, धारा 81 के अधीन कार्यवाहियां संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात् किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसे उक्त धारा की उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन किसी अपराध से आरोपित किया गया हो, अपराध के प्रशमन के रूप में दस हजार रुपए से अनधिक राशि तथा जहां आरोपित अपराध इस अधिनियम के अधीन देय कर की किसी राशि के अपवंचन का कारण बनने वाला हो या कारण बना हो वहां ऐसी रकम के तीन गुणा से अनधिक, इनमें से जो भी अधिक हो, राशि स्वीकार कर सकेगा ।

(2) आयुक्त द्वारा उपधारा (1) के अधीन यथा अवधारित ऐसी राशि का संदाय करने पर अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध उसी अपराध के संबंध में और आगे कार्यवाही नहीं की जाएगी ।

अध्याय 14

अन्वेषण ब्यूरो

86. अन्वेषण ब्यूरो—(1) राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, एक अन्वेषण ब्यूरो का गठन कर सकेगी और इसमें ऐसे कार्मिक और इतने पदाधिकारियों की संख्या तथा पर्यवेक्षण और नियंत्रण का ऐसा सोपान होगा जो राज्य सरकार द्वारा उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए :

परंतु यदि धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्राधिकारी इस प्रकार विनिर्दिष्ट किए जाते हैं तो वे धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने में धारा 55, धारा 56, धारा 57, धारा 58, धारा 59, धारा 60, धारा 61 और धारा 62 के अधीन प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करेंगे ।

(2) (क) राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा अन्वेषण ब्यूरो के किसी अधिकारी में, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन पुलिस थाने के प्रभारी भारसाधक अधिकारी की शक्तियां और विभिन्न अधिनियमों के अधीन ऐसी शक्तियां, जैसी वह आवश्यक समझे, निहित कर सकेगी ।

(ख) आयुक्त, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, अन्वेषण ब्यूरो के किसी अधिकारी को ऐसे मामलों के संबंध में, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, धारा 10 के अधीन नियुक्त प्राधिकारी की शक्तियों के प्रयोग के लिए प्राधिकृत कर सकेगा ।

(3) अन्वेषण ब्यूरो, आयुक्त के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो आयुक्त द्वारा उसे सौंपे जाएं जिसमें इस अधिनियम की धारा 83 के अधीन अपराधों का अन्वेषण भी है ।

अध्याय 15

प्रकीर्ण

87. कराधायक प्राधिकारियों के समक्ष उपस्थिति—कोई व्यक्ति, जिसका धारा 10 के अधीन नियुक्त किसी प्राधिकारी या अधिकरण या धारा 86 के अधीन गठित अन्वेषण ब्यूरो के किसी अधिकारी के समक्ष, इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के संबंध में उपस्थित होना अपेक्षित है, निम्नलिखित माध्यम से ऐसे प्राधिकारी से समक्ष उपस्थित हो सकेगा,—

(क) इस निमित्त उसके द्वारा विहित रीति से प्राधिकृत कोई व्यक्ति, जो उसका संबंधी हो या ऐसा व्यक्ति, जो उसका नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारी हो, या

(ख) ऐसा विक्रय कर व्यवसायी, जिसके पास विहित अर्हताएं हों, या

(ग) विधि व्यवसायी, या

(घ) ऐसी शर्तों के अधीन, जो विहित की जाएं, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सचिव या लागत लेखापाल ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "चार्टर्ड अकाउंटेंट" से ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिप्रेत है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में परिभाषित है और जिसने उस अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन व्यवसाय का प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किया है;

(ख) "कंपनी सचिव" से ऐसा कंपनी सचिव अभिप्रेत है जो कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ग) में परिभाषित है और जिसने उस अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) की अधीन व्यवसाय का प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किया है;

(ग) "लागत लेखापाल" से ऐसा लागत लेखापाल अभिप्रेत है जो लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 (1959 का 23) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में परिभाषित है और जिसने उस अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन व्यवसाय का प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किया है;

(घ) "विधि व्यवसायी" से कोई अधिवक्ता, वकील या उच्च न्यायालय का कोई अटर्नी अभिप्रेत है और इसमें व्यवसाय करने वाला प्लीडर भी सम्मिलित है ।

88. किसी पद के पदधारी का बदलना—इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के संबंध में जब कभी धारा 10 के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति या प्राधिकारी अधिकारिता का प्रयोग करने से परिविरत हो जाता है और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पद धारण कर लिया जाता है जिसे अधिकारिता है और उसका प्रयोग करता है तो इस प्रकार पद ग्रहण करने वाला व्यक्ति उस प्रक्रम से कार्यवाही जारी रख सकेगा जिस पर उसके पूर्ववर्ती ने उसे छोड़ा था :

परन्तु यह कि संबंधित व्यौहारी यह मांग कर सकेगा कि कार्यवाही के जारी रखने से पूर्व, पूर्ववर्ती कार्यवाही या उसका कोई भाग उसके विरुद्ध आदेश पारित करने से पूर्व सुना जाएगा ।

89. कतिपय कार्यवाहियों का वर्जन—धारा 79 में यथाउपबंधित के सिवाय इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किया गया कोई निर्धारण या पारित कोई आदेश धारा 10 के अधीन नियुक्त किसी प्राधिकारी द्वारा या अन्वेषण ब्यूरो द्वारा या अधिकरण द्वारा किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा और धारा 72 या धारा 73 या धारा 74 या धारा 76 में यथाउपबंधित के सिवाय ऐसे निर्धारण या आदेश के विरुद्ध कोई अपील या पुनरीक्षण अथवा पुनर्विलोकन के लिए आवेदन नहीं होगा ।

90. लोक सेवक द्वारा सूचना का प्रकटन—(1) इस अधिनियम के अनुसरण में किए गए किसी कथन, दी गई विवरणी या पेश किए गए लेखाओं या दस्तावेजों में या इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के अनुक्रम में दिए गए साक्ष्य के अभिलेख में (किसी दांडिक न्यायालय के समक्ष कार्यवाही से भिन्न) या किसी निर्धारण कार्यवाही के या इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तैयार की गई किसी मांग की वसूली से संबंधित किसी कार्यवाही या किसी अभिलेख में, उपधारा (3) में यथाउपबंधित के सिवाय, अन्तर्विष्ट सभी विशिष्टियां गोपनीय समझी जाएंगी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) में किसी बात के होते हुए भी कोई न्यायालय यथाउपरोक्त के सिवाय, सरकार के किसी सेवक से उसके समक्ष किसी ऐसे कथन, विवरणी, लेखा, दस्तावेज या अभिलेख या उसके किसी भाग को पेश करने या उसके संबंध में उसके समक्ष साक्ष्य देने की अपेक्षा करने का हकदार होगा ।

(2) यदि उपधारा (3) में यथाउपबंधित के सिवाय, सरकार का कोई सेवक उपधारा (1) में निर्दिष्ट किन्हीं विशिष्टियों को प्रकट करता है तो वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

(3) इस धारा की कोई बात—

(क) किसी कथन, विवरणी, लेखाओं, रजिस्टरों, दस्तावेजों या साक्ष्य अथवा उसके किसी भाग के संबंध में भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन किसी अभियोजन के प्रयोजनों के लिए; या

(ख) इस अधिनियम के अधीन किसी अभियोजन के प्रयोजनों के लिए; या

(ग) धारा 10 के अधीन नियुक्त किसी प्राधिकारी या निरीक्षक या धारा 86 के अधीन गठित अन्वेषण ब्यूरो के किसी अधिकारी के आचरण या व्यवहार की कोई जांच या ऐसी जांच संचालित करने के लिए नियुक्त किसी अन्य प्राधिकारी के व्यवहार की लोक सेवक (जांच) अधिनियम, 1850 (1850 का 37) के अधीन जांच को विनियमित करने के लिए; या

(घ) किसी सिविल न्यायालय में किसी वाद के, जिसमें बिहार राज्य एक पक्षकार है और जो इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही से उद्भूत होने वाले किसी विषय से संबंधित है, विचारण के संबंध में; या

(ङ) केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी अधिकारी को उसके द्वारा अधिरोपित कर या शुल्क के उद्ग्रहण या वसूली करने के लिए समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए; या

(च) राज्य सरकार के किसी अधिकारी को, जहां इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, ऐसा प्रकटन करना आवश्यक हो; या

(छ) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी को संघ या राज्य के कार्यों से संबंधित उसके कार्यपालक कृत्यों का अनुपालन करने के लिए ऐसे अधिकारियों को समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए,

उपधारा (1) में निर्दिष्ट किए गए किन्हीं विशिष्टियों के प्रकटन को लागू नहीं होगी ।

91. आशय को निष्फल करने और अधिनियम के लागू होने के करार शून्य होंगे—(1) यदि आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि दो या अधिक व्यक्तियों या व्यौहारियों के बीच आवेदन या इस अधिनियम के प्रयोजनों या इस अधिनियम के किसी उपबंध को निष्फल करने के लिए कोई करार किया गया है तब आयुक्त, आदेश द्वारा, करार को आवेदन और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अकृत और शून्य घोषित कर सकेगा और वह उक्त आदेश द्वारा, किसी व्यक्ति या व्यौहारी द्वारा, जो करार द्वारा प्रभावित होता हो चाहे ऐसा व्यौहारी या व्यक्ति करार का कोई पक्षकार है या नहीं ऐसी रीति में जो आयुक्त समुचित समझे, जिससे कि करार से या उसके अधीन उस व्यौहारी द्वारा अभिप्राप्त किसी कर के फायदे की कार्यवाही का प्रतिरोध किया जा सके, संदेय कर की रकम में वृद्धि या कमी करने का उपबंध कर सकेगा ।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "करार" में कोई संविदा, करार, योजना या समझौता, चाहे विधि में प्रवर्तनीय हो या नहीं, और सभी उपाय और संव्यवहार, जिनके द्वारा करार को प्रभावी किया जाना ईप्सित है, सम्मिलित हैं;

(ii) "कर फायदा" में निम्नलिखित सम्मिलित हैं,—

(क) कर का संदाय करने के लिए, किसी व्यौहारी के दायित्व में कोई कमी;

(ख) मुजरे या प्रतिदाय का दावा करने के लिए किसी व्यौहारी की हकदारी में कोई वृद्धि;

(ग) किसी व्यौहारी द्वारा प्राप्य या संदेय विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य में कोई कमी ।

(3) आयुक्त, इस धारा के अधीन कोई आदेश पारित करने से पूर्व किसी ऐसे व्यक्ति या व्यौहारी को, जिसके कर के फायदे का प्रतिरोध किया जाना ईप्सित है, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

92. शोध्यों का अपलिखित किया जाना—इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित की जाने वाली अधिसूचना द्वारा ऐसे नियमों, जो विहित किए जाएं, के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन या बिहार वित्त अधिनियम, 1981 (1981 का बिहार अधिनियम 5) जैसा वह धारा 94 द्वारा निरसित किए जाने से पूर्व विद्यमान था, के अधीन सृजित किन्हीं शोध्यों को अवसूलनीय घोषित कर सकेगी ।

93. नियम बनाने की शक्ति—(1) राज्य सरकार, पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अधीन रहते हुए, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 3 की उपधारा (7) के अधीन अग्रिम कर के संग्रहण की रीति;

(ख) धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन अधिकरण का गठन;

(ग) धारा 9 की उपधारा (7) के अधीन अधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त अध्यक्ष या किसी अन्य सरकारी सेवक की सेवा के निबंधन और शर्तें;

(घ) धारा 10 की उपधारा (3) के अधीन निरीक्षकों के क्षेत्र और कृत्य;

(ङ) वह प्ररूप और रीति, जिसमें धारा 13 की उपधारा (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट सही और पूर्ण घोषणा फाइल की जाएगी;

(च) वे शर्तें और निर्बंधन, जिनके अधीन रहते हुए रजिस्ट्रीकृत व्यौहारियों को धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन किसी रकम का संदाय करने की अनुज्ञा दी जा सकेगी;

(छ) वे शर्तें और निर्बंधन, जिनके अधीन रहते हुए धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन निवेश कर प्रत्यय का दावा किया जाएगा;

(ज) वह रीति और अवधि, जिसके भीतर धारा 16 की उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ख), खंड (ग), खंड (घ) और खंड (ङ) के अधीन पूंजी माल के संबंध में निवेश कर प्रत्यय अनुज्ञात किया जाएगा;

(झ) वह रीति, जिसमें धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन उप-संविदा के निष्पादन में माल का विक्रय या प्रयोग करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी द्वारा माल के विक्रय या प्रदाय पर निवेश कर प्रत्यय का दावा किया जाएगा;

(ञ) वे अन्य माल जिन पर धारा 16 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन निवेश कर प्रत्यय का दावा नहीं किया जाएगा या अनुज्ञात नहीं किया जाएगा;

(ट) धारा 16 की उपधारा (5) के अधीन कर बीजक की मूल प्रति में विक्रय की विशिष्टियां और मूल कर बीजक की दूसरी प्रति का प्ररूप और रीति;

(ठ) धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन वह रीति जिसमें माल पर निवेश कर प्रत्यय और वह रीति तथा विस्तार, जिसमें पूंजी आस्तियों के कारण निवेश कर अनुज्ञात किया जाएगा;

(ड) धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन वे निर्बंधन और शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए और वह समय और रीति, जिसमें इस अधिनियम की अनुसूची 5 में विनिर्दिष्ट संगठन क्रय किए गए माल पर संदत्त कर के प्रतिदाय के लिए आवेदन कर सकेंगे;

(ढ) धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन की रीति और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किए जाने की रीति;

(ण) धारा 20 की उपधारा (2) के अधीन वह रीति, जिसमें रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभ्यर्पित किया जाएगा और वह रीति, जिसमें रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया जाएगा;

(त) धारा 21 के अधीन प्रतिभूति और वह रीति, जिसमें ऐसी प्रतिभूति दी जाएगी;

(थ) धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन वह रीति, जिसमें घोषणा की जाएगी और व्यक्ति की विशिष्टियां;

(द) वह प्ररूप और रीति, जिसमें, यथास्थिति, धारा 24 की उपधारा (1), उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (7) के अधीन विवरणियां या विवरण अथवा सूचना दी जाएगी;

(ध) वह रीति, जिसमें धारा 24 की उपधारा (8) के अधीन सुनवाई का अवसर प्रदत्त किया जाना है;

(न) धारा 24 की उपधारा (9) के अधीन कर जमा करने की रीति और ऐसे कर के संदाय का सबूत परिवेष्टित करने का प्ररूप और रीति;

(प) धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी की छानबीन का समय और रीति;

(फ) धारा 25 की उपधारा (2) के अधीन संबंधित व्यौहारी को सूचना का प्ररूप;

(ब) धारा 25 की उपधारा (3) के खंड (ख) के अधीन सूचना की तामील करने का प्ररूप और रीति तथा वह समय, जिसके भीतर व्यौहारी से कर और ब्याज का संदाय अपेक्षित है;

(भ) धारा 26 की उपधारा (3) के अधीन व्यौहारी के कारबार की लेखापरीक्षा के संचालन की रीति;

(म) धारा 30 की उपधारा (1) के अधीन माल के विक्रय या क्रय के आवर्त का अनंतिम या अंतिम निर्धारण करना;

(य) धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन सूचना का प्ररूप और रीति और निर्धारण और पुन:निर्धारण की रीति;

(यक) धारा 32 की उपधारा (1) के अधीन वह रीति जिसमें सुनवाई का अवसर दिया जाना है;

(यख) धारा 32 की उपधारा (2) के अधीन वह रीति, जिसमें कर की रकम का अनंतिम रूप से परिमाण व्यक्त किया जा सकेगा;

(यग) धारा 33 के अधीन वह रीति, जिसमें पुन: मूल्यांकन किया जा सकेगा;

(यघ) धारा 35 की उपधारा (2) के अधीन सिद्ध किए जाने वाले अन्य साक्ष्य और किए जाने के लिए अपेक्षित घोषणा का प्ररूप और रीति;

(यङ) धारा 39 की उपधारा (2) के अधीन कर के संदाय की अन्य रीति और किस्तों द्वारा कर शोध्य ब्याज या शास्ति के संदाय की रीति;

(यच) धारा 39 की उपधारा (5) के अधीन शास्ति के संदाय की रीति;

(यछ) धारा 40 की उपधारा (1) के अधीन वे शर्तें और निर्बंधन, जिनके अधीन कर की कटौती का जा सकेगी;

(यज) धारा 40 की उपधारा (3) के अधीन सरकारी खजाने में रकम के संदाय की रीति;

(यझ) धारा 41 की उपधारा (1) के अधीन शर्तें, जिनके अधीन कर की कोई कटौती नहीं की जाएगी;

(यञ) धारा 41 की उपधारा (4) के अधीन वह रीति, जिसमें धारा 41 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कर की कटौती की जाएगी;

(यट) धारा 41 की उपधारा (5) के अधीन कटौती करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रमाणपत्र का प्ररूप और रीति;

(यठ) धारा 42 के अधीन कर समाशोधन प्रमाणपत्र प्रदान करने का प्ररूप और रीति;

(यड) धारा 43 की उपधारा (3) के अधीन वह रीति, जिसमें सुनवाई का अवसर प्रदत्त किया जाना है;

(यढ) धारा 44 की उपधारा (2) के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा सूचना का प्ररूप;

(यण) धारा 44 की उपधारा (4) के अधीन सूचना के प्रकाशन की रीति और उसके विवरण;

(यत) धारा 44 की उपधारा (5) के अधीन आवेदन का प्ररूप, जिसमें प्रतिदाय का दावा किया जा सकेगा;

(यथ) धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन सही और पूर्ण लेखे रखने की रीति;

(यद) धारा 52 की उपधारा (2) के अधीन व्यौहारी या व्यक्ति द्वारा विनिर्माण करने, व्यापार करने और लाभ तथा हानि लेखा तैयार करने तथा तुलनपत्र और अन्य लेखे तैयार किया जाना;

(यध) धारा 52 की उपधारा (3) के अधीन प्रत्येक व्यौहारी या व्यक्ति द्वारा चालान जारी करने का प्ररूप;

(यन) धारा 52 की उपधारा (4) के अधीन लेखे और वह रीति, जिसमें व्यापार तथा लाभ और हानि लेखे तैयार किए जाएंगे ;

(यप) धारा 53 की उपधारा (4) के अधीन माल का मूल्य;, जिसके अधिक होने पर व्यौहारी द्वारा फुटकर बीजक जारी किया जाना अपेक्षित है;

(यफ) वह अवधि, जिसके लिए धारा 53 की उपधारा (7) के अधीन बीजक परिरक्षित रखना अपेक्षित है;

(यब) धारा 53 की उपधारा (8) के अधीन वे शर्तें और निर्बंधन, जिनके अधीन विक्रय व्यौहारी द्वारा मूल कर बीजक की एक प्रति प्रदत्त की जा सकेगी;

(यभ) धारा 53 की उपधारा (9) के अधीन साखपत्र और नामे नोट की विशिष्टियां ;

(यम) अन्य अवधि, जिसके लिए धारा 53 की उपधारा (10) के अधीन कर बीजकों और फुटकर बीजकों को परिरक्षित किया जाना अपेक्षित है;

(यय) धारा 54 की उपधारा (2) के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट और उसकी विशिष्टियों का प्ररूप;

(ययक) धारा 56 की उपधारा (2) के अधीन कारबार के सभी स्थानों के निरीक्षण के प्राधिकार की रीति;

(ययख) धारा 56 की उपधारा (3) के अधीन लेखाओं, रजिस्टरों या दस्तावेजों के अभिग्रहण की रीति;

(ययग) धारा 56 की उपधारा (4) के खंड (क) के अधीन माल के अभिग्रहण की रीति;

(ययघ) धारा 56 की उपधारा (4) के खंड (ख) के अधीन वह रीति, जिसमें सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना है;

(ययङ) धारा 56 की उपधारा (4) के खंड (ङ) के अधीन माल की नीलामी की रीति और वह रीति, जिसमें विक्रय आगमों का प्रतिदाय किया जाएगा;

(ययच) धारा 56 की उपधारा (4) के खंड (च) के अधीन प्रतिभूति मुक्त करने की रीति;

(ययछ) धारा 57 की उपधारा (2) के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा सूचना की रीति तथा प्ररूप ;

(ययज) धारा 58 की उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा सूचना का प्ररूप;

(ययझ) धारा 59 की उपधारा (1) के अधीन सूचना प्रस्तुत करने का समय और रीति;

(ययञ) धारा 59 की उपधारा (2) के अधीन अनुरक्षण के लिए अपेक्षित लेखे, रजिस्टर और दस्तावेज,

(ययट) धारा 60 की उपधारा (1) के अधीन बैरियरों और चैक पोस्टों के सन्निर्माण की रीति;

(ययठ) उद्घोषणा प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति और शर्तें, जिनके अधीन धारा 60 की उपधारा (2) के अधीन ऐसी उद्घोषणा प्रस्तुत की जाएगी;

(ययड) धारा 60 की उपधारा (3) के अधीन किसी मालवाहक को अंतर्रुद्ध करने, निरुद्ध करने और उनकी तलाशी लेने की रीति;

(ययढ) धारा 61 की उपधारा (1) के अधीन माल का परिवहन करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा घोषणा का प्ररूप;

(ययण) धारा 62 की उपधारा (1) के अधीन अभिवहन अनुज्ञा अभिप्राप्त करने की रीति;

(ययत) उस व्यक्ति को प्रतिदाय की रीति जिसने धारा 68 की उपधारा (1) के अधीन शोध्य रकम से अधिक रकम संदत्त की है;

(ययथ) धारा 68 की उपधारा (2) के अधीन प्रतिदाय का दावा करने या प्रतिदाय को प्राप्त करने की रीति;

(ययद) धारा 69 की उपधारा (1) के अधीन अनंतिम प्रतिदाय के अनुदान के लिए आवेदन का प्ररूप;

(ययध) धारा 69 की उपधारा (2) के अधीन व्यौहारी द्वारा दी जाने वाली प्रतिभूति;

(ययन) धारा 72 के अधीन अपील फाइल करने का प्ररूप और रीति;

(ययप) वे शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराधों का धारा 83 की उपधारा (1) के अधीन, अन्वेशन किया जा सकेगा;

(ययफ) प्राधिकरण की रीति और वे शर्तें, जिनके अधीन कोई लेखाकार, कंपनी का सचिव या विक्रय कर व्यवसायी धारा 87 के अधीन, कराधेय प्राधिकारियों के समक्ष उपस्थित हो सकेगा;

(ययब) धारा 92 के अधीन किसी शोध्य को, अप्रत्युद्धरणीय के रूप में, राज्य सरकार द्वारा घोषणा;

(ययभ) इस धारा के अधीन बनाए गए किसी नियम के भंग के लिए शास्ति अधिरोपण की रीति;

(ययम) वह रीति और समय, जिसमें, स्टाक में रखे माल की विशिष्टियां और वह प्राधिकारी, जिसको धारा 95 के अधीन घोषित किया जाता है;

(ययय) धारा 96 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन निवेश कर प्रत्यय का दावा करने की रीति;

(यययक) धारा 96 की उपधारा (3) के अधीन कर दायित्व के आस्थगन की रीति और विस्तार;

(यययख) कोई अन्य विषय, जिसे विहित किया जाना है, या विहित किया जाए या जिसकी बाबत नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है या किया जाए ।

(3) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान-मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह ऐसी कुल चौदह दिन की अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र में अथवा दो आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकती है, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के, जिसमें वह ऐसे रखा जाता है या उसके ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन इस बात से सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसा नियम, यथास्थिति, तत्पश्चात् केवल ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, उस नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की नई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(4) इस धारा के अधीन बनाया गया कोई नियम यह उपबंध कर सकेगा कि उसका उल्लंघन जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा और उस उल्लंघन के जारी रहने की दशा में अतिरिक्ति जुर्माने से, जो उस प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, सौ रुपए प्रतिदिन तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

94. निरसन और व्यावृत्ति—(1) बिहार वित्त अधिनियम, 1981 (1981 का बिहार अधिनियम 5) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "निरसित अधिनियम" कहा गया है) इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से निरसित किया जाता है ।

(2) इस निरसन से निरसित अधिनियम के उपबंध के अधीन,—

(क) किसी ऐसी विधिक कार्यवाही या उपचार पर, जो किसी ऐसे अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व के संबंध में, चाहे वह इस निरसन के पूर्व या पश्चात् आरंभ की गई हो या उसका उपभोग किया गया हो;

(ख) निरसित अधिनियम के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व पर सिवाय उद्योगों को प्रोद्भूत उस अधिकार या विशेषाधिकार के, जो निरसित अधिनियम या उसके अधीन विरचित नियमों या जारी अधिसूचनाओं के अधीन राज्य सरकार की किसी औद्योगिकी नीति या औद्योगिक नीति संकल्प के अधीन अनुदत्त किया गया हो; या

(ग) ऐसी अवधि के संबंध में, किसी कर के उद्ग्रहण, निर्धारण या वसूली अथवा किसी शास्ति के अधिरोपण या वसूली पर,

कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और उपर्युक्त मामलों के संबंध में निरसित अधिनियम के अधीन, यथास्थिति, सभी कार्यवाहियां आरंभ होंगी और निपटाई जाएंगी या इस प्रकार जारी रहेंगी और निपटाई जाएंगी मानो यह अधिनियम पारित ही न हुआ हो, और इस प्रयोजन के लिए, धारा 10 के अधीन नियुक्त सभी कर प्राधिकारी या निरीक्षक और धारा 9 के अधीन गठित अधिकरण, उन सभी शक्तियों का प्रयोग और सभी कर्तव्यों का पालन करेंगे जो निरसित अधिनियम के अधीन उसके द्वारा उसकी धारा 9 या धारा 8 के अधीन नियुक्त तत्समान प्राधिकारियों को प्रदत्त की गई थी :

परन्तु बिहार वित्त अधिनियम, 1981 (1981 का बिहार अधिनियम 5) के अधीन किसी आदेश से उत्पन्न कोई अपील या पुनरीक्षण, धारा 72 और धारा 73 और धारा 74 में, वर्णित समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उसमें यथा उपबंधित रीति से फाइल किया जाएगा या उनके द्वारा सुना या निपटाया जाएगा ।

(3) उक्त अधिनियम के अधीन बनाए गए सभी नियम, किए गए आदेश और की गई नियुक्तियां, प्रकाशित अधिसूचनाएं, प्रदान की गई उपाधियां, प्रदत्त शक्तियां और की गई अन्य बातें, जो इस अधिनियम के प्रारंभ पर प्रदर्शन में हैं, जहां तक वे इस अधिनियम से असंगत नहीं हैं या जब तक कि इस अधिनियम के अधीन उपांतरित, अधिक्रांत या रद्द नहीं कर दी जाती हैं तक तक क्रमश: इस अधिनियम के अधीन की गई, प्रकाशित प्रदान, प्रदत्त या की गई समझी जाएंगी ।

(4) उपधारा (2) और उपधारा (3) में यथाउपबंधित के सिवाय, उन उपधाराओं में किसी विशेष मामले का वर्णन, साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 6 के सामान्यत: लागू होने पर निरसन के संबंध में अन्यथा प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला नहीं ठहराया जाएगा ।

95. 1 अप्रैल, 2005 को रखे गए माल के स्टाक की घोषणा—प्रत्येक व्यौहारी, जो बिहार वित्त अधिनियम, 1981 (1981 का बिहार अधिनियम 5) जैसा वह धारा 94 द्वारा इसके निरसन से ठीक पूर्व विद्यमान था, के अधीन रजिस्ट्रीकृत था या जो 1 अप्रैल, 2005 के व्यौहारी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता है, 31 मार्च, 2005 को उसके द्वारा रखे गए माल के स्टाक की ऐसी रीति में और ऐसे विवरण सहित और ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्राधिकारी को जो विहित किया जाए, घोषणा करेगा ।

96. संक्रमणकालीन उपबंध—(1) जहां इस अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट माल से भिन्न कोई माल, जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी द्वारा रखा जाता है, ऐसा माल है जिस पर बिहार वित्त अधिनियम, 1981 (1981 का बिहार अधिनियम 5) जैसा वह धारा 94 द्वारा इसके निरसन से ठीक पहले विद्यमान था, के अर्थान्तर्गत उनके विक्रय के प्रथम बिन्दु पर पहले ही कर लग चुका है, उसके द्वारा विक्रय किया जाता है या उनका अन्य माल के विनिर्माण में इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख के पश्चात् प्रयोग कर लिया जाता है तो वह इस अधिनियम की धारा 16 और धारा 17 के अधीन ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, निवेश कर प्रत्यय का दावा करेगा और वह उसे अनुज्ञात किया जाएगा ।

(2) जहां इस अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट माल से भिन्न कोई माल रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी द्वारा इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को स्टाक में रखा जाता है, जो ऐसा माल है जिस पर बिहार वित्त अधिनियम 1981 (1981 का बिहार अधिनियम 5) जैसा वह धारा 94 द्वारा इसके निरसन से पूर्व विद्यमान था, के अर्थान्तर्गत उसकी बिक्री के प्रथम बिन्दु पर कर लग चुका है इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को या उसके पश्चात् बिहार राज्य के भीतर विक्रय के लिए माल के विनिर्माण के लिए या केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) की धारा 3 के अधीन अन्तरराज्य व्यापार और वाणिज्य के अनुक्रम में या केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956 की धारा 5 के अर्थान्तर्गत निर्यात के अनुक्रम में उसके द्वारा इस्तेमाल या उपभोग कर लिया जाता है, वहां वह इस अधिनियम की धारा 16 और धारा 17 के अधीन ऐसी रीति में, जो विहित की जाए निवेश कर प्रत्यय का दावा करेगा और वह उसे अनुज्ञात किया जाएगा ।

(3) जहां—

(क) किसी व्यौहारी को बिहार वित्त अधिनियम, 1981 (1981 का बिहार अधिनियम 5) जैसा वह धारा 94 द्वारा उसके निरसन से पूर्व विद्यमान था, की धारा 23क के अधीन संदेय कर के आस्थगन की सुविधा प्रदान की गई है, और जिसने इस अधिनियम के प्रारंभ पर पूर्ण हकदारी का उपभोग नहीं किया है, वहां उसे इस अधिनियम के अधीन संदेय कर के उस रीति में और विस्तार तक जो विहित किया जाए आस्थगन को जारी करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा;

(ख) किसी व्यौहारी को जिसे बिहार वित्त अधिनियम, 1981 (1981 का बिहार अधिनियम 5) जैसा वह धारा 94 द्वारा उसके निरसन के पूर्व विद्यमान था, धारा 7 की उपधारा (3) के खंड (ख) के अधीन कर के संदाय के आस्थगन की सुविधा दी गई है और जिसने इस अधिनियम के लागू होने पर पूर्ण हकदारी का उपभोग नहीं किया है, वहां उसे इस अधिनियम के अधीन उस रीति में और विहित विस्तार तक, इस अधिनियम के अधीन अपने कर दायित्व के विकल्प के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ।

(4) जहां—

(क) बिहार वित्त अधिनियम, 1981 (1981 का बिहार अधिनियम 5) जैसा वह धारा 94 द्वारा उसके निरसन से पूर्व था, के अधीन कर संगृहीत किया गया है किन्तु इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पहले उसे जमा नहीं किया गया है, वहां उक्त अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा इस प्रकार संगृहीत कर उपरोक्त अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार इस प्रकार जमा किया जाएगा मानो यह अधिनियम प्रवृत्त ही न हुआ हो और उक्त अधिनियम निरसित ही न किया गया हो;

(ख) बिहार वित्त अधिनियम, 1981 (1981 का बिहार अधिनियम 5) जैसा वह धारा 94 द्वारा उसके निरसन से पूर्व विद्यमान था, के अधीन विवरणी या विवरण फाइल करना अपेक्षित है, किन्तु उन्हें इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व फाइल नहीं किया गया था । वहां, यथास्थिति, ऐसी रिटर्न या विवरण इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार और ऐसे व्यक्ति द्वारा फाइल किए जाएंगे जो ऐसे रिटर्न या विवरण फाइल करने के लिए दायी है;

(ग) बिहार वित्त अधिनियम, 1981 (1981 का बिहार अधिनियम 5) जैसा वह धारा 94 द्वारा उसके निरसन से पूर्व विद्यमान था, के अधीन किसी वर्ष के लिए किसी व्यौहारी द्वारा कोई विवरणी फाइल की गई है किन्तु उस वर्ष के संबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व कोई निर्धारण नहीं किया गया है वहां उस व्यौहारी का उस वर्ष के लिए निर्धारण के लिए

कार्यवाहियां इस प्रकार की या जारी रखी जाएंगी मानो उक्त अधिनियम प्रवृत्त ही नहीं हुआ हो और पूर्वोक्त अधिनियम निरसित नहीं किया गया हो और ऐसा निर्धारण इस अधिनियम के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा;

(घ) कोई व्यक्ति बिहार वित्त अधिनियम, 1981 (1981 का बिहार अधिनियम 5) जैसा वह धारा 94 द्वारा उसके निरसन से पूर्व विद्यमान था, के अधीन किए गए विनिश्चय या पारित आदेश से व्यथित है, और उसने पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन के लिए कोई अपील या कोई आवेदन फाइल नहीं किया है वहां ऐसा व्यक्ति उक्त अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार विहित प्राधिकारी को पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन के लिए कोई ऐसी अपील या आवेदन या निपटान करने के लिए फाइल कर सकेगा;

(ङ) बिहार वित्त अधिनियम, 1981 (1981 का बिहार अधिनियम 5) जैसा वह धारा 94 द्वारा उसके निरसन से पूर्व विद्यमान था, वे अधीन कर का संदाय करने के लिए किसी व्यौहारी का कोई दायित्व प्रभारित हुआ था और ऐसा व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 48 के अधीन इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व, उच्च न्यायालय को निर्देश करने के लिए हकदार था वहां ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ के दो मास के भीतर निर्देश (यदि ऐसा निर्देश पहले ही नहीं कर दिया गया हो) कर सकेगा और इसे उक्त धारा 48 के उपबंधों के अनुसार, उच्च न्यायालय को निर्दिष्ट कर सकेगा मानो उक्त अधिनियम निरसित ही नहीं किया गया हो ।

(5) 18 अप्रैल, 2005 को आरंभ होने वाली और उस तारीख के ठीक पूर्व दिवस को जिसको यह अधिनियम प्रवृत्त होता है समाप्त होने वाली अवधि के दौरान इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी अपराध के लिए कोई ब्याज या शास्ति उद्गृहीत या अधिरोपणीय नहीं होगी या कोई अभियोजन आरंभ नहीं किया जाएगा ।

97. किसी निरसित विधि में अधिकारियों, प्राधिकारियों आदि के प्रतिनिर्देशों का अर्थान्वयन—बिहार वित्त अधिनियम, 1981 (1981 का बिहार अधिनियम 5) जैसा वह धारा 94 द्वारा उसके निरसन से पूर्व विद्यमान था, के किसी उपबंध में, किसी अधिकारी, प्राधिकारी या अधिकरण के प्रतिनिर्देश को, धारा 83 में अन्तर्विष्ट, उपबंधों के प्रभाव को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन नियुक्त या गठित तत्समान अधिकारी, प्राधिकारी या अधिकरण के प्रतिनिर्देश समझा जाएगा, और यदि इस संबंध में कि ऐसा तत्समान अधिकारी, प्राधिकारी या अधिकरण कौन होगा, कोई प्रश्न उठता है तो उस पर आयुक्त का विनिश्चय अंतिम होगा ।

98. कठिनाइयों का दूर किया जाना—(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

99. कतिपय अधिसूचनाओं का राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाना—इस अधिनियम के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान-मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह ऐसी कुल चौदह दिन की अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र के अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकती है, रखी जाएगी और यदि उस सत्र के, जिसमें वह ऐसे रखी जाती है या उसके ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन इस बात से सहमत हो जाएं कि वह अधिसूचना बातिल की जानी चाहिए तो ऐसी अधिसूचना, यथास्थिति, तत्पश्चात् केवल ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगी या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, उस अधिसूचना के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

100. बिहार मूल्य वर्धित कर अध्यादेश, 2005 का विधिमान्यकरण—बिहार मूल्य वर्धित कर अध्यादेश, 2005 (2005 का अध्यादेश सं० 1) (जिसके अंतर्गत पारित किया गया कोई आदेश, जारी कोई अधिसूचना, बनाया गया नियम भी है) के अधीन की गई कोई बात या कोई कार्रवाई विधिमान्य समझी जाएगी और इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

अनुसूची 1

(धारा 7 देखिए)

क्रम सं०	माल
1.	मोटे अनाज ।
2.	ताजी सब्जियां, ताजे फल ।
3.	ताजा मांस, ताजी मछलियां और पशुधन ।
4.	अप्रसंस्कृत और बिना ब्रांड का नमक ।
5.	ताजा दूध और पाश्चरीकृत दूध ।
6.	ताजा अंडे ।
7.	बिना पैक किया गया सादा जल ।
8.	किताबें, नियतकालिक पत्रिकाएं और पत्रिकाएं ।
9.	बिना ब्रांड की ब्रैड ।
10.	हथकरघा, जिसके अंतर्गत हथकरघा उत्पाद नहीं है ।
11.	पान के पत्ते ।
12.	कंडोम और कॉन्ट्रासेप्टिव ।
13.	दही, लस्सी और छाछ ।
14.	विद्युत ऊर्जा ।
15.	कांच की चूड़ियां ।
16.	कुमकुम और बिंदी ।
17.	विकलांग व्यक्तियों के लिए उपयोग किए जाने वाले सहाय और उपकरण ।
18.	कुक्कुट दाना और जलीय चारा ।
19.	हरा लहसुन और हरा अदरक ।
20.	जलाने की लकड़ी ।
21.	कृषि यंत्र, विशेषकर वे, जो मनुष्य द्वारा या पशु शक्ति द्वारा उपयोग किए जाने हैं जैसे कि रहट, हल और उसके पुर्जे, कुदाली, हौज, फावड़ा, हैरोज, दराती, खुरपी, करीन, कुंडी, मवर्स, कल्टीवेटर, रीजर्स, भूमि समतलक, कुल्हाड़ी, गंडासा, सीयर, योक, हाथ के झाड़न ।
22.	कच्चा रेशम ।
23.	स्वदेशी हस्तनिर्मित वाद्य यंत्र ।
24.	कच्चा ऊन ।
25.	ताजे फूल ।
26.	सैप्लिंग ।
27.	हैंक के सूती धागे ।
28.	पशु चालित गाड़ी ।
29.	राखी ।
30.	जनेऊ जो सामान्यतः यज्ञोपवीत के नाम से ज्ञात हैं ।

क्रम सं०	माल
31.	चीनी मिट्टी की बनी मूर्तियां ।
32.	चीनी मिट्टी के लैम्प ।
33.	शंख, प्लास्टिक, लाख या कांच की चूड़ियां ।
34.	पतंग ।
35.	तख्ती ।
36.	पोहा, मुरमुरा, लेक्ठो, लाई और मुकुनदाना ।
37.	सत्तू ।
38.	केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) की धारा 14 के खंड (iiक), (vii), (viii), (ix) और (x) में वर्णित माल ।

अनुसूची 2

(धारा 14 देखिए)

क्रम सं०	**माल**
1.	स्वर्ण, रजत और अन्य बहुमूल्य धातुएं ।
2.	स्वर्ण, रजत और बहुमूल्य धातुओं की वस्तुएं जिसके अंतर्गत स्वर्ण, रजत और बहुमूल्य धातुओं के आभूषण हैं ।
3.	बहुमूल्य रत्न ।

अनुसूची 3

(धारा 14 देखिए)

भाग 1

क्रम सं०	माल
1.	अम्ल ।
2.	अगरबत्ती ।
3.	सभी प्रकार की ईंटें जिसके अंतर्गत रिफेक्टरी ईंटें और एस्फल्टिक छत भी है ।
4.	कपास के हैंक सूत के सिवाय सभी प्रकार का सूत ।
5.	पुनः प्रवृत्त एल्यूमिनियम संचालक स्टील ।
6.	एल्यूमिनियम के बर्तन ।
7.	एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के अयस्क, उनके उत्पाद (जिसके अंतर्गत निष्कर्षण हैं), जो इस अनुसूची या किसी अन्य अनुसूची में अन्यत्र वर्णित नहीं है ।
8.	वेल्लित स्वर्ण और नकली स्वर्ण की बनी वस्तुएं ।
9.	कृत्रिम रेशमी सूत, पोलिस्टर फाइबर सूत और स्टैपल फाइबर सूत ।
10.	बैगेज ।
11.	मूल क्रोमियम सल्फेट, सोडियम ब्राइक्रोमेट; रंजक द्रव ।
12.	बीड़ी की पत्तियां ।
13.	बाइसिकिल, ट्राइसिकिल और उनके पुर्जे ।
14.	बोन मील ।
15.	ब्रान का तेल ।
16.	ब्रांड युक्त ब्रेड ।
17.	एरंडी का तेल ।
18.	चारकोल ।
19.	रासायनिक उर्वरक, नाशक जीवमार, खरपतवार नाशक और कीटनाशी जिसके अंतर्गत मच्छरों को भगाने की ओषधि सम्मिलित नहीं है ।
20.	रसायन, जिसके अंतर्गत कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटाश, सोडा भस्म, रंजक चूर्ण, सोडियम बाइकारबोनेट, सोडियम हाइड्रो सल्फाइट, ऐलूमिना का सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम एसिटेट, सोडियम सल्फेट, अम्ल की गाद, ट्राई, सोडियम ट्राइपोली फास्फेट, सोडियम फास्फेट, सोडियम सिलिकेट, सोडियम मेटासिलिकेट, कारबोक्सी मिथाइल सेलूलोस, सोडियम सल्फेट, ऐसिटिक अम्ल, सोडियम बाई सल्फाइट, ओग्जेलिक अम्ल, सोडियम थायो सल्फेट, सोडियम सल्फाइट, सोडियम ऐल्गीनेट, बेन्जीन, सिट्रिक अम्ल, डाई इथाइलीन ग्लाईकोल, सोडियम नाइट्राइट, हाइड्रोजन पैराऑक्साइड, एसिटएल्डीहाइट, पेन्टा एरीथ्रीटाल, सोडियम एल्फा ओलिफिन सल्फोनेट, सोडियम फोर्मेट, रासायनिक संघटक और मिश्रण तथा सभी अन्य रसायन हैं जो इस अनुसूची या किसी अन्य अनुसूची में अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हैं ।
21.	मिर्च ।
22.	चीनी मिट्टी ।
23.	जीरा दाना ।
24.	केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 के अधीन घोषित माल, उस धारा की उपधारा (iiक), (vii), (viii), (ix) और (x) में वर्णित माल के सिवाय ।
25.	बिना तेल की खली ।

क्रम सं०	माल
26.	रंजक अर्थात्: (i) अम्ल रंजक; (ii) एलिजरीन रंजक; (iii) क्षार; (iv) क्षारकीय रंजक; (v) प्रत्यक्ष रंजक; (vi) नेफथोल्स; (vii) नाइलॉन के रंजक; (viii) प्रकाशीय सफेदकार अभिकारक; (ix) प्लास्टिक के रंजक; (x) प्रतिक्रियाशील रंजक; (xi) गंधक के रंजक; (xii) वैट का रंजक; (xiii) वे सभी अन्य रंजक जो अनुसूची में अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हैं ।
27.	खाद्य तेल और खली ।
28.	इलेक्ट्रोड ।
29.	कसीदाकारी या जरी की वस्तुएं अर्थात्: (i) इमी; (ii) जरी; (iii) कसब; (iv) साइमा; (v) डबका; (vi) चमकी; (vii) गोटा; (viii) सितारा; (ix) नक्सी; (x) कोरा; (xi) कांच के मनके; (xii) बदला; (xiii) जाल; (xiv) कसीदाकारी की मशीनें; (xv) कसीदाकारी की सुइयां ।
30.	अग्नि-चीनी मिट्टी, कोयला भस्म, कोयले की बॉयलर की भस्म, कोयले की राख की भस्म, कोयले का चूर्ण, क्लिंकर ।
31.	चक्की का आटा, मैदा, सूजी, ब्रान और बेसन ।
32.	गैल्वनीकृत लोहे की पाइपें ।
33.	जिंजली का तेल ।
34.	गुड़ और शक्कर ।
35.	हैंड पंप और उसके पुर्जे ।
36.	हौज पाइपें ।
37.	होजरी का माल ।
38.	बर्फ ।
39.	औद्योगिक केबल ।
40.	किसी औद्योगिक निवेश में अनन्य रूप से प्रयुक्त अनुसूची के भाग 3 में यथाविनिर्दिष्ट औद्योगिक निवेश ।
41.	सूचना प्रोद्यौगिकी के उत्पाद जो अनुसूची के भाग 2 में दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत कंप्यूटर, टेलीफोन और उनके पुर्जे, टेलीप्रिंटर और बेतार के उपस्कर सम्मिलित हैं ।
42.	खांडसारी ।
43.	किराना माल, जैसे— i. मसाले जैसे, लहसुन, हल्दी, गोल मिर्च, तेज पत्ता, धनिया, जीरा, लौंग, इलायची, सहजीरा, मंगराइला, दालचीनी, जाफर, हींग, मेथी, जावित्री, सौंफ, सभी प्रकार के अदरक, जटामासी, इमली, सौंठ, अजवाइन, कबाब चीनी और मिर्च; ii. ओषधीय जड़ी बूटी; और iii. प्रकीर्ण वस्तुएं जैसे रोली, गुलाल, अभ्रक चूर्ण, कपूर, पिपरमेंट, धूप, अगरबत्ती, लौह-भान, ऐरारूट, सोहागा, नौशादर, फिटकरी, पोस्त और मीठा सोडा ।
44.	बुनाई की ऊन ।
45.	लिग्नाइट ।
46.	चूना, चूना पत्थर, चूने के उत्पाद, डोलोमाइट और अन्य सफेदी करने की सामग्री जो इस अनुसूची या किसी अन्य अनुसूची में अन्यत्र वर्णित नहीं है ।
47.	रेखीय अल्काइल बेंजीन ।
48.	मक्का के उत्पाद ।

क्रम सं०	माल
49.	सभी किस्म की औषध और ओषधियां जिसके अंतर्गत कोई प्रसाधन, परफ्यूमरी, प्रसाधन, और केश तेल है, चाहे ऐसी सामग्री जिसके अंतर्गत कोई प्रसाधन, परफ्यूमरी, प्रसाधन, सिर का तेल, किसी औषध अनुज्ञप्ति के अधीन विनिर्मित किया जाता है या नहीं और चाहे कोई प्रसाधन, परफ्यूमरी, प्रसाधन, और केश तेल में कोई औषधीय गुण है या नहीं ।
50.	केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 के अधीन घोषित की गई धातुओं से भिन्न धातुएं, अयस्क, धातुओं का चूर्ण, सभी प्रकार और श्रेणियों की धातुओं की पेस्ट तथा धातु स्क्रैप ।
51.	मिश्रित पी० वी० सी० स्थिरक ।
52.	नैपा की सिलियां (मोटे फर्श के पत्थर) ।
53.	अयस्क और खनिज ।
54.	कार्बनिक खाद ।
55.	खजूर वसा अम्ल ।
56.	कागज और अखबारी कागज जिसके अंतर्गत अभ्यास पुस्तिका, पेपर बोर्ड, मिल बोर्ड, स्ट्रा बोर्ड, ब्लाटिंग पेपर, कार्ड बोर्ड, अपशिष्ट कागज (कटिंग पेपर), कार्टरिज पेपर, पैकिंग पेपर, पेपर बैग, डब्बे, कार्ड, खाली रजिस्टर, नोट बुक, लिफाफे, लेबल, लेटर पैड, लिखने की स्याही और फ्लैट फाइल ।
57.	(i) खाद्य श्रेणी के मानकों से भिन्न सभी श्रेणी के मानकों के पैराफीन मोम जिसके अंतर्गत मानक मोम और दियासलाई के मोम सम्मिलित हैं; (ii) स्लैक मोम ।
58.	सभी प्रकार के पैन जिसके अंतर्गत रिफिल भी हैं ।
59.	प्लास्टिक के जूतादि ।
60.	प्लास्टिक के दाने ।
61.	विद्युत प्रचालित कृषि उपकरण ।
62.	मुद्रण स्याही, जिसमें टोनर और कार्टरिज नहीं है ।
63.	प्रसंस्कृत और ब्रांड युक्त नमक ।
64.	बांस की लुग्दी ।
65.	पी० वी० सी० की पाइपें ।
66.	तैयार परिधान ।
67.	रबड़ अर्थात्—(क) कच्ची रबड़, लेटेक्स, शुष्क रबड़ की चादरें, सभी आर एम ए श्रेणियां, पेड़ की लेस, भूमि स्क्रैप, अमोनिकृत लेटेक्स, पुनःनिर्मित लेटेक्स, लेटेक्स सांद्रण, अपकेन्द्रीय लेटेक्स, शुष्क क्रेप, शुष्क ब्लाक रबड़, क्रम रबड़, मक्खनिया रबड़ और लेटेक्स की सभी अन्य क्वालिटियां और श्रेणियां; (ख) सभी श्रेणियों और क्वालिटियों की पुनः प्राप्त रबड़; (ग) संश्लिष्ट रबड़ ।
68.	निरापद दियासिलाइयां ।
69.	मनके ।
70.	सिलाई के धागे ।
71.	पोत (जिसके अंतर्गत पोत निर्माण भी है) ।
72.	रेशम के फैब्रिक ।
73.	कार्बनिक विलायक तेल से भिन्न विलायक तेल ।
74.	स्पांज लोहा ।
75.	स्टेनलेस स्टील ।

क्रम सं०	माल
76.	मांड ।
77.	इमली ।
78.	ट्रेक्टर, फसल कटाई के उपकरण और उनके पुर्जे ।
79.	प्रेषण तार और टावर ।
80.	हल्दी ।
81.	वनस्पति ।
82.	वनस्पति तेल ।
83.	जल, जब वह सीलबंद आधान में विक्रीत हो ।
84.	लेखन उपकरण ।
85.	नवीकरणीय ऊर्जा, युक्तियां और उनके पुर्जे जैसे प्लैट सूर्य ऊर्जा कलेक्टर, सांदरण और पाइप किस्म के सूर्य ऊर्जा कलेक्टर, सूर्य ऊर्जा जल उष्मायक और प्रणालियां, वायु/गैस/तरल उष्मायक प्रणाली, सूर्य ऊर्जा क्रोप व्यौहारी और प्रणालियां, सूर्य ऊर्जा स्टिल और डीक्लीनेशन प्रणाली, सूर्य ऊर्जा ताप पर आधारित सूर्य ऊर्जा पंप और सूर्य ऊर्जा फोटो वोल्टाइक संपरिवर्तन, सूर्य ऊर्जा विद्युत जनन प्रणाली, सूर्य ऊर्जा फोटोवोल्टाइल नोड्यूल और जल पंपिंग के लिए पैनल और अन्य उपयोजन, पवन चक्की और विनिर्दिष्ट रूप से डिजाइन की गई पवन चक्की, कोई विशेष युक्ति जिसके अंतर्गत बिजली जनक और पवन ऊर्जा पर चलने वाले पंप सम्मिलित हैं, बायो गैस संयंत्र और बायो गैस इंजिन और बायोगैस गैस फायर, एग्रीकल्चर और नगरपालिक जल संपरिवर्तन युक्तियां उत्पादक ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा का उपयोग करने के लिए उपस्कर, सुधार किए गए और सौर ऊर्जा चूल्हों की सुवाहय किस्में, सौर ऊर्जा प्रशीतन, सौर ऊर्जा शीत भंडारण और सौर ऊर्जा वायु प्रशीतन प्रणालियां, बिजली प्रचालित यान जिसके अंतर्गत बैटरी शक्ति या ईंधन सैल शक्ति यान सम्मिलित हैं ।

भाग 2

क्रम सं०	माल
1.	वर्ड प्रोसेसिंग मशीन इलैक्ट्रॉनिक टाइपराइटर ।
2.	इलैक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर ।
3.	कंप्यूटर सिस्टम और पेरीफेरल्स, इलैक्ट्रॉनिक डायरी ।
4.	ऊपर क्रम सं० 1, 2, 3 विनिर्दिष्ट वस्तुओं के पुर्जे और उपसाधन ।
5.	डी सी माइक्रोमीटर/37.5 वाट से अनधिक उत्पादक की स्टेपर मोटर ।
6.	ऊपर क्रम सं० 5 विनिर्दिष्ट वस्तुओं के पुर्जे ।
7.	निर्वाध विद्युत प्रवाहक (यू०पी०एस०) और उनके पुर्जे ।
8.	स्थायी चुम्बक और स्थायी चुम्बक होने के लिए आशयित वस्तुएं (फेरिट्स) ।
9.	लाइन टेलीफोन या लाइन टेलीग्राफी के लिए विद्युत उपकरण, जिसमें कॉर्डलेस हैंडसेट सहित लाइन टेलीफोन सेट और कैरिज करेंट लाइन सिस्टम के लिए दूर-संचार उपकरण या डिजिटल लाइन सिस्टम सम्मिलित हैं; वीडियोफोन ।
10.	माइक्रोफोन, मल्टीमीडिया स्पीकर्स, हेडफोन, इयरफोन और संयुक्त माइक्रोफोन/स्पीकर सेट और उनके पुर्जे ।
11.	टेलीफोन आंसरिंग मशीन ।
12.	टेलीफोन आंसरिंग मशीन के पुर्जे ।
13.	ध्वनि रिकार्डिंग के लिए तैयार अनरिकॉर्डेड मीडिया या अन्य परिघटना की वैसी ही रिकॉर्डिंग ।
14.	किसी मीडिया पर सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर ।
15.	रेडियो प्रसारण या दूरदर्शन प्रसारण के लिए उपकरण से भिन्न पारेषण उपकरण, पारेषण उपकरण में समाविष्ट ग्राही उपकरण, डिजिटल स्थिर छाया वीडियो कैमरा ।
16.	रेडियो संचार रिसीवर, रेडियो पेजर ।
17.	(i) एरियल, एन्टीना और उनके पुर्जे । (ii) ऊपर क्रम सं० 14 और 15 पर उल्लिखित वस्तुओं के पुर्जे ।
18.	एल सी डी पैनल, एल ई डी पैनल और उनके पुर्जे ।
19.	विद्युत कैपेसिटर, स्थिर, परिवर्तनीय या समायोज्य (प्री-सेट) और उनके पुर्जे ।
20.	ऊष्मा प्रतिरोधकों से भिन्न विद्युत प्रतिरोधक (रियोस्टेट्स और पोटेंशियोमीटर सहित) ।
21.	मुद्रित सर्किट ।
22.	250 वोल्ट्स वोल्टेज से अनधिक पर 5 एम्पीयर तक स्विच, कनेक्टर और रिले, विद्युत फ्यूज ।
23.	टी वी पिक्चर ट्यूब और उनके पुर्जों से भिन्न, डेटा/ग्राफिक डिस्पले ट्यूब ।
24.	डायोड, ट्राजिस्टर और वैसी ही अर्धचालक युक्तियां; फोटोवोल्टेइक सैल, चाहे वे मॉडयूल्स में समंजित हों या नहीं अथवा पेनल्स में बने हुए हों, सहित प्रकाश-सुग्राही अर्धचालक युक्तियां, प्रकाश उत्सर्जी डायोड, माउंटेड पीजो-इलैक्ट्रिक क्रिस्टल ।
25.	इलैक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड सर्किट और माइक्रो-असेम्बली ।
26.	सिग्नल जनरेटर और उनके पुर्जे ।
27.	ऑप्टिकल फाइबर केबल ।
28.	ऑप्टिकल फाइबर और ऑप्टिकल फाइबर बंडल और केबल ।
29.	तरल क्रिस्टर युक्तियां, फ्लेट पैनल डिस्प्ले युक्तियां और उनके पुर्जे ।
30.	कैथोड किरण ओसीलोस्कोप, वर्णक्रम-विश्लेषक, मिश्रित वार्ता मीटर, प्रति मापी उपकरण, विकृति कारकमीटर, सोफोमीटर, नेटवर्क और प्रभाव विश्लेषक तथा सिग्नल विश्लेषक ।

भाग 3

क्रम सं०	माल
1.	पशु (जिसके अंतर्गत मछली भी है), अपरिष्कृत, परिष्कृत या शुद्ध वसा और तेल ।
2.	ग्लिसरॉल, अपरिष्कृत, ग्लिसरॉल जल और ग्लिसरॉल लाइज ।
3.	वनस्पति मोम (ट्राइग्लिसराइड से भिन्न), अन्य कीट मोम और स्पर्मासेल, चाहे शुद्ध या रंगी हो अथवा नहीं, डिग्रेस, फैलने वाले पदार्थों या पशुओं अथवा वनस्पति मोमों के उपचार से प्राप्त अवशेष ।
4.	उबाला हुआ, ऑक्सीकृत, निर्जलीकृत, सल्फरीकृत, विकसित, निर्वात में या अक्रिय गैस में ऊष्मा द्वारा बहुलकीकृत अथवा अन्यथा रासायनिक रूप से रूपांतरित पशु या वनस्पति वसा; अखाद्य मिश्रण या वसाओं और तेलों के विरचन ।
5.	तरल ग्लूकोज (अनऔषधीय) ।
6.	किसी भी शक्ति का विकृत एथिल एल्कोहल ।
7.	शुष्क भार पर संगणित, 20: या अधिक मैंगनीज की मात्रा के साथ फैरूजिनस मैंगनीज अयस्क और सांद्र सहित मैंगनीज अयस्क और सांद्र ।
8.	तांबा अयस्क और सांद्र ।
9.	निकेल अयस्क और सांद्र ।
10.	कोबाल्ट अयस्क और सांद्र ।
11.	एल्युमिनियम अयस्क और सांद्र ।
12.	सीसा अयस्क और सांद्र ।
13.	जस्ता अयस्क और सांद्र ।
14.	टीन अयस्क और सांद्र ।
15.	क्रोमियम अयस्क और सांद्र ।
16.	टंगस्टन अयस्क और सांद्र ।
17.	यूरेनियम या थोरियम अयस्क और सांद्र ।
18.	मोलिब्डेनम अयस्क और सांद्र ।
19.	टाइटेनियम अयस्क और सांद्र ।
20.	निओबियम, टेन्टेलम, बेनेडियम या जिरकोनियम अयस्क और सांद्र ।
21.	बहुमूल्य धातु अयस्क और सांद्र ।
22.	अन्य अयस्क और सांद्र ।
23.	लौह या इस्पात के विनिर्माण के लिए दानेदार धातुमल (धातुमल बालू) ।
24.	बेंजोल ।
25.	टॉल्यूओल ।
26.	जाइलोल ।
27.	नेफ्थलीन ।
28.	फिनोल ।
29.	क्रिसोट तेल ।
30.	फ्लूओरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ।

क्रम सं०	माल
31.	गंधक, अवक्षेपित या ऊर्ध्वपातित, कोलाइडल गंधक ।
32.	कार्बन (कार्बन कालिमा और कार्बन के अन्य रूप जो किसी अन्य स्थान पर विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं) ।
33.	हाइड्रोजन, दुर्लभ गैसें और अन्य अधातुएं ।
34.	क्षार और क्षारीय-मृदा धातुएं, दुर्लभ-मृदा धातुएं, स्केंडियम और इरीट्रियम, चाहे अंतर मिश्रित या अंतर मिश्रातु हो या नहीं; पारद ।
35.	हाइड्रोजन क्लोराइड (हाइड्रोक्लोरिक अम्ल) ।
36.	सल्फ्यूरिक अम्ल और उनके एनहाइड्राइड्स: ओलियम ।
37.	नाइट्रिक अम्ल; सल्फोनाइट्रिक अम्ल ।
38.	डाइफोस्फोरस पेंटाऑक्साइड; फोस्फोरक अम्ल और पोलिफोरिक अम्ल ।
39.	बोरोन के ऑक्साइड: बोरिक अम्ल ।
40.	हैलाइड्स और अधातुओं के हैलाइड आक्साइड ।
41.	अधातुओं के सल्फाइड, व्यावसायिक फोस्फोरस ट्राइसल्फाइड ।
42.	अमोनिया, निर्जलीय या जलीय विलयन में ।
43.	सोडियम हाइड्रोक्साइड (कास्टिक सोडा): सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड (कास्टिक पोटाश); और पोटेशियम के परऑक्साइड ।
44.	मैग्नीशियम के हाइड्रॉक्साइड और पर ऑक्साइड; स्ट्रान्शियम या बेरियम के ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड ।
45.	एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ।
46.	क्रोमियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड ।
47.	मैंग्नीज ऑक्साइड ।
48.	लौह ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड ।
49.	कोबाल्ट ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड; व्यावसायिक कोबाल्ट ऑक्साइड ।
50.	टेटेनियम ऑक्साइड ।
51.	हाइड्राजीन और हाइड्रोक्सीलेमीन और उनके अकार्बनिक लवण; अन्य अकार्बनिक क्षार; अन्य धातु ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और पर ऑक्साइड ।
52.	फ्लूओराइड; फलूरोसिलिकेट; फ्लूरोएल्युमिनेट और अन्य जटिल फ्लूओरीन लवण ।
53.	क्लोराइड, क्लोराइड ऑक्साइड और क्लोराइड हाइड्रोक्साइड, ब्रोमाइड और ब्रोमाइड ऑक्साइड, आयोडाइड और आयोडाइड ऑक्साइड ।
54.	क्लोरेट और परक्लोरेट, ब्रोमेट और परब्रोमेट; आयोडेट और परआयोडेट ।
55.	सल्फाइड; पॉलीसल्फाइड ।
56.	डाईथायोनाइट और सल्फोजाइलेट ।
57.	सल्फाइड; थायोसल्फेट ।
58.	कॉपर सल्फेट ।
59.	नाइट्राइट; नाइट्रेट ।
60.	फास्फीनेट (हाइपोफॉस्फाइट), फॉस्फोनेट (फॉस्फेट), फॉस्फेट और पॉलीफॉस्फेट ।
61.	कार्बोनेट; परोजोकार्बोनेट (परकार्बोनेट): व्यावसायिक अमोनियम ।
62.	साइनाइड, साइनाइड ऑक्साइड और जटिल साइनाइड ।
63.	फल्मीनेट, सायनेट और थायोसायनेट ।

क्रम सं०	माल
64.	बोरेट, परोजोबोरेट (परबोरेट)।
65.	सोडियम डाइक्रोमेट।
66.	पोटेशियम डाइक्रोमेट।
67.	रेडियोसक्रिय रासायनिक तत्व और रेडियोसक्रिय समस्थानिक (खंडनीय रासायनिक तत्व और समस्थानिक सहित) और उनके यौगिक : इन उत्पादों वाले मिश्रण और अवशेष।
68.	ऐसे समस्थानिकों के कार्बनिक और अकार्बनिक, समस्थानिक यौगिक, चाहे रासायनिक रूप से परिभाषित हों अथवा नहीं।
69.	इरीट्रियम, स्केंडियम या इन धातुओं के मिश्रण, दुर्लभ मृदा धातुओं के कार्बनिक या अकार्बनिक, यौगिक।
70.	फास्फाइड्स, फेरोफोस्फोरस को छोड़कर चाहे रासायनिक रूप से परिभाषित हों अथवा नहीं।
71.	कैल्शियम कार्बाइड।
72.	चक्रीय हाइड्रोकार्बन।
73.	हाइड्रोकार्बन के हैलोजनीकृत व्युत्पन्न।
74.	हाइड्रोकार्बन के सल्फोनीकृत, नाइट्रीकृत या नाइट्रोजनीकृत व्युत्पन्न, चाहे हैलोजनीकृत हो अथवा नहीं।
75.	चक्रीय एल्कोहाल और उनके हैलोजनीकृत, सल्फोनीकृत नाइट्रीकृत या नाट्रोजनीकृत व्युत्पन्न।
76.	फीनोल या फीनोल-एल्कोहल के हैलोजनीकृत सल्फोनीकृत, या नाइट्रोजनीकृत व्युत्पन्न।
77.	ईथर, ईथर-अल्कोहल, ईथर फीनोल, ईथर अल्कोहल फीनोल, अल्कोहल परऑक्साइड, ईथर परऑक्साइड, कीटोन परऑक्साइड (चाहे रासायनिक रूप से परिभाषित हों या नहीं और उनके हैलोजनीकृत, सल्फोनीकृत, नाइट्रीकृत या नाइट्रोजनीकृत, व्युत्पन्न)।
78.	त्रि-अवयवी मुद्रिका सहित इपोक्साइड, इपोक्सीअल्कोहल, इफोक्सीफीनोल और इपोक्सीईथर और उनके हैलोजनीकृत, सल्फोनीकृत नाइट्रीकृत या नाइट्रोजनीकृत, व्युत्पन्न।
79.	एसीटल और हैमीएसीटल, चाहे अन्य आक्सीजन क्रिया सहित हों अथवा नहीं और उनके हैलोजनीकृत, सल्फोनीकृत, नाइट्रीकृत या नाट्रोजनीकृत व्युत्पन्न।
80.	एल्डीहाइड, चाहे वे अपनी आक्सीजन क्रिया सहित हों या नहीं, एल्डीहाइड के चक्रीय बहुमर, पैराफार्मेल्डीहाइड।
81.	हैलोजनीकृत, सल्फोनीकृत, नाइट्रीकृत या नाइट्रोजनीकृत व्युत्पन्न।
82.	संतृप्त अचक्रीय मोनोकार्बोक्जिलिक अम्ल और उनके एनहाइड्राइड, हैलाइड, परऑक्साइड और पर ऑक्सीअम्ल, उनके हैलोजनीकृत, सल्फोनीकृत, नाइट्रीकृत या नाइट्रोजनीकृत व्युत्पन्न।
83.	असंतृप्त अचक्रीय मोनोकार्बोक्जिलिक अम्ल, मोनोकार्बोक्जिलिक अम्ल, उनके एनहाइड्राइड, हैलाइड, परऑक्साइड और परऑक्सी अम्ल, उनके हैलोजनीकृत, सल्फोनीकृत, नाइट्रीकृत या नाइट्रोजनीकृत व्युत्पन्न।
84.	बहुकॉर्बोक्जिलिक अम्ल, उनके एनहाइड्राइड, हैलाइड, परऑक्साइड और परऑक्सीअम्ल; उनके हैलोजनीकृत, सल्फोनीकृत, नाइट्रीकृत या नाइट्रोजनीकृत व्युत्पन्न।
85.	अतिरिक्त ऑक्सीजन क्रिया सहित कार्बोक्जिलिक अम्ल और उनके एनहाइड्राइड, हैलाइड, परऑक्साइड और परऑक्सीअम्ल, उनके हैलोजनीकृत, सल्फोनीकृत, नाइट्रीकृत या नाइट्रोजनीकृत व्युत्पन्न।
86.	फॉस्फोरिक एस्टर और उनके लवण जिसमें लैक्टोफॉस्फेट सम्मिलित है, उनके हैलोजनीकृत, सल्फोनीकृत, नाइट्रीकृत, नाइट्रोजनीकृत व्युत्पन्न।
87.	अन्य अकार्बनिक अम्लों के एस्टर (हाइड्रोजन हैलाइड के एस्टर को छोड़कर) और उनके लवण, उनके हैलोजनीकृत, सल्फोनीकृत नाइट्रीकृत या नाइट्रोजनीकृत व्युत्पन्न।
88.	एमीन-क्रिया यौगिक।
89.	ऑक्सीजन-क्रिया अमीन यौगिक।
90.	चतुर्धातुक अमोनियम लवण और हाइड्रोक्साइड, लेसीथीन और अन्य फॉस्फो अमीनो लिपिड।

क्रम सं०	माल
91.	कार्बोक्सीअमीनो-क्रिया यौगिक; कार्बोनिक अम्ल के एमाइड-क्रिया यौगिक ।
92.	कार्बोक्सीएमाइड क्रिया यौगिक (जिसमें सेकेरिन और उनके लवण सम्मिलित है) और इमाइन-क्रिया यौगिक ।
93.	नाइट्राइल-क्रिया यौगिक ।
94.	डाईएजो, एक्जो-ओरेजॉक्सी यौगिक ।
95.	हाइड्राजीन के या हाइड्रोक्सिलएमीन के कार्बनिक व्युत्पन्न ।
96.	ऑर्गेनो-सल्फो यौगिक ।
97.	इथिलीन डाईएमीन ट्रेटा एसिटिक अम्ल, नाइट्रिलो ट्राई एसिटिक एसिड और उनके व्युत्पन्न ।
98.	केवल ऑक्सीजन विषम परमाणु (ओं) सहित हेट्रोचक्रीय यौगिक ।
99.	केवल ऑक्सीजन विषम परमाणु (ओं) सहित विषम चक्रीय यौगिक ।
100.	न्यूक्लिक अम्ल और उनके यौगिक, अन्य विषम चक्रीय यौगिक ।
101.	सल्फोनेमाइड्स ।
102.	प्राकृतिक या संश्लेषण द्वारा उत्पन्न, ग्लाइकोसाइड्स और उनके लवण, ईथर एस्टर और अन्य व्युत्पन्न ।
103.	प्राकृतिक या संश्लेषक द्वारा उत्पन्न, वनस्पति एल्स्केलायड और उनके लवण, ईथर एस्टर और अन्य व्युत्पन्न ।
104.	इथलीन डाईएमीन टेट्रा एसिटिक अम्ल, नाइट्रिलो ट्राइएसेट्रिक अम्ल और उनके व्युत्पन्न ।
105.	वनस्पति मूल के टैनिंग निष्कर्षण, टेनिस और उनके लवण, ईथर एस्टर और अन्य व्युत्पन्न ।
106.	संश्लेषित कार्बनिक टैनिंग पदार्थ, अकार्बनिक टैनिंग पदार्थ, टैनिंग निर्मितियां चाहे उनमें प्राकृतिक टैनिंग पदार्थ अंतर्विष्ट हो अथवा नहीं ।
107.	वनस्पति या पशु मूल का रंजक द्रव्य (जिसमें रंगाई निष्कर्षण सम्मिलित है किन्तु पशु कालिमा सम्मिलित नहीं है) चाहे रासायनिक रूप से परिभाषित हों या नहीं, वनस्पति या पशु मूल के रंजक द्रव्य पर आधारित निर्मितियां ।
108.	संश्लेषित कार्बनिक रंजक द्रव्य, प्रतिदीप्तिशील प्रभामन कर्मक या संदीपकों के रूप में प्रयोग किए जाने वाले कार्बनिक उत्पादों का एक प्रकार चाहे रासायनिक रूप से परिभाषित हो या नहीं ।
109.	रंगीन झीलें, रंगीन झीलों पर आधारित निर्मितियां ।
110.	चूर्ण, दाने या पतली परत के रूप में, कांच आद्राव और अन्य कांच ।
111.	निर्मित शोषक ।
112.	मुद्रण की स्याही चाहे सांद्रित या ठोस हो अथवा नहीं ।
113.	केसीन, केसीनेट्स और अन्य केसीन व्युत्पन्न, केसीन सरेश ।
114.	एंजाइम, निर्मित एंजाइम जो किसी अन्य स्थान पर विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं है ।
115.	कृत्रिम ग्रेफाइट, कोलाइडल या अर्ध कोलाइडल ग्रेफाइट, पेस्ट ब्लाक, लेपित या अन्य अर्ध-विनिर्मितियों के रूप में ग्रेफाइट या अन्य कार्बन पर आधारित निर्मितियां ।
116.	सक्रिय कार्बन, सक्रिय प्राकृतिक खनिज उत्पाद, पशु कालिमा, जिसमें प्रयुक्त पशु कालिमा सम्मिलित है ।
117.	लकड़ी के गूदे के विनिर्माण से प्राप्त अवशेष घोल, चाहे सांद्रित, विशर्करीकृत या रायायनिक रूप से उपचारित हो अथवा नहीं जिससे लिग्निंग सल्फोनेट भी सम्मिलित है ।
118.	रेजिन और रेजिन अम्ल और उनके व्युत्पन्न; रेजिन स्पिरिट और रेजिन तेल ।
119.	काष्ठ तार, काष्ठ तार तेल, काष्ठ क्रियोसोट; काष्ठ नेफथा; वनस्पति पिच, निसबक पिच और रोजिन, रोजिन अम्लों या वनस्पति पिच पर आधारित वैसी ही निर्मितियां ।
120.	परिसज्जा कर्मक, रंगाई को या रंगाई-द्रव्य की स्थिरता को बढ़ाने के लिए रंजक बाहित्र और अन्य उत्पाद और निर्मितियां (उदाहरण के लिए वस्त्र, कागज, चर्म या वैसे ही उद्योगों, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं है, में प्रयोग किए गए ड्रेसिंग और रंग बंधक के प्रकार ।

क्रम सं०	माल
121.	निर्मित रबड़ लटक, रबड़ या प्लास्टिक के लिए यौगिक प्लास्टिसाइजर रबड़ या प्लास्टिक के लिए एन्टी-ऑक्सीडेंट निर्मितियां और अन्य यौगिक स्थिरीकारक जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं ।
122.	मुद्रण उद्योग में प्रयुक्त अपचायित्र और ब्लेंकेट धावन/बेल्लन धावन ।
123.	प्रतिक्रिया प्रेरक, प्रतिक्रिया त्वरक और उत्प्रेरक निर्मितियां, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं ।
124.	मिश्रित एल्किन बैंजीन और मिश्रित एल्किलथेलीन ।
125.	डिस, वेफर या वैसे ही रूपों में इलैक्ट्रोनिक में प्रयोग के लिए मादित रासायनिक तत्व, इलैक्ट्रोनिक में प्रयोग के लिए मादित रासायनिक यौगिक ।
126.	औद्योगिक मोनोकार्बोक्सिलिनिक वसीय अम्ल, परिष्करण से प्राप्त अम्ल तैल; औद्योगिक वसीय अल्कोहल ।
127.	मुद्रण उद्योग में प्रयुक्त मंदक ।
128.	प्राथमिक रूपों में, प्रोपिलीन या अन्य ओलीफिन के बहुमर ।
129.	प्राथमिक रूपों में एक्रिलिक बहुलक ।
130.	प्राथमिक रूपों में पॉलीएसीटल अन्य पॉलीईथर और एक्सपॉक्साइड रेजिन, प्राथमिक रूपों में पॉलीकार्बोनेट, एल्किल रेजिन, पॉलीएलिल एस्टर और अन्य पॉलीएस्टर ।
131.	प्राथमिक रूपों में पॉलीएमाइड ।
132.	प्राथमिक रूपों में अमीनों रेजिन, पॉलीहफेनिलीन ऑक्साइड, फिनोलिक रेजिन और प्लाईयूरेथेन ।
133.	प्राथमिक रूपों में सिलिकॉन ।
134.	पेट्रोलियम रेजिन, वुमारोन-इंडीन रेजिन, पॉलीटर्पीन पॉलीसल्फाइड ।
135.	सेल्युलोज और इसके रासायनिक व्युत्पन्न; और सेल्युलाज ईथर, जो प्राथमिक रूपों में अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं ।
136.	प्राकृतिक बहुमर (उदाहरण के लिए एल्जीनिक अम्ल) और परिवर्तित प्राकृतिक पॉलीएर (उदाहरण के लिए कठोर प्रोटीन, प्राकृतिक रबड़ के रासायनिक व्युत्पन्न), जो प्राथमिक रूपों में अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं ।
137.	बहुमरों पर आधारित आयन-विनिमयक ।
138.	स्वतः चिपकने वाली प्लेटें, शीट, फिल्म फॉयल टेप, प्लास्टिक की पट्टियां चाहे रोल में हों अथवा नहीं ।
139.	मुलायम साधारण फिल्म ।
140.	प्लास्टिक के माल की पैकिंग के लिए वस्तुएं; अर्थात्: बॉक्स, केसेज, क्रेट्स, कंटेनर, कारबायज, बोतल, जरीकेन और उनके स्टापर, प्लास्टिक की ढक्कन कैंप किन्तु इसमें विद्युत-रोधी वेयर सम्मिलित नहीं हैं ।
141.	प्राथमिक रूपों में या प्लेटों में, परतों में या पट्टियों में प्राकृतिक रबड़, बेलाटा, परचा, गुमायूल, चिकल और अन्य समान प्राकृतिक गोंदें ।
142.	प्राथमिक रूपों में परतों में या शीटों में, या पट्टियों में संश्लेषित रबड़ और तेलों से व्युत्पन्न फेक्टिस; इस शीर्ष के किसी उत्पाद के मिश्रण ।
143.	प्राथमिक रूपों में या परतों में या शीटों में या पट्टियों में पुनः प्राप्त रबड़ ।
144.	अवल्कनीकृत रबड़ के रूपों या वस्तुओं से भिन्न, प्राकृतिक रूपों में या परतों में या शीटों में या पट्टियों में, अवल्कनीकृत, सम्मिश्रित रबड़ ।
145.	यांत्रिक लकड़ी का गूदा, रासायनिक लकड़ी का गूदा, अर्ध रासायनिक काष्ठ गूदा और अन्य रेशायुक्त सेल्युलोज सामग्री का गूदा ।
146.	पेपर, पेपर बोर्ड के कार्टन (जिसमें चपटे और तह किए हुए कार्टन सम्मिलित हैं) बॉक्स (जिसमें चपटे और तह किए हुए बॉक्स हैं), केस, थैले और अन्य पैंकिंग आधान, चाहे संमजित दशा में हों या असमंजित दशा में ।
147.	पेपर मुद्रित लेबल और पेपर बोर्ड मुद्रित लेबल ।
148.	पैकिंग के लिए प्रयुक्त पेपर, स्वतः चिपकने वाला टेप और मुद्रित रैपर ।

क्रम सं०	माल
149.	जूट के या अन्य रेशा आधारित वस्त्रों के माल की पैकिंग के लिए प्रयुक्त बोरे और थैले ।
150.	माल की पैकिंग के लिए प्रयुक्त कारबॉय बोतल, जार शीशी के प्रकार, कांच के ढक्कन और अन्य संवरक ।
151.	आधार धातु के स्टॉपर, कैप और ढक्कन (जिसमें क्राउन कॉर्क, स्क्रू और पॉटिंग स्टॉपर सम्मिलित हैं) बोतल, चूड़ीदार बंग, बंग कवर, सील और अन्य पैकिंग उपसाधन ।

अनुसूची 4

(धारा 14 देखिए)

क्रम सं०	**माल**
1.	कंट्री लिकर जिसमें मसालेदार कंट्री लिकर सम्मिलित है ।
2.	पेय स्पिरिट, वाइन या लिकर चाहे आयातित या भारत में विनिर्मित हो ।
3.	उच्च गति डीजल तेल और हल्का डीजल तेल ।
4.	मोटर स्पिरिट ।
5.	प्राकृतिक गैस ।
6.	वायुयान टर्बाइन ईंधन ।

अनुसूची 5

(धारा 17 देखिए)

क्रम सं०	ऐसे संगठनों की सूची जो प्रतिदाय का दावा कर सकते हैं
1.	अफगानिस्तान एच०ई०, अफगानिस्तान गणराज्य का राजदूत अफगानिस्तान गणराज्य का दूतावास अफगानिस्तान दूतावास के राजनयिक अधिकारी (जिनके अन्तर्गत उनके/उनकी पति/पत्नियां भी हैं)।
2.	एफ्रो-एशियन ग्रामीण पुनर्निर्माण संगठन।
3.	अल्जीरिया अल्जीरिया लोकतांत्रिक और लोकप्रिय गणराज्य का दूतावास।
4.	अंगोला अंगोला दूतावास में शासकीय और वैयक्तिक प्रयोग के लिए राजनयिकों द्वारा किए गए क्रय पर।
5.	अपोस्टोलिक नन्सिएचर।
6.	अर्जेन्टाइना गणतंत्र के दूतावास में शासकीय और वैयक्तिक प्रयोग के लिए राजनयिकों द्वारा किए गए क्रय पर।
7.	आरमीनिया आरमीनिया दूतावास में, शासकीय प्रयोग के लिए मिशन द्वारा किए गए क्रय पर।
8.	एशियाई अफ्रीकी विधिक कौन्सलीय समिति इसके शासकीय उपयोग के लिए।
9.	एशियाई विकास बैंक।
10.	आस्ट्रेलिया उच्च आयोग और उसके राजनयिक अधिकारी, केवल उनके शासकीय और वैयक्तिक उपयोग के लिए बंधित भंडारों से किए गए क्रयों की बाबत।
11.	आस्ट्रिया भारत में आस्ट्रिया दूतावास (उनके शासकीय उपयोग के लिए आशयित विक्रयों के लिए) भारत में आस्ट्रिया दूतावास में राजनयिक अधिकारी (उनके वैयक्तिक उपयोग के लिए आशयित विक्रयों के लिए)।
12.	बंग्लादेश भारत में बंग्लादेश जनवादी गणराज्य उच्च आयोग भारत में बंग्लादेश जनवादी गणराज्य उच्च आयोग के राजनयिक अधिकारी (जिनमें उनके/उनकी पति/पत्नियां भी हैं)।
13.	बेलारूस भारत में बेलारूस दूतावास शासकीय और वैयक्तिक उपयोग के लिए इसके राजनयिक और प्रशासनिक/तकनीकी कार्मिकों के लिए किए गए क्रय।

क्रम सं०	ऐसे संगठनों की सूची जो प्रतिदाय का दावा कर सकते हैं
14.	बेल्जियम
	एच०ई० भारत में बेल्जियम राजदूत
	भारत में बेल्जियम दूतावास के राजनयिक आधिकारी ।
15.	भूटान
	रॉयल भूटान मिशन, मिशन के शासकीय उपयोग के लिए आशयित विक्रयों के लिए
	वैयक्तिक उपयोग के लिए आशयित विक्रयों के लिए भूटान का प्रतिनिधि
	वैयक्तिक उपयोग के लिए आशयित विक्रयों के लिए रॉयल भूटान मिशन के राजनयिक अधिकारी ।
16.	ब्राजील
	भारत में ब्राजील संघात्मक गणराज्य का दूतावास
	भारत में ब्राजील संघात्मक गणराज्य का दूतावास (जिनमें उनके/उनकी पति/पत्नियां भी हैं) ।
17.	ब्रिटेन
	भारत में ब्रिटेन उच्च आयोग (शासकीय उपयोग के लिए सभी विक्रय)
	भारत में ब्रिटेन उच्च आयोग के राजनयिक अधिकारी (जिनमें उनके/उनकी पति/पत्नियां भी हैं) (केवल बन्धित स्टाकों से आयातित माल का विक्रय) ।
18.	ब्रुनेई दारुशलम
	ब्रुनेई दारुशलम के दूतावास, शासकीय और वैयक्तिक उपयोग के लिए इसके राजनयिकों द्वारा किए गए क्रयों पर ।
19.	बलगारिया
	एच०ई० भारत में बलगारिया जनवादी गणराज्य का राजदूत
	भारत में बलगारिया जनवादी गणराज्य का दूतावास
	भारत में बलगारिया जनवादी गणराज्य के दूतावास के राजनयिक अधिकारी (जिनमें उनके/उनकी पति/पत्नियां भी हैं) ।
20.	कनाडा
	एच०ई० भारत में कनाडा उच्चायुक्त
	कनाडा उच्च आयोग के राजनयिक अधिकारी
	कनाडा उच्च आयोग ।
21.	मध्य अफ्रीका
	मध्य अफ्रीकी साम्राज्य का दूतावास (शासकीय उपयोग के लिए आशयित विक्रयों के लिए)
	मध्य अफ्रीकी साम्राज्य के दूतावास के राजनयिक अधिकारी (जिनके उनके/उनकी पति/पत्नियां भी हैं) (उनके उपयोग के लिए आशयित विक्रयों के लिए) ।
22.	चीन
	एच०ई० भारत में चीनी राजदूत
	चीनी जनवादी गणराज्य का दूतावास ।
23.	कोलम्बिया
	भारत में कोलम्बिया दूतावास ।

क्रम सं०	ऐसे संगठनों की सूची जो प्रतिदाय का दावा कर सकते हैं
24.	कम्बोडिया एच०ई० भारत में कम्बोडिया का राजदूत भारत में कम्बोडिया का दूतावास भारत में कम्बोडिया दूतावास के राजनयिक अधिकारी (जिनमें उनके/उनकी पति/पत्नियां भी हैं)।
25.	(क) यूरोपीय समुदायों के आयोग के पदधारी, उनका कार्यालय स्थापित करने के लिए (ख) राजनयिक प्रास्थिति धारण करने वाले कार्मिकों का शिष्टमंडल (भारतीय राष्ट्रीय और उक्त आयोग द्वारा नियोजित भारत में स्थायी रूप से निवासी व्यक्तियों से भिन्न)।
26.	एशिया साझा शैक्षिक मीडिया केन्द्र शासकीय उपयोग के लिए किए गए क्रय पर साझा शैक्षिक मीडिया केन्द्र और इसके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा वैयक्तिक उपयोग के लिए।
27.	कांगो कांगो दूतावास और उनके राजनयिक अधिकारी।
28.	क्रोएशिया क्रोएशिया दूतावास, शासकीय उपयोग के लिए और उसके पदधारियों के वैयक्तिक उपयोग के लिए इसके राजनयिकों द्वारा किए गए क्रय संबंधी।
29.	क्यूबा भारत में क्यूबा गणराज्य दूतावास भारत में क्यूबा गणराज्य के राजनयिक अधिकारी (जिनमें उनके/उनकी पति/पत्नियां भी हैं)।
30.	साइप्रस साइप्रस उच्च आयोग (शासकीय उपयोग के लिए आशयित साइप्रस उच्च आयोग के राजनयिक अधिकारी) (जिनमें उनके/उनकी पति/पत्नियां भी हैं) (निजी उपयोग के लिए आशयित विक्रय)।
31.	चेक गणराज्य चेक गणराज्य का दूतावास, शासकीय उपयोग के लिए और उसके पदधारियों के वैयक्तिक उपयोग के लिए उसके राजनयिकों द्वारा किए गए क्रय संबंधी।
32.	डेनमार्क भारत में रायल डेनिस दूतावास भारत में रायल डेनिस के राजनयिक अधिकारी (जिनमें उनके/उनकी पति/पत्नियां भी हैं)।
33.	डोमिनिक डोमिनिक राष्ट्रमंडल के लिए उच्च आयोग (केवल शासकीय क्रयों के लिए) डामिनिक राष्ट्रमंडल के लिए उच्च आयोग के राजनयिक पदाधिकारी (केवल वैयक्तिक प्रयोग के लिए)।
34.	मिश्र भारत में मिश्र के अरब गणराज्य का दूतावास भारत में मिश्र के अरब गणराज्य के दूतावास के राजनयिक अधिकारी (जिनमें उनके/उनकी पति/पत्नियां भी हैं)।

क्रम सं०	ऐसे संगठनों की सूची जो प्रतिदाय का दावा कर सकते हैं
35.	इथोपिया भारत में इथोपिया दूतावास (उसके शासकीय उपयोग के लिए) भारत में इथोपिया दूतावास के राजनयिक अधिकारी (उनके वैयक्तिक क्रय के लिए)।
36.	फिनलैंड फिनलैंड दूतावास, शासकीय प्रयोजन के लिए और उसके पदधारियों के द्वारा निम्नलिखित मदों के क्रय संबंधी— (1) भवनों की सुसज्जा और भीतरी सज्जा के लिए प्रयोग होने वाली वस्तुएं जैसे कि निर्माण सामग्रियां (2) प्रतिनिधित्व क्रयों में प्रयोग होने वाली वस्तुएं (3) मोटर यान और मोटर यानों के लिए उपस्कर और पुर्जे (4) मिशन या कार्यालय के परिसरों के संबंध में कार्य निष्पादन और मद 1 से मद 3 में निर्दिष्ट वस्तुओं या उन वस्तुओं का किराया (5) मिशन या कार्यालय के निर्माण के लिए क्रय की गई दूर-संचार सेवाएं, ऊर्जा वस्तुएं और ईंधन (6) मोटर यान के लिए ईंधन।
37.	फ्रांस फ्रांस दूतावास, राजदूत के आवास के लिए और उनके पदधारियों के शासकीय प्रयोजन के लिए क्रय के संबंध में।
38.	जर्मनी भारत में जर्मनी दूतावास (केवल शासकीय प्रयोग के लिए आशयित विक्रयों के लिए) भारत में जर्मनी दूतावास के राजनयिक अधिकारियों के लिए (वैयक्तिक प्रयोग के लिए आशयित विक्रयों के लिए)।
39.	घाना भारत में घाना उच्च आयुक्त भारत में घाना उच्चायुक्त के राजनयिक अधिकारी।
40.	ग्रीस भारत में रायल ग्रीक दूतावास भारत में रायल ग्रीक दूतावास के राजनयिक अधिकारी (जिनमें उनके/उनकी पति/पत्नियां भी हैं)।
41.	गुयाना गुयाना के लिए उच्च आयोग और उसके राजनयिक अधिकारी (जिनमें उनके/उनकी पति/पत्नियां भी हैं)।
42.	हंगरी एच०ई० भारत में हंगरी जनवादी गणराज्य का राजदूत भारत में हंगरी जनगण राज्य का दूतावास भारत में हंगरी जनगण राज्य का दूतावास राजनयिक अधिकारी (जिनमें उनके/उनकी पति/पत्नियां भी हैं)।
43.	इंडोनेशिया इंडोनेशिया दूतावास सभी शासकीय क्रय और उनके अपने वैयक्तिक प्रयोग के लिए क्रय के संबंध में।
44.	भारत में अन्तरराष्ट्रीय पुनः निर्माण और विकास बैंक ऐसे कर्मचारियों से भिन्न जिन्हें भारत में अन्तरराष्ट्रीय पुनः निर्माण और विकास बैंक को स्थानीय रूप से भर्ती किया गया।

क्रम सं०	ऐसे संगठनों की सूची जो प्रतिदाय का दावा कर सकते हैं
45.	जेनेटिक इंजीनियरी और बायोटेक्नोलाजी के लिए अन्तरराष्ट्रीय केन्द्र (सभी शासकीय क्रय के लिए)।
46.	(क) अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय का कार्यालय (शासकीय प्रयोग के लिए आशयित विक्रय) (ख) अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय के निर्वाचित न्यायाधीश डा० नागेन्द्र सिंह (उनके वैयक्तिक प्रयोग के लिए आशयित विक्रय)।
47.	अन्तरराष्ट्रीय श्रम कार्यालय।
48.	ईरान भारत में ईरान दूतावास भारत में ईरान दूतावास के राजनयिक अधिकारी (जिनमें उनके/उनकी पति/पत्नियां भी हैं)।
49.	ईराक एच०ई० भारत में ईराक गणराज्य का राजदूत भारत में ईराक गणराज्य का दूतावास भारत में ईराक दूतावास राजनयिक अधिकारी (जिनमें उनके/उनकी पति/पत्नियां भी हैं)।
50.	आयरलैंड भारत में आयरलैंड दूतावास भारत में आयरलैंड दूतावास राजनयिक अधिकारी (जिनमें उनके/उनकी पति/पत्नियां भी हैं)।
51.	इजराइल इजराइल दूतावास शासकीय उपयोग के लिए और इसमें वैयक्तिक उपयोग के लिए इसमें राजनयिकों द्वारा किए गए क्रयों के संबंध में।
52.	इटली इटली दूतावास, शासकीय उपयोग के लिए और उसके पदधारियों के वैयक्तिक उपयोग के लिए इसके राजनयिकों द्वारा किए गए क्रय के संबंध में।
53.	जापान जापान दूतावास और उसके राजनयिक अधिकारी।
54.	जोर्डन भारत में जोर्डन के हैसमिथ किंगडम का दूतावास भारत में जोर्डन के हैसमिथ किंगडम के दूतावास के राजनयिक अधिकारी (जिनमें उनके/उनकी पति/पत्नियां भी हैं)।
55.	कजाकिस्तान कजाकिस्तान दूतावास, शासकीय और वैयक्तिक उपयोग के लिए इसके राजनयिकों द्वारा किए गए क्रयों के संबंध में।
56.	केन्या भारत में केन्या उच्च आयोग के शासकीय उपयोग के लिए और इसमें राजनयिक अधिकारी (जिनमें उनके/उनकी पति/पत्नियां भी हैं)।

क्रम सं०	ऐसे संगठनों की सूची जो प्रतिदाय का दावा कर सकते हैं
57.	कोरिया
	एच०ई० कोरिया का राजदूत
	कोरिया गणराज्य का दूतावास
	कोरिया गणराज्य के राजनयिक अधिकारी (जिनमें उनके/उनकी पति/पत्नियां भी हैं)।
58.	कोरिया (डी०पी०आर०)
	एच०ई० कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य का राजदूत
	कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य का दूतावास
	कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य का दूतावास के राजनयिक अधिकारी (जिनमें उनके/उनकी पति/पत्नियां भी हैं)।
59.	कुवैत
	एच०ई० भारत में कुवैत राज्य का राजदूत
	भारत में कुवैत राज्य का दूतावास
	भारत में कुवैत राज्य का दूतावास के राजनयिक अधिकारी।
60.	किर्गिस्तान
	किर्गिस्तान का दूतावास, शासकीय और वैयक्तिक उपयोग के लिए इसमें राजनयिकों के क्रय के संबंध में।
61.	लाओस
	भारत में लाओस का रायल दूतावास
	भारत में लाओस का रायल दूतावास और इसमें राजनयिक अधिकारी (जिनमें उनके/उनकी पति/पत्नियां भी हैं)।
62.	अरब राज्य मिशन लीग
	अरब राज्य मिशन लीग
	अरब राज्य मिशन लीग के मुख्य प्रतिनिधि, उप मुख्य प्रतिनिधि (जिनमें उनके/उनकी पति/पत्नियां भी हैं और अवयस्क बालक भी हैं)।
63.	लेबनान
	एच०ई० भारत में लेबनान का राजदूत
	भारत में लेबनान का दूतावास
	लेबनान के दूतावास राजनयिक अधिकारी (जिनमें उनके/उनकी पति/पत्नियां भी हैं)।
64.	लाइबेरिया
	लाइबेरिया दूतावास, इसमें सभी शासकीय क्रयों और वैयक्तिक उपयोग के लिए उसके पदधारियों द्वारा किए गए क्रय के संबंध में।
65.	लीबिया
	भारत में लीबिया अरब गणराज्य का दूतावास (शासकीय प्रयोग के लिए आशयित विक्रय के लिए)
	भारत में लीबिया अरब गणराज्य में दूतावास के राजनयिक अधिकारी (पति/पत्नी सहित)
	(उनके वैयक्तिक प्रयोग के लिए आशयित विक्रय के लिए)।

क्रम सं०	ऐसे संगठनों की सूची जो प्रतिदाय का दावा कर सकते हैं
66.	लक्जमबर्ग
	लक्जमबर्ग के ग्रैंड डच राजदूतावास द्वारा केवल शासकीय प्रयोग के लिए उनके द्वारा खरीदे गए माल के संबंध में।
67.	मलेशिया
	भारत में मलेशिया का उच्चायुक्त
	भारत में मलेशिया के उच्च आयोग के राजनयिक अधिकारी (पति/पत्नी सहित)।
68.	मारिशस
	मारिशस उच्च आयोग और उसके राजनयिक अधिकारी।
69.	मेक्सिको
	भारत में मेक्सिको राजदूतावास
	भारत में मेक्सिको राजदूतावास के राजनयिक अधिकारी (पति/पत्नी सहित)।
70.	मंगोलिया
	एच०ई० भारत में मंगोलियाई लोक गणराज्य के राजदूत
	भारत में मंगोलियाई लोक गणतंत्र राजदूतावास
	भारत में मंगोलियाई लोक गणतंत्र का राजदूतावास के राजनयिक अधिकारी।
71.	मोरक्को
	मोरक्को राजदूतावास, उसके राजनयिकों द्वारा शासकीय तथा वैयक्तिक प्रयोग के लिए की गई खरीद पर।
72.	मोजांबिक
	मोजांबिक गणतंत्र उच्च आयोग द्वारा केवल शासकीय प्रयोग के लिए खरीदे गए माल के संबंध में।
73.	म्यांमार
	भारत में म्यांमार गणतंत्र राजदूतावास (बंधित स्टाक से माल की बिक्री तक प्रतिबंधित)
	भारत में म्यांमार यूनियन राजदूतावास के राजनयिक अधिकारी (पति/पत्नी सहित) (केवल पेट्रोल की बिक्री कर के लिए)।
74.	नामीबिया
	नामीबिया उच्चायुक्त, उसके राजनयिकों द्वारा शासकीय तथा वैयक्तिक प्रयोग के लिए की गई खरीद पर।
75.	नेपाल
	भारत में रायल नेपाली राजदूतावास।
	भारत में रायल नेपाली राजदूतावास के राजनयिक अधिकारी (पति/पत्नी सहित)।
76.	नीदरलैंड
	भारत में रायल नीदरलैण्ड राजदूतावास।
	भारत में रायल नीदरलैण्ड राजदूतावास के राजनयिक अधिकारी (पति/पत्नी सहित)।

क्रम सं०	ऐसे संगठनों की सूची जो प्रतिदाय का दावा कर सकते हैं
77.	निकारागुआ
	निकारागुआ राजदूतावास सभी शासकीय खरीद तथा उसके पदधारियों द्वारा उनके वैयक्तिक प्रयोग के लिए की गई खरीद पर।
78.	नाईजीरिया
	एच०ई० भारत में नाईजीरिया परिसंघीय गणतंत्र उच्च आयोग
	नाईजीरिया परिसंघीय गणतंत्र के लिए उच्च आयोग।
79.	नार्वे
	एच०ई० भारत में नार्वे के राजदूत
	भारत में रायल नार्वे का राजदूतावास
	भारत में रायल नार्वे के राजदूतावास के राजनयिक अधिकारी (जिनमें उनके/उनकी पति/पत्नी भी हैं)।
80.	ओमान
	ओमान सल्तनत राजदूतावास और उसके राजनयिक अधिकारी।
81.	पाकिस्तान
	भारत में पाकिस्तान राजदूतावास
	भारत में पाकिस्तान राजदूतावास के राजनयिक अधिकारी (जिनमें उनके/उनकी पति/पत्नी भी हैं)।
82.	पनामा
	पनामा राजदूतावास और उसके राजनयिक अधिकारी, केवल बंधित भंडार से की गई खरीद के संबंध में।
83.	फिलीपींस
	एच०ई० भारत में फिलिपींस का राजदूत
	भारत में फिलिपींस का राजदूतावास, और
	भारत में फिलिपींस का राजदूतावास के राजनयिक अधिकारी (जिनमें उनके/उनकी पति/पत्नी भी हैं)।
84.	पी०एल०ओ०
	फिलीस्तीनी मुक्ति संगठन राजदूतावास (शासकीय प्रयोग के लिए आशयित बिक्री के लिए)
	फिलीस्तीनी मुक्ति संगठन राजदूतावास के राजनयिक अधिकारी (जिनमें उनके/उनकी पति/पत्नी भी हैं) वैयक्तिक प्रयोग के लिए आशयित बिक्री के लिए)।
85.	पोलैंड
	पोलैंड जनवादी गणतंत्र राजदूतावास और उसके राजनयिक अधिकारी।
86.	पुर्तगाल
	भारत में पुर्तगाल राजदूतावास
	भारत में पुर्तगाल राजदूतावास के राजनयिक अधिकारी (जिनमें उनके/उनकी पति/पत्नी भी हैं) (उनके वैयक्तिक प्रयोग के लिए आशयित बिक्री के लिए)।
87.	कतर
	कतर राज्य राजदूतावास
	कतर राज्य राजदूतावास के राजनयिक अधिकारी और उनके/उनकी पति/पत्नी के लिए उनके वैयक्तिक प्रयोग के लिए आशयित बिक्री के लिए)।

क्रम सं०	ऐसे संगठनों की सूची जो प्रतिदाय का दावा कर सकते हैं
88.	रोमानिया एच०ई० भारत में रोमानिया समाजवादी गणतंत्र का राजदूत भारत में रोमानिया समाजवादी गणतंत्र राजदूतावास रोमानिया समाजवादी गणतंत्र राजदूतावास के राजनयिक अधिकारी (जिनमें उनके/उनकी पति/पत्नी भी हैं)।
89.	रूस रूसी परिसंघीय राजदूतावास, राजनयिकों द्वारा शासकीय और वैयक्तिक प्रयोग के लिए की गई खरीद पर।
90.	रवांडा रवांडा गणतंत्र राजदूतावास, उसके राजनयिक और प्रशासनिक/तकनीकी कार्मिकों द्वारा शासकीय और वैयक्तिक प्रयोग के लिए किए गए क्रय पर।
91.	सहारवी अरब लोकतांत्रिक गणराज्य सहारवी अरब लोकतांत्रिक राजदूतावास के राजनयिक अधिकारी।
92.	सऊदी अरब एच०ई० भारत में सऊदी अरब राजदूत भारत में सऊदी अरब राजदूतावास भारत में सऊदी अरब राजदूतावास के राजनयिक अधिकारी (जिनमें उनके/उनकी पति/पत्नी भी हैं)।
93.	सेनेगल भारत में सेनेगल गणतंत्र राजदूतावास (राजदूतावास के शासकीय प्रयोग के लिए आशयित बिक्री के लिए) भारत में सेनेगल गणतन्त्र राजदूतावास के राजनयिक अधिकारी (उनके पति/पत्नी सहित) (वैयक्तिक प्रयोग के लिए आशयित बिक्री के लिए)।
94.	सिंगापुर सिंगापुर के लिए उच्च आयोग उनके राजनयिक अधिकारी।
95.	स्लोवाक रिपब्लिक स्लोवाक गणतंत्र राजदूतावास, उसके राजनयिकों द्वारा उनके पदधारियों के शासकीय और वैयक्तिक प्रयोग के लिए किए गए क्रय पर।
96.	सोमालिया भारत में सोमालियाई राजदूतावास (शासकीय प्रयोग के लिए आशयित बिक्री के लिए) भारत में सोमालियाई राजदूतावास के राजदूतावास के राजनयिक अधिकारी (जिनमें उनके/उनकी पति/पत्नी भी हैं) (उनके वैयक्तिक प्रयोग के लिए आशयित बिक्री के लिए)।
97.	दक्षिण अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका राजदूतावास, उसके राजनयिकों द्वारा शासकीय और वैयक्तिक प्रयोग के लिए किए गए क्रय पर।
98.	दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीकी लोक संगठन (एस०डब्ल्यू०ए०पी०ओ०) दक्षिण पश्चिमी अफ्रीकी लोक संगठन (एस०डब्ल्यू०ए०पी०ओ०) राजदूतावास—उसकी सभी शासकीय खरीद पर और उसके पदधारियों द्वारा उनके वैयक्तिक प्रयोग के लिए किए गए क्रय पर।

क्रम सं०	ऐसे संगठनों की सूची जो प्रतिदाय का दावा कर सकते हैं
99.	स्पेन
	एच०ई० भारत में स्पेन का राजदूत
	भारत में स्पेन राजदूतावास
	भारत में स्पेन राजदूतावास के राजनयिक अधिकारी ।
100.	श्री लंका
	श्री लंका लोकतंत्रात्मक समाजवादी गणतंत्र के लिए उच्च आयोग—राजनयिकों द्वारा उसके शासकीय प्रयोग के लिए किए गए क्रय पर ।
101.	सूडान
	भारत में सूडान लोकतांत्रिक गणतंत्र राज्य दूतावास
	भारत में सूडान लोकतांत्रिक गणतंत्र राजदूतावास के राजनयिक अधिकारी (जिनमें उनके/उनकी पति/पत्नी भी हैं) (बंधित स्टाक के सिवाय अन्य स्थानों से किए गए क्रय पर छूट विस्तारित) ।
102.	सूरीनाम
	सूरीनाम गणतंत्र राजदूतावास—राजनयिकों के शासकीय प्रयोग तथा वैयक्तिक प्रयोग के लिए किए गए क्रय पर ।
103.	स्वीडन
	भारत में रायल स्वीडिश राजदूतावास— (उसके शासकीय क्रय के लिए)
	भारत में रायल स्वीडिश राजदूतावास के राजनयिक अधिकारी (उनके वैयक्तिक प्रयोग के लिए) ।
104.	स्विटजरलैंड
	स्विटजरलैंड राजदूतावास, उनके पदधारियों के शासकीय और वैयक्तिक प्रयोग के लिए उसके राजनयिकों द्वारा किए गए क्रय पर ।
105.	सीरिया
	सीरियाई अरब गणतंत्र राजदूतावास और उसके राजनयिक अधिकारी ।
106.	थाईलैंड
	भारत में रायल थाई राजदूतावास
	भारत में रायल थाई राजदूतावास के राजनयिक अधिकारी (उनके पति/पत्नी सहित) ।
107.	त्रिनिदाद
	भारत में त्रिनिदाद और टोबैगो के लिए उच्च आयोग
	उक्त उच्च आयोग के राजनयिक कर्मचारिवृन्द के सदस्य ।
	छूट (i) आयोग के शासकीय प्रयोग के लिए आशयित बिक्री; और (ii) वैयक्तिक प्रयोग के लिए आशयित बिक्री तक निर्बंधित ।
108.	ट्यूनीशिया
	ट्यूनीशिया राजदूतावास—उसके राजनयिकों द्वारा शासकीय और वैयक्तिक प्रयोग के लिए किए गए क्रय पर ।
109.	टर्की
	टर्की राजदूतावास, उसके राजनयिकों द्वारा शासकीय और वैयक्तिक प्रयोग के लिए किए गए क्रय पर ।

क्रम सं०	ऐसे संगठनों की सूची जो प्रतिदाय का दावा कर सकते हैं
110.	संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त अरब अमीरात राजदूतावास, उसके शासकीय प्रयोग के लिए संयुक्त अरब अमीरात राजदूतावास के राजनयिक अधिकारी और उनके पति/पत्नी के वैयक्तिक प्रयोग के लिए आशयित बिक्री पर ।
111.	यूगांडा भारत में यूगांडा गणतंत्र के लिए उच्च आयोग भारत में यूगांडा गणतंत्र के लिए उच्च आयोग के राजनयिक अधिकारी (जिनमें उनके/उनकी पति/पत्नी भी हैं) ।
112.	यूक्रेन यूक्रेन राजदूतावास, उसके राजनयिकों द्वारा शासकीय और वैयक्तिक प्रयोग के लिए किए गए क्रय पर ।
113.	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ।
114.	एशिया के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग और सूदूर पूर्व (सामाजिक कार्य प्रभाग) के भारत, नेपाल, श्रीलंका, ईरान अफगानिस्तान और पाकिस्तान के प्रादेशिक कार्यालय ।
115.	संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ।
116.	दक्षिणी एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास पर संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक अनुसंधान केन्द्र ।
117.	संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन ।
118.	शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्च आयोग (छूट केवल शासकीय प्रयोग के लिए) ।
119.	संयुक्त राष्ट्र सूचना केन्द्र ।
120.	संयुक्त राष्ट्र अन्तरराष्ट्रीय बाल आपात कोष ।
121.	भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक ।
122.	जनसंख्या अध्ययन संबंधी संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ।
123.	(क) दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व स्वास्थ्य संगठन का प्रादेशिक कार्यालय (शासकीय प्रयोग के लिए आशयित बिक्री पर) (ख) दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व स्वास्थ्य संगठन का प्रादेशिक निदेशक (जिनमें उनके/उनकी पति/पत्नी भी है), (वैयक्तिक उपयोग के लिए आशयित विक्रय के लिए) ।
124.	अन्तरराष्ट्रीय विकास मिशन संबंधी संयुक्त राष्ट्र अभिकरण अन्तरराष्ट्रीय विकास मिशन संबंधी संयुक्त राज्य अभिकरण और अंतरराष्ट्रीय विकास मिशन के लिए संयुक्त राज्य अभिकरण के स्थानीय रूप से भर्ती किए गए कर्मचारिवृन्द से भिन्न कर्मचारी ।
125.	उरूग्वे एच०ई० भारत में उरूग्वे ओरिएन्टल रिपब्लिक का राजदूत भारत में उरूग्वे ओरिएन्टल रिपब्लिक दूतावास भारत में उरूग्वे ओरिएन्टल रिपब्लिक के राजनयिक अधिकारी (जिनमें उनके/उनकी पति/पत्नी भी हैं) ।
126.	संयुक्त राज्य अमरीका भारत में सं०रा०अ० का दूतावास एच०ई० भारत में सं०रा०अ० राजदूत भारत में सं०रा०अ० के राजदूतावास के राजनयिक (जिनमें उनके पति/पत्नियां और आश्रित भी हैं) ।

क्रम सं०	ऐसे संगठनों की सूची जो प्रतिदाय का दावा कर सकते हैं
127.	रूसी परिसंघ
	एच०ई० भारत में रूसी परिसंघ का राजदूत
	भारत में रूसी परिसंघ राजदूतावास के राजनयिक अधिकारी ।
128.	उज्बैकिस्तान
	इसके राजनयिकों द्वारा शासकीय उपयोग और वैयक्तिक उपयोग के लिए किए गए क्रय पर उज्बैकिस्तान गणराज्य का दूतावास ।
129.	वियतनाम (लोकतांत्रिक गणराज्य)
	एच०ई० भारत में वियतनाम के लोकतांत्रिक गणराज्य का राजदूत
	भारत में वियतनाम का लोकतांत्रिक गणराज्य का दूतावास
	भारत में वियतनाम के लोकतांत्रिक गणराज्य के राजनयिक अधिकारी (जिनमें उनके/उनकी पति/पत्नियां भी हैं) ।
130.	वियतनाम (गणराज्य)
	भारत में वियतनाम गणराज्य के महा काउन्सेल
	भारत में वियतनाम गणराज्य के महावाणिज्य दूतावास के वाणिज्य दूतावास अधिकारी ।
131.	वेनेजुएला
	भारत में वेनेजुएला दूतावास
	भारत में वेनेजुएला दूतावास के राजनयिक अधिकारी (जिनमें उनके/उनकी पति/पत्नियां भी हैं) ।
132.	यमन
	भारत में यमन जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य का दूतावास
	भारत में यमन जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य (जिनमें उनके/उनकी पति/पत्नियां भी हैं) ।
133.	यूगोस्लाविया
	भारत में यूगोस्लाविया समाजवादी संघीय गणराज्य का दूतावास
	भारत में यूगोस्लाविया समाजवादी संघीय गणराज्य के दूतावास के राजनयिक अधिकारी (जिनमें उनके/उनकी पति/पत्नियां भी हैं) ।
134.	जायरे
	एच०ई० भारत में जायरे गणराज्य का राजदूत
	भारत में जायरे गणराज्य का दूतावास
	भारत में जायरे गणराज्य के दूतावास के राजनयिक अधिकारी (जिनमें उनके/उनकी पति/पत्नियां भी हैं) छूट केवल बन्धित भण्डारों से प्राप्त माल तक निर्बंधित है) ।
135.	जाम्बिया
	भारत में जाम्बिया उच्च आयोग (शासकीय उपयोग के लिए आशयित विक्रय के लिए)
	भारत में जाम्बिया के उच्च आयोग के राजनयिक अधिकारी (जिनमें उनके/उनकी पति/पत्नियां भी है) (वैयक्तिक उपयोग के लिए आशयित विक्रय के लिए)
	ऐसे माल तक छूट निर्बंधित है जिसे भारत में विनिर्मित या उत्पादित किया गया है और भारत के बाहर से आयात नहीं किया गया है ।
136.	जिम्बाब्वे
	कार्यदूत मिशन के अध्यक्ष के प्रमाणन पर ही इसके शासकीय क्रयों के लिए जिम्बाब्वे उच्च आयोग ।